



सत्यमेव जयते

भारत के

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन
सामाजिक, सामान्य तथा आर्थिक क्षेत्रों की
अनुपालन लेखापरीक्षा

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष



लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा

Dedicated to Truth in Public Interest



हरियाणा सरकार

वर्ष 2021 की प्रतिवेदन संख्या 4

**भारत के
नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन**

**सामाजिक, सामान्य तथा आर्थिक क्षेत्रों की
अनुपालन लेखापरीक्षा**

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष

**हरियाणा सरकार
वर्ष 2021 की प्रतिवेदन संख्या 4**

विषय सूची

	अनुच्छेद	पृष्ठ
प्राक्कथन		v
संक्षिप्त अवलोकन		vii-xi
अध्याय 1		
प्रस्तावना		
बजट प्रोफाइल	1.1	1
राज्य सरकार के संसाधनों का अनुप्रयोग	1.2	1
अनवरत बचतें	1.3	2
भारत सरकार से सहायता अनुदान	1.4	3
लेखापरीक्षा का आयोजन तथा संचालन	1.5	3-4
महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां तथा सरकार के लेखापरीक्षा को उत्तर	1.6	4
लेखापरीक्षा के दृष्टांत पर वसूलियां	1.7	4
लेखापरीक्षा के प्रति सरकार की संवेदनशीलता	1.8	5-6
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्तन	1.9	6-8
राज्य विधान सभा में स्वायत्त निकायों और सांविधिक निगमों के पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रस्तुतीकरण की स्थिति	1.10	8
अध्याय 2		
सामाजिक, सामान्य तथा आर्थिक क्षेत्र (विभाग)		
खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग	2.1	9-11
कम ब्याज प्रभारों के विलंबित दावे के कारण राज्य के राजकोष को हानि		
निगरानी पर अनियमित व्यय	2.2	11-13
खेल एवं युवा कार्यक्रम विभाग	2.3	13-15
सरकारी निधियों की पार्किंग		
नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग (हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण)	2.4	15-17
पट्टा धन की अवसूली के कारण हानि		
ठेकेदार से क्षतिपूर्ति की अवसूली	2.5	18-19
श्रम विभाग	2.6	20-21
अस्वीकृत चेकों के विरुद्ध नियोक्ताओं से वसूली योग्य राशि		
शहरी स्थानीय निकाय विभाग	2.7	21-24
पेशेवर सेवा प्रदाता को अधिक भुगतान		
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	2.8	24-26
भूमि की खरीद पर अतिरिक्त व्यय		
अक्रियाशील जल कार्यों पर व्यर्थ व्यय	2.9	26-28

	अनुच्छेद	पृष्ठ
अध्याय 3		
सामाजिक, सामान्य तथा आर्थिक क्षेत्र (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम)		
हरियाणा विद्युत क्रय केंद्र हरियाणा में बिजली की खरीद	3.1	29-40
उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड म्हारा गांव जगमग गांव योजना का कार्यान्वयन	3.2	40-50
दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड अंतरीय टैरिफ की अवसूली	3.3	51-52
हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं मूलभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड प्रतिभागियों को प्रशिक्षण के परिकल्पित लाभों की प्राप्ति न होना	3.4	52-55
विस्तारण फीस का अनुद्ग्रहण	3.5	55-57
हरियाणा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड धान की हेराफेरी	3.6	57-60
समय पर वैट जमा न करने के कारण ब्याज/पेनल्टी	3.7	60-61
हरियाणा राज्य भंडारण निगम गेहूं के स्टॉक का नुकसान	3.8	61-63
धान/कस्टम मिल्ड राइस की हेराफेरी	3.9	63-65
हरियाणा चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड खराब वित्तीय प्रबंधन	3.10	65-67

परिशिष्ट

परिशिष्ट	विवरण	संदर्भ	
		अनुच्छेद	पृष्ठ
1.1	क्लस्टर, एक क्लस्टर के अंदर विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और स्वायत्त निकायों का विवरण दर्शाने वाली विवरणी	1.1	69-72
1.2	श्रेणीवार बकाया अनुच्छेदों की राशि को दर्शाने वाली विवरणी	1.8	73
1.3	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के श्रेणीवार बकाया अनुच्छेदों की राशि को दर्शाने वाली विवरणी	1.8	74
1.4	वर्ष 2017-18 के लिए लोक लेखा समिति में चर्चा हेतु बकाया अनुच्छेदों (सामाजिक, सामान्य तथा आर्थिक क्षेत्र (गैर-सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) की 30 नवंबर 2020 तक की रिपोर्ट की सूची)	1.9.1	75
1.5	उन अनुच्छेदों की सूची जहां वसूली के लिए इंगित किया गया लेकिन 31 मार्च 2020 तक प्रशासनिक विभागों द्वारा सामाजिक, सामान्य और आर्थिक क्षेत्रों (गैर-सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों) पर कोई कार्रवाई नहीं की गई	1.9.1	76-77
1.6	31 मार्च 2020 तक नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के सामाजिक, सामान्य तथा आर्थिक क्षेत्रों (गैर-सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) के प्रतिवेदनों के लिए लोक लेखा समिति की बकाया सिफारिशों के विवरण	1.9.1	78
1.7	स्वायत्त निकायों द्वारा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (नि.म.ले.प.) को लेखाओं के प्रस्तुतीकरण तथा राज्य विधायिका को लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रस्तुतीकरण को दर्शाने वाली विवरणी	1.10	79-81
2.1	ब्याज प्रभारों के दावे/प्राप्ति में विलंब और राज्य पर परिणामी परिहार्य ब्याज भार का विवरण दर्शाने वाली विवरणी	2.1	82
2.2	लेखापरीक्षा के दौरान देखे गए तीन जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रकों द्वारा दावा किए गए कम ब्याज प्रभारों का विवरण दर्शाने वाली विवरणी, जिनका बाद में दावा किया गया और प्राप्त किया गया	2.1	83
2.3	अप्रैल 2018 से सितंबर 2019 की अवधि के दौरान अतिरिक्त चौकीदारों की तैनाती पर अनियमित व्यय का विवरण दर्शाने वाली विवरणी	2.2	84
2.4	खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा अप्रैल 2018 से सितंबर 2019 के दौरान किए गए भुगतान का विवरण दर्शाने वाली विवरणी	2.2	85

परिशिष्ट	विवरण	संदर्भ	
		अनुच्छेद	पृष्ठ
2.5	निधियों को जारी करने, सरकारी लेखाओं के बाहर निधियों को जमा करने और राज्य को परिणामी ब्याज हानि का विवरण दर्शाने वाली विवरणी	2.3	86
2.6	जोखिम और लागत पर शेष कार्य के आवंटन के कारण मूल ठेकेदार से वसूली योग्य राशि को दर्शाने वाली विवरणी	2.5	87
2.7	खरीद की लागत के साथ खरीदी गई भूमि का विवरण दर्शाने वाली विवरणी	2.8	88

प्राक्कथन

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष का यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत हरियाणा राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन में हरियाणा सरकार के विभिन्न विभागों, कंपनियों, निगमों और स्वायत्त निकायों की अनुपालन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम शामिल हैं।

इस प्रतिवेदन में वे प्रकरण, जो वर्ष 2019-20 के दौरान नमूना-लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आये थे तथा वे, जो पूर्ववर्ती वर्षों में ध्यान में तो आये थे परन्तु पूर्ववर्ती प्रतिवेदनों में सम्मिलित नहीं किए जा सके थे, उल्लिखित हैं; 2019-20 की अनुवर्ती अवधि से संबंधित मामले भी, जहां आवश्यक समझे गए, शामिल किए गए हैं।

लेखापरीक्षा, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किए गए लेखापरीक्षण मानकों के अनुरूप की गई है।

संक्षिप्त अवलोकन

संक्षिप्त अवलोकन

इस प्रतिवेदन में अधिक, अनियमित, निष्फल व्यय, परिहार्य भुगतान, राज्य सरकार को हानियों, नियमों एवं कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में कमियों इत्यादि से संबंधित ₹ 1,125.46 करोड़ के वित्तीय प्रभाव वाले 19 अनुच्छेद सम्मिलित हैं। कुछ मुख्य परिणाम नीचे उल्लिखित हैं:

सामाजिक, सामान्य तथा आर्थिक क्षेत्र (विभाग)

अध्याय 2 में अनुपालन लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां शामिल हैं जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अतिरिक्त राज्य सरकार के विभागों के प्रबंधन में कमियों को प्रकट करती हैं, जिनमें महत्वपूर्ण वित्तीय निहितार्थ थे। महत्वपूर्ण परिणाम निम्नानुसार हैं:

खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग

कम ब्याज प्रभारों के विलंबित दावे के कारण राज्य के राजकोष को हानि

विभागीय अधिकारियों ने भारतीय खाद्य निगम से ₹ 161.10 करोड़ के ब्याज प्रभारों के दावों को 199 से 921 दिनों तक विलंबित किया जिसके परिणामस्वरूप कैश क्रेडिट पर ब्याज के कारण ₹ 13.15 करोड़ का अतिरिक्त भार पड़ा। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार द्वारा किए गए संशोधनों की गलत व्याख्या के कारण ₹ 30.68 करोड़ के कम दावे किए गए थे।

(अनुच्छेद 2.1)

निगरानी पर अनियमित व्यय

जिला खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले नियंत्रक, करनाल ने विभागीय मानकों से अधिक संख्या में हेमदा, लाठर तथा भाटिया प्लिंथों में निगरानी स्टाफ की तैनाती की, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.99 करोड़ का अनियमित व्यय हुआ।

(अनुच्छेद 2.2)

खेल एवं युवा कार्यक्रम विभाग

सरकारी निधियों की पार्किंग

खेल एवं युवा कार्यक्रम विभाग ने सात जिला खेल परिषदों और एक नवगठित खेल एवं शारीरिक स्वास्थ्य प्राधिकरण को मार्च 2016 से जनवरी 2018 के मध्य तत्काल आवश्यकता के बिना ₹ 10.09 करोड़ जारी किए जिसके परिणामस्वरूप चार साल से अधिक समय तक निधियों को सरकारी खातों के बाहर रखा गया और राज्य को ₹ 3.38 करोड़ के ब्याज की हानि हुई।

(अनुच्छेद 2.3)

**नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग
(हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण)**

पट्टा धन की अवसूली के कारण हानि

हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (ह.श.वि.प्रा.) ने सैक्टर 4, रेवाड़ी में स्थित बैंकवेट हॉल को पट्टेदार को सौंपने में एक वर्ष से अधिक के विलंब के कारण ₹ 0.49 करोड़ और पट्टा धन का भुगतान न करने पर भी पट्टेदार को संपत्ति से बेदखल न करने तथा चार वर्ष तक पट्टा धन की वसूली न करके अनुचित उपकार करने के कारण ₹ 2.95 करोड़ की हानि उठाई।

(अनुच्छेद 2.4)

ठेकेदार से क्षतिपूर्ति की अवसूली

कार्यकारी अभियंता, ह.श.वि.प्रा. मंडल संख्या 1, फरीदाबाद ने एक ठेकेदार से उसके जोखिम एवं लागत पर सैक्टर 61, फरीदाबाद में जलापूर्ति, सीवरेज एवं स्टार्म वाटर ड्रेनेज उपलब्ध करवाने एवं बिछाने के कार्य को पूर्ण करने पर अधिक व्यय तथा कार्य के पूर्ण होने में विलंब के लिए लगाई गई क्षतिपूर्ति हेतु ₹ 1.61 करोड़ की वसूली के लिए कोई प्रयास नहीं किए।

(अनुच्छेद 2.5)

श्रम विभाग

अस्वीकृत चेकों के विरुद्ध नियोक्ताओं से वसूली योग्य राशि

श्रम कल्याण बोर्ड को ₹ 1.54 करोड़ की हानि हुई क्योंकि 1,057 नियोक्ताओं द्वारा जमा किए गए चेक बैंकों द्वारा अस्वीकृत कर दिए गए थे। राशि को न तो भू-राजस्व के बकाया के रूप में दण्डात्मक ब्याज सहित वसूल किया गया और न ही नेगोशिएबल इंस्ट्रुमेंट्स एक्ट, 1881 के अंतर्गत चूककर्ताओं को दंडित करवाने के लिए समय पर कार्रवाई की गई थी।

(अनुच्छेद 2.6)

शहरी स्थानीय निकाय विभाग

पेशेवर सेवा प्रदाता को अधिक भुगतान

महानिदेशक, शहरी स्थानीय निकाय ने एक पेशेवर सेवा प्रदाता द्वारा सेवाओं के लिए अस्वीकार्य सेवा कर/वस्तु एवं सेवा कर, पेशेवर शुल्क और कर्मियों के प्रतिस्थापन पर पारिश्रमिक को कम नहीं करने के कारण ₹ 1.15 करोड़ का अधिक भुगतान किया।

(अनुच्छेद 2.7)

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग

भूमि की खरीद पर अतिरिक्त व्यय

राज्य सरकार की भूमि क्रय नीति का उल्लंघन कर भूस्वामियों को भुगतान किए गए वास्तविक मूल्य पर विचार किए बिना एग्रीगेटर को एकमुश्त भुगतान कर भूमि की खरीद पर ₹ 1.04 करोड़ का अतिरिक्त व्यय किया गया था।

(अनुच्छेद 2.8)

अक्रियाशील जल कार्यों पर व्यर्थ व्यय

कार्यकारी अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंडल संख्या 2, हिसार ने क्षेत्र की स्थिति का पता लगाए बिना ग्राम खैरी (हिसार) के जल निर्माण कार्यों के संवर्धन/नवीनीकरण पर ₹ 1.01 करोड़ का व्यर्थ व्यय किया जिसके परिणामस्वरूप जल निर्माण कार्य गांव के तालाब के अपशिष्ट जल में डूबे रहे।

(अनुच्छेद 2.9)

सामाजिक, सामान्य तथा आर्थिक क्षेत्र (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम)

अध्याय 3 में अनुपालन लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां शामिल हैं जो राज्य सरकार की विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त की कंपनियों के प्रबंधन में कमियों को प्रकट करती हैं, जिनमें महत्वपूर्ण वित्तीय निहितार्थ थे। महत्वपूर्ण परिणाम निम्नानुसार हैं:

हरियाणा विद्युत क्रय केंद्र

हरियाणा में बिजली की खरीद

हरियाणा विद्युत क्रय केंद्र (ह.वि.क्र.कें.) ने गलत मेरिट आदेश तैयार करने तथा निजी उत्पादकों से महंगी बिजली खरीदने के कारण ₹ 209.33 करोड़ का अतिरिक्त व्यय किया, जिससे राज्य के उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त भार पड़ा। हरियाणा विद्युत क्रय केंद्र भी अक्षय ऊर्जा खरीद दायित्व लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सका तथा कमी 18.64 प्रतिशत और 90.55 प्रतिशत के मध्य थी। इस प्रकार वहनीय, टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित सतत विकास लक्ष्यों को पूरी तरह से प्राप्त नहीं किया जा सका है। बिजली की खरीद के प्रति भुगतानों के संबंध में आंतरिक नियंत्रण त्रुटिपूर्ण थे क्योंकि गलत भुगतान के दृष्टांत पाए गए थे।

(अनुच्छेद 3.1)

उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड

म्हारा गांव जगमग गांव योजना का कार्यान्वयन

योजना के कार्यान्वयन के सभी चरणों में अक्षमताओं के कारण योजना का कार्यान्वयन धीमा था और इसके आरंभ (जुलाई 2015) के पांच साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी 972 ग्रामीण घरेलू आपूर्ति फीडरों में से 295 अभी तक (जनवरी 2021) पूर्ण नहीं हुए थे। कार्यों के पूरा होने में विलंब के साथ-साथ पूरा न होने के कारण कंपनी को ₹ 786.54 करोड़ का संभावित राजस्व छोड़ना पड़ा जो कि कंपनी द्वारा प्रसारण एवं वितरण हानियों के निर्धारित लक्ष्यों को हासिल करके प्राप्त किया जा सकता था।

(अनुच्छेद 3.2)

दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड

अंतरीय टैरिफ की अवसूली

कंपनी ने विद्युत आपूर्ति संहिता, 2014 के प्रावधानों के अनुसार संस्वीकृति प्राधिकारी द्वारा गलत श्रेणी में कनेक्शन स्वीकृत किए गए उपभोक्ता से ₹ 39.88 लाख के टैरिफ अंतर की वसूली नहीं की।

(अनुच्छेद 3.3)

हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं मूलभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड

प्रतिभागियों को प्रशिक्षण के परिकल्पित लाभों की प्राप्ति न होना

पर्याप्त निगरानी/किसी उचित परिश्रम अध्ययन के बिना प्रशिक्षण कार्यक्रम के अनुपयुक्त संचालन के कारण ₹ 3.62 करोड़ का व्यय करने के बाद भी रोजगार देने के परिकल्पित लाभ प्राप्त नहीं किए जा सके। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण प्रदाता को ₹ 2.96 करोड़ का अधिक भुगतान किया गया था।

(अनुच्छेद 3.4)

विस्तारण फीस का अनुद्ग्रहण

कंपनी ने अनुबंध के अनुसार 27 जुलाई 2010 की बजाय 26 अगस्त 2013 से परियोजना की कार्यान्वयन अवधि की गणना करके एक आवंटी को अनुचित लाभ दिया जिसके परिणामस्वरूप परियोजना के विलंबित कार्यान्वयन के लिए ₹ 1.74 करोड़ की विस्तारण फीस का उद्ग्रहण नहीं हुआ।

(अनुच्छेद 3.5)

हरियाणा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड

धान की हेराफेरी

मिल मालिकों के पास रखे धान के स्टॉक के नियमित भौतिक सत्यापन के लिए राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन किया गया जिसके परिणामस्वरूप मिलर द्वारा धान की हेराफेरी की गई। बाद में, कंपनी ने चेक का नकदीकरण न करके मिलर का पक्ष लिया और अपनी बकाया राशि की वसूली के लिए कानूनी कार्रवाई करने में देरी की जिसके परिणामस्वरूप ₹ 6.64 करोड़ की हानि हुई।

(अनुच्छेद 3.6)

समय पर वैट जमा न करने के कारण ब्याज/पेनल्टी

कर प्राधिकारियों के पास समय पर मूल्य वर्धित कर की राशि जमा न करने के कारण कंपनी ने ₹ 1.85 करोड़ के ब्याज/पेनल्टी की परिहार्य हानि उठाई।

(अनुच्छेद 3.7)

हरियाणा राज्य भंडारण निगम

गेहूं के स्टॉक का नुकसान

गेहूं के स्टॉक के रखरखाव की स्थिति ठीक न होने के कारण निगम को ₹ 1.29 करोड़ की हानि हुई।

(अनुच्छेद 3.8)

धान/कस्टम मिल्ड राइस की हेराफेरी

खरीफ विपणन सीजन के दिशा-निर्देशों के नियमों और शर्तों का पालन न करने और चूककर्ता मिलर से शेष राशि की वसूली के लिए समय पर प्रयास न करने से ₹ 6.75 करोड़ की हानि हुई।

(अनुच्छेद 3.9)

हरियाणा चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड

खराब वित्तीय प्रबंधन

खराब वित्तीय प्रबंधन के कारण कंपनी ने अपनी अधिशेष निधियों पर ₹ 4.48 करोड़ का ब्याज अर्जित करने का अवसर खो दिया।

(अनुच्छेद 3.10)

अध्याय 1
प्रस्तावना

अध्याय 1

प्रस्तावना

1.1 बजट प्रोफाइल

हरियाणा सरकार के अंतर्गत 53 विभाग, सार्वजनिक क्षेत्र के 36 उपक्रम तथा 36 स्वायत्त निकाय क्रियाशील हैं। विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और स्वायत्त निकायों की सूची संलग्न है (परिशिष्ट 1.1)। वर्ष 2015-20 के दौरान राज्य सरकार के बजट अनुमानों तथा उनके विरुद्ध वास्तविक व्यय की स्थिति नीचे तालिका 1.1 में दी गई है।

तालिका 1.1: 2015-20 के दौरान राज्य का बजट तथा वास्तविक व्यय

(₹ करोड़ में)

व्यय	2015-16		2016-17		2017-18		2018-19		2019-20	
	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक
सामान्य सेवाएं	19,668	18,713	21,663	21,631	24,379	26,699	29,788	28,169	35,358	31,884
सामाजिक सेवाएं	25,015	21,539	29,403	25,473	31,404	28,061	34,176	29,743	36,114	33,726
आर्थिक सेवाएं	16,549	18,691	23,482	20,875	23,752	18,107	20,916	19,022	22,770	19,238
सहायता अनुदान एवं अंशदान	213	293	248	424	401	390	306	222	0	0
कुल (1)	61,445	59,236	74,796	68,403	79,936	73,257	85,186	77,156	94,242	84,848
पूंजीगत परिव्यय	5,904	6,908	8,817	6,863	11,122	13,538	15,780	15,306	16,260	17,666
संवितरित ऋण एवं अग्रिम	1,367	13,250	4,729	4,515	1,326	1,395	1,766	756	1,407	1,309
लोक ऋण का भुगतान	10,036	7,215	9,677	5,276	9,945	6,339	12,466	17,184	20,257	15,776
आकस्मिक निधि	-	63	-	80	-	27	-	13	-	-
लोक लेखा संवितरण	84,833	28,650	96,756	29,276	2,04,107	31,171	2,32,569	37,386	1,41,707	42,171
अंतिम नकद शेष	-	6,218	-	5,658	-	4,417	-	2,985	-	3,999
कुल (2)	1,02,140	62,304	1,19,979	51,668	2,26,500	56,887	2,62,581	73,630	1,79,631	80,921
कुल योग (1+2)	1,63,585	1,21,540	1,94,775	1,20,071	3,06,436	1,30,144	3,47,767	1,50,786	2,73,873	1,65,769

स्रोत: राज्य सरकार के बजट की वार्षिक वित्तीय विवरणियां एवं स्पष्टीकरण ज्ञापन

1.2 राज्य सरकार के संसाधनों का अनुप्रयोग

2019-20 के दौरान ₹ 2,73,873 करोड़ के कुल बजट परिव्यय के विरुद्ध संसाधनों का उपयोग ₹ 1,65,769 करोड़ था। राज्य का कुल व्यय¹ 2015-16 से 2019-20 की अवधि के दौरान ₹ 79,394 करोड़ से 31 प्रतिशत बढ़कर ₹ 1,03,823 करोड़ हो गया जबकि राजस्व व्यय उसी अवधि के दौरान ₹ 59,236 करोड़ से 43 प्रतिशत बढ़कर ₹ 84,848 करोड़ हो गया था। 2015-16 से 2019-20 की अवधि के दौरान कुल व्यय में राजस्व व्यय का भाग 75 से 86 प्रतिशत के मध्य था जबकि पूंजीगत व्यय नौ से 17 प्रतिशत के मध्य था।

2015-16 से 2019-20 की अवधि के दौरान कुल व्यय औसत 15 प्रतिशत वार्षिक की दर से बढ़ा जबकि राजस्व प्राप्तियां 11 प्रतिशत की वार्षिक औसत से बढ़ी।

¹ राजस्व व्यय, पूंजीगत परिव्यय तथा ऋण एवं अग्रिम का योग।

1.3 अनवरत बचतें

पिछले पांच वर्षों के दौरान 20 अनुदानों तथा एक विनियोजन में ₹ 10 करोड़ से अधिक की अनवरत बचतें थी जो कुल अनुदानों का 10 प्रतिशत या उससे अधिक भी थी जैसा कि नीचे तालिका में दिया गया है।

तालिका 1.2: अनवरत बचतें दर्शाने वाले अनुदान

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान की संख्या एवं नाम	बचत की राशि				
		2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
राजस्व (दत्तमत)						
1.	07-आयोजना एवं सांख्यिकी	237.74 (58)	283.17 (62)	10.76 (26)	22.00 (37)	18.24 (34)
2.	11-खेल एवं युवा कल्याण	84.43 (27)	105.84 (25)	211.20 (46)	114.86 (29)	114.93 (28)
3.	14-शहरी विकास	63.06 (37)	12.47 (13)	53.95 (51)	38.93 (36)	477.33 (82)
4.	15-स्थानीय शासन	1,407.70 (43)	879.77 (25)	1,462.93 (27)	2,168.63 (43)	2,263.66 (41)
5.	17-रोजगार	29.62 (38)	16.12 (23)	56.52 (24)	45.37 (13)	69.75 (15)
6.	18-औद्योगिक प्रशिक्षण	30.39 (12)	52.67 (19)	122.11 (29)	185.11 (37)	201.65 (31)
7.	19-अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों का कल्याण	323.20 (49)	213.79 (27)	357.63 (47)	325.97 (45)	226.64 (44)
8.	21-महिला एवं बाल विकास	268.23 (27)	368.88 (33)	232.26 (22)	476.58 (34)	409.27 (29)
9.	24-सिंचाई	359.16 (21)	512.12 (27)	519.63 (27)	214.32 (13)	265.50 (15)
10.	25-उद्योग	70.33 (56)	436.29 (62)	234.39 (64)	343.58 (61)	60.84 (19)
11.	27-कृषि	374.19 (27)	826.91 (43)	648.44 (34)	956.78 (35)	1,542.96 (50)
12.	28-पशु पालन	171.88 (25)	110.83 (15)	88.83 (12)	107.55 (12)	183.11 (18)
13.	30-वन एवं वन्य जीवन	76.92 (19)	97.95 (26)	142.21 (31)	143.96 (32)	178.39 (35)
14.	32-ग्रामीण एवं सामुदायिक विकास	815.54 (28)	366.90 (10)	1,193.68 (26)	1,261.75 (26)	1,341.36 (25)
15.	34-परिवहन	259.83 (13)	283.94 (13)	277.38 (12)	406.76 (16)	387.16 (16)
16.	37-चुनाव	15.49 (22)	11.24 (20)	38.15 (53)	30.63 (40)	171.11 (56)
पूंजीगत (दत्तमत)						
17.	18-औद्योगिक प्रशिक्षण	14.74 (32)	16.99 (36)	14.30 (37)	53.33 (78)	32.13 (42)
18.	21-महिला एवं बाल विकास	168.82 (79)	37.37 (34)	110.87 (64)	77.01 (48)	127.84 (88)
19.	34-परिवहन	79.85 (38)	149.58 (57)	45.64 (17)	163.57 (47)	488.07 (88)
20.	38-जन-स्वास्थ्य एवं जलापूर्ति	323.70 (28)	310.50 (25)	273.98 (19)	294.53 (17)	296.86 (20)
पूंजीगत (भारित)						
21.	लोक ऋण	2,820.83 (28)	4,401.67 (45)	3,606.12 (36)	2,081.88 (11)	4,481.64 (22)

कोष्ठकों में आंकड़े कुल प्रावधान से बचत की प्रतिशतता दर्शाते हैं।

स्रोत: संबंधित वर्षों के विनियोजन लेखे

1.4 भारत सरकार से सहायता अनुदान

2019-20 में भारत सरकार से सहायता अनुदानों में पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 3,448.37 करोड़ (48.75 प्रतिशत) की वृद्धि हुई जैसा कि नीचे तालिका में दर्शाया गया है।

तालिका 1.3: भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान

विवरण	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
गैर-योजनागत अनुदान	3,744.39	3,078.49	-	-	-
राज्य प्लान स्कीमों के लिए अनुदान	2,268.18	2,327.52	-	-	-
केंद्रीय प्लान स्कीमों के लिए अनुदान	27.53	34.50	-	-	-
केंद्र प्रायोजित स्कीमों के लिए अनुदान	338.66	237.07	2,326.62	2,843.09	2,851.99
वित्त आयोग अनुदान	-	-	1,316.68	1,274.26	2,005.74
जी.एस.टी. के कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाले राजस्व के नुकसान के लिए क्षतिपूर्ति			1,199.00	2,820.00	5,453.43
राज्यों को अन्य अंतरण/अनुदान	-	-	342.82	136.19	210.75
कुल	6,378.76 (28)	5,677.58 (-11)	5,185.12 (-9)	7,073.54 (36)	10,521.91 (49)

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

उपर्युक्त के अतिरिक्त भारत सरकार, विभिन्न स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए बड़ी मात्रा में निधियां राज्य की कार्यान्वयन एजेंसियों को सीधे ही हस्तांतरित कर रही थी। भारत सरकार ने 2014-15 के बाद इन निधियों को राज्य के बजट के माध्यम से हस्तांतरित करने का निर्णय लिया था। तथापि, 2019-20 के दौरान भारत सरकार ने राज्य में विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों/गैर-सरकारी संगठनों को सीधे तौर पर ₹ 4,351.10 करोड़ हस्तांतरित किए।

1.5 लेखापरीक्षा का आयोजन तथा संचालन

लेखापरीक्षा प्रक्रिया विभिन्न विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सा.क्षे.उ.) और योजनाओं/परियोजनाओं सहित स्वायत्त निकायों में जोखिमों के आकलन से शुरू होती है, जिसमें गतिविधियों का महत्व/जटिलता, प्राप्त वित्तीय शक्तियों का स्तर, आंतरिक नियंत्रण, संबंधित हितधारकों की अपेक्षाओं तथा पिछले लेखापरीक्षा परिणामों का आकलन शामिल किया जाता है। जोखिम के आधार पर, लेखापरीक्षा की आवृत्ति तथा सीमा निश्चित की जाती है तथा वार्षिक लेखापरीक्षा योजना तैयार की जाती है।

लेखापरीक्षा की समाप्ति के पश्चात, लेखापरीक्षा परिणामों से समाविष्ट निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय अध्यक्ष/प्रबंधन को चार सप्ताह के अंदर उत्तर प्रस्तुत करने के आग्रह के साथ जारी किया जाता है। उत्तर के आधार पर या तो लेखापरीक्षा परिणामों का समाधान कर दिया जाता है अथवा अनुपालना के लिए अगली कार्रवाई का सुझाव दिया जाता है। इन निरीक्षण प्रतिवेदनों में उठाई गई महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत हरियाणा के राज्यपाल को प्रस्तुत किए जाने होते हैं, में शामिल करने के लिए तैयार किया जाता है।

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), हरियाणा के कार्यालय द्वारा 2019-20 के दौरान, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19(1) के अंतर्गत 6,321 लेखापरीक्षा योग्य इकाइयों में से 559 विभागीय लेखापरीक्षिती इकाइयों, सार्वजनिक क्षेत्र के 16 उपक्रमों की 51 लेखापरीक्षिती इकाइयों और धारा 19(1), 19(2), 19(3) तथा 20(1) के अंतर्गत छः स्वायत्त निकायों की 44 लेखापरीक्षिती इकाइयों की अनुपालन लेखापरीक्षा की गई थी।

1.6 महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां तथा सरकार के लेखापरीक्षा को उत्तर

पिछले कुछ वर्षों में लेखापरीक्षा ने चयनित विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में आंतरिक नियंत्रणों की गुणवत्ता के अतिरिक्त विभिन्न कार्यक्रमों/गतिविधियों के कार्यान्वयन में कई महत्वपूर्ण कमियों, जिनका विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यक्रमों तथा कार्यविधियों की सफलता पर नकारात्मक प्रभाव है, पर रिपोर्ट किया है। लेखापरीक्षा का मुख्य उद्देश्य नागरिक सेवाओं में सुधार लाने हेतु कार्यकारिणी/प्रबंधन को उचित सिफारिशें देना था। विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा छः सप्ताह की समय अवधि में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल करने के लिए प्रस्तावित प्रारूप अनुच्छेदों पर अपनी प्रतिक्रिया भेजनी अपेक्षित है।

इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में 19 अनुपालन लेखापरीक्षा अनुच्छेद शामिल हैं, जो संबंधित प्रशासनिक सचिवों को अग्रेषित किए गए थे। नौ अनुपालन लेखापरीक्षा अनुच्छेदों (गैर-सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के पांच और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के चार) के संदर्भ में प्रशासनिक विभागों के उत्तर प्राप्त हुए हैं जिन्हें लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में उपयुक्त रूप से सम्मिलित कर लिया गया है।

इस प्रतिवेदन पर 26 अगस्त 2021 को एग्जिट कांफ्रेंस में हरियाणा सरकार के प्रशासनिक सचिवों, विभागीय प्रमुखों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के प्रबंध निदेशकों और संबंधित विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अन्य प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की गई थी। सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के प्रबंधन के दृष्टिकोणों पर विधिवत विचार किया गया है और प्रतिवेदन में उपयुक्त रूप से सम्मिलित कर लिया है।

1.7 लेखापरीक्षा के दृष्टांत पर वसूलियां

सरकारी विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लेखाओं की नमूना-लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आए वसूलियों से आवेष्टित लेखापरीक्षा परिणाम, विभिन्न विभागीय आहरण एवं संवितरण अधिकारियों/प्रबंधनों को पुष्टि तथा आवश्यक कार्रवाई करके लेखापरीक्षा को सूचित करने हेतु भेजे गए थे। निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से लेखापरीक्षा द्वारा उल्लिखित किए जाने के पश्चात् विभिन्न विभागों द्वारा 2019-20 के दौरान 25 मामलों में ₹ 1,00,534 करोड़ में से ₹ 2.19 करोड़ की राशि वसूल की गई थी।

1.8 लेखापरीक्षा के प्रति सरकार की संवेदनशीलता

सरकारी विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के आवधिक निरीक्षणों के बाद प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदन लेखापरीक्षित कार्यालयों के अध्यक्षों को जारी किए जाते हैं तथा उच्चतर प्राधिकारियों/प्रबंधनों को प्रतियां भेजी जाती हैं। कार्यकारी प्राधिकारियों/प्रबंधनों से इंगित की गई त्रुटियों तथा चूकों को तत्परता से दूर करने और चार सप्ताह के अंदर प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को अनुपालना सूचित करने की अपेक्षा की जाती है। लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों में लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों की मानीटरिंग तथा अनुपालना को सुगम बनाने के लिए, छः माह से अधिक लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों की अर्ध-वार्षिक रिपोर्टें संबंधित प्रशासनिक सचिवों को भेजी जाती हैं। सितंबर 2020 तक, विभिन्न विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और स्वायत्त निकायों से संबंधित विभिन्न लेखापरीक्षा योग्य इकाइयों के विरुद्ध 8,214 निरीक्षण प्रतिवेदनों से संबंधित कुल 25,502 अनुच्छेद विभिन्न समूहों के अंतर्गत लंबित थे, जैसा कि नीचे तालिका में वर्णित है:

तालिका 1.4: लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों तथा अनुच्छेदों का वर्षवार विघटन

(₹ करोड़ में)

वर्ष	निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	अनुच्छेदों की संख्या	धन मूल्य
2014-15 से पहले	5,266	12,977	28,581.74
2015-16	599	2,189	55,395.77
2016-17	610	2,408	26,804.15
2017-18	630	2,521	2,55,976.30
2018-19	639	2,905	5,17,774.26
2019-20	470	2,502	1,21,116.45
कुल	8,214	25,502	10,05,648.67

स्रोत: प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) कार्यालय के निरीक्षण प्रतिवेदन रजिस्ट्रों से ली गई सूचना

सितंबर 2020 तक लंबित इन निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से इंगित की गई अनियमितताओं के श्रेणी-वार विवरण **परिशिष्ट 1.2** में दिए गए हैं।

चिकित्सा विभाग के मार्च 2020 तक लेखापरीक्षित विभिन्न कार्यालयों से संबंधित निरीक्षण प्रतिवेदनों की समीक्षा के दौरान पाया गया कि अगस्त 2020 के अंत तक ₹ 484.08 करोड़ की राशि वाले 306 निरीक्षण प्रतिवेदनों के 754 अनुच्छेद लंबित थे जैसा कि नीचे तालिका में दर्शाया गया है।

तालिका 1.5: लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों तथा अनुच्छेदों का वर्षवार विघटन

(₹ करोड़ में)

वर्ष	निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	अनुच्छेदों की संख्या	राशि
1992-93 से 2014-15	204	366	67.71
2015-16	14	34	8.38
2016-17	25	72	93.66
2017-18	27	126	270.03
2018-19	17	74	28.82
2019-20	19	82	15.48
कुल	306	754	484.08

स्रोत: प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) कार्यालय के निरीक्षण प्रतिवेदन रजिस्ट्रों से ली गई सूचना

अगस्त 2020 तक लंबित इन निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से इंगित की गई अनियमितताओं के श्रेणी-वार विवरण **परिशिष्ट 1.3** में दिए गए हैं।

1.9 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्तन

1.9.1 लोक लेखा समिति (लो.ले.स.)

हरियाणा सरकार, वित्त विभाग द्वारा जारी (अक्टूबर 1995) तथा मार्च 1997 एवं जुलाई 2001 में दोहराए गए अनुदेशों के अनुसार प्रशासनिक विभागों द्वारा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रस्तुत किए गए सभी लेखापरीक्षा अनुच्छेदों पर, इस बात को ध्यान में रखे बिना कि ये मामले लोक लेखा समिति (लो.ले.स.) द्वारा जांच हेतु लिए गए हैं या नहीं, स्वतः कार्रवाई आरंभ की जानी अपेक्षित है। प्रशासनिक विभागों से विधानमंडल को लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रस्तुतीकरण के तीन माह के अंदर उनके द्वारा की गई अथवा की जाने वाली सुधारात्मक कार्रवाई दर्शाते हुए कृत कार्रवाई टिप्पणियां प्रस्तुत करनी अपेक्षित थीं।

वर्ष 2016-17 के लिए सामाजिक, सामान्य और आर्थिक क्षेत्रों (गैर-सा.क्षे.उ.) पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर वर्ष 2019-20 के दौरान लोक लेखा समिति में चर्चा की गई है। वर्ष 2017-18 के लिए सामाजिक, सामान्य और आर्थिक क्षेत्रों (गैर-सा.क्षे.उ.) पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, जिसमें निष्पादन लेखापरीक्षा सहित 24 अनुच्छेद सम्मिलित थे, 26 नवंबर 2019 को राज्य विधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, जिनमें से नौ अनुच्छेदों पर चर्चा की गई थी और आठ प्रशासनिक विभागों (**परिशिष्ट 1.4**) से संबंधित वर्ष 2017-18 के लिए सामाजिक, सामान्य और आर्थिक क्षेत्रों (गैर-सा.क्षे.उ.) पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के शेष 15 अनुच्छेदों (निष्पादन लेखापरीक्षा सहित) पर लोक लेखा समिति में अभी चर्चा की जानी शेष थी (नवंबर 2020)। परिवहन विभाग से संबंधित एक अनुच्छेद पर कृत कार्रवाई टिप्पणी प्रस्तुत नहीं की गई थी (नवंबर 2020)। आगे, 18 प्रशासनिक विभागों ने वर्ष 2000-01 से 2017-18 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से संबंधित निष्पादन लेखापरीक्षा सहित 34 अनुच्छेदों के संबंध में ₹ 13,236.81 करोड़ की राशि की वसूली हेतु कोई कार्रवाई नहीं की, जैसा कि **परिशिष्ट 1.5** में विवरण दिया गया है।

लोक लेखा समिति की सिफारिशों की ओर प्रशासनिक विभागों की प्रतिक्रिया प्रोत्साहक नहीं थी क्योंकि लोक लेखा समिति की 9वीं से 80वीं रिपोर्ट में समाहित 1971-72 से 2016-17 तक की अवधि हेतु लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से संबंधित 788 सिफारिशों के संबंध में संबंधित प्रशासनिक विभागों द्वारा अंतिम कार्रवाई अब तक प्रतीक्षित थी, जैसा कि **परिशिष्ट 1.6** में विवरण दिया गया है।

1.9.2 लोक उपक्रम समिति (कोपू)

1.9.2.1 उत्तर बकाया

वित्त विभाग, हरियाणा सरकार ने सभी प्रशासनिक विभागों को निर्देश जारी किए (जुलाई 2002) कि वे भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों में शामिल अनुच्छेदों/निष्पादन लेखापरीक्षाओं के उत्तर/व्याख्यात्मक टिप्पणियां विधानमंडल को प्रस्तुत करने के बाद तीन महीने की अवधि के अंदर लोक उपक्रम समिति (कोपू) से किसी भी प्रश्नावली की प्रतीक्षा किए बिना निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करें।

तालिका 1.6: एस.पी.एस.ई. से संबंधित लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर व्याख्यात्मक टिप्पणियों की स्थिति (31 मार्च 2021 तक)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	राज्य विधानमंडल में लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की तिथि	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में कुल निष्पादन लेखापरीक्षाएं/अनुच्छेद		निष्पादन लेखापरीक्षाओं/अनुच्छेदों की संख्या जिनकी व्याख्यात्मक टिप्पणियां प्राप्त नहीं हुई थीं	
		निष्पादन लेखापरीक्षा	अनुच्छेद	निष्पादन लेखापरीक्षा	अनुच्छेद
2016-17	14 मार्च 2018	1	17	-	1
2017-18	26 नवंबर 2019	1	12	1	5
2018-19	5 मार्च 2021	1	14	अभी देय नहीं है।	

स्रोत: हरियाणा सरकार के संबंधित विभागों से प्राप्त व्याख्यात्मक टिप्पणियों पर आधारित संकलन

31 मार्च 2021 तक 11 विभागों के पास एक निष्पादन लेखापरीक्षा तथा छः अनुपालन लेखापरीक्षा अनुच्छेदों पर व्याख्यात्मक टिप्पणियां लंबित थीं।

1.9.2.2 कोपू द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की चर्चा

31 मार्च 2021 को कोपू द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (सा.क्षे.उ.) में प्रकट एस.पी.एस.ई. से संबंधित निष्पादन लेखापरीक्षाओं और अनुच्छेदों की चर्चा की स्थिति निम्नानुसार थी:

तालिका 1.7: 31 मार्च 2021 को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में प्रकट की तुलना में चर्चा की गई निष्पादन लेखापरीक्षा/अनुच्छेद

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की अवधि	निष्पादन लेखापरीक्षाओं/अनुच्छेदों की संख्या			
	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में प्रकट		चर्चा किए गए अनुच्छेद	
	निष्पादन लेखापरीक्षा	अनुच्छेद	निष्पादन लेखापरीक्षा	अनुच्छेद
2016-17	1	17	-	11
2017-18	1	12	-	-
2018-19	1	14	-	-

स्रोत: लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर कोपू की चर्चा के आधार पर संकलित

2015-16 तक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सा.क्षे.उ.) पर चर्चा पूरी हो गई है।

1.9.2.3 लोक उपक्रम समिति (कोपू) के प्रतिवेदनों का अनुपालन

मार्च 2011 और मार्च 2020 के मध्य राज्य एस.पी.एस.ई. से संबंधित राज्य विधानसभा को प्रस्तुत कोपू के सात प्रतिवेदनों पर कृत कार्रवाई टिप्पणियां (ए.टी.एन.) प्राप्त नहीं हुई थी (31 मार्च 2021) जैसा कि नीचे तालिका में इंगित किया गया है:

तालिका 1.8: कोपू के प्रतिवेदनों का अनुपालन

कोपू रिपोर्ट का वर्ष	कोपू रिपोर्टों की कुल संख्या	कोपू रिपोर्ट में सिफारिशों की कुल संख्या	सिफारिशों की संख्या जिनकी ए.टी.एन. प्राप्त नहीं हुई
2013-14	1	10	1 (अनुच्छेद संख्या 6)
2014-15	1	12	1 (अनुच्छेद संख्या 5)
2015-16	1	16	1 (अनुच्छेद संख्या 14)
2016-17	1	15	5 (अनुच्छेद संख्या 1 से 5)
2017-18	1	23	8 (अनुच्छेद संख्या 6, 15, 18 से 23)
2018-19	1	7	2 (अनुच्छेद संख्या 5 एवं 7)
2019-20	1	9	9 (अनुच्छेद संख्या 1 से 9)
कुल	7	92	27

स्रोत: हरियाणा सरकार के संबंधित विभागों से कोपू की सिफारिशों पर प्राप्त ए.टी.एन. पर आधारित संकलन

कोपू के उपर्युक्त प्रतिवेदनों में उन अनुच्छेदों के संबंध में सिफारिशें थी जो 2009-10 से 2015-16 की अवधि के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में प्रकाशित हुए थे।

1.10 राज्य विधान सभा में स्वायत्त निकायों और सांविधिक निगमों के पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रस्तुतीकरण की स्थिति

शहरी विकास, आवास, श्रम कल्याण, कृषि तथा न्याय के क्षेत्र में सरकार द्वारा कई स्वायत्त निकाय स्थापित किए गए हैं। राज्य में 36 स्वायत्त निकायों और दो सांविधिक निगमों के लेखों की लेखापरीक्षा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को सौंपी गई है। लेखापरीक्षा सौंपने, लेखापरीक्षा को लेखों की सुपुर्दगी, पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को जारी करने तथा विधानसभा में इनके प्रस्तुतीकरण की स्थिति **परिशिष्ट 1.7** में दर्शाई गई है।

12 स्वायत्त निकायों और दो सांविधिक निगमों के संबंध में लेखों के प्रस्तुतीकरण में एक वर्ष से तीन वर्ष तक का विलंब रहा। लेखों के अंतिमकरण में विलंब के कारण वित्तीय अनियमितताओं को न खोज पाने का जोखिम बढ़ता है इसलिए लेखों को शीघ्र अंतिमकृत करके लेखापरीक्षा को प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता है।

अध्याय 2
सामाजिक, सामान्य तथा आर्थिक क्षेत्र
(विभाग)

अध्याय 2

सामाजिक, सामान्य तथा आर्थिक क्षेत्र (विभाग)

खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग

2.1 कम ब्याज प्रभारों के विलंबित दावे के कारण राज्य के राजकोष को हानि

विभागीय अधिकारियों ने भारतीय खाद्य निगम से ₹ 161.10 करोड़ के ब्याज प्रभारों के दावों को 199 से 921 दिनों तक विलंबित किया जिसके परिणामस्वरूप कैश क्रेडिट पर ब्याज के कारण ₹ 13.15 करोड़ का अतिरिक्त भार पड़ा। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार द्वारा किए गए संशोधनों की गलत व्याख्या के कारण ₹ 30.68 करोड़ के कम दावे किए गए थे।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग भारतीय स्टेट बैंक से कैश क्रेडिट का लाभ उठाकर न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों से केंद्रीय पूल के लिए भारतीय खाद्य निगम की ओर से धान की खरीद करता है। भारतीय खाद्य निगम को कस्टम मिल्ड राइस की डिलीवरी के समय विभाग कस्टम मिल्ड राइस की अनंतिम दरों पर दावे करता है जिसमें मंडी श्रम प्रभार, शुष्कता प्रभार, ब्याज प्रभार¹ इत्यादि शामिल होते हैं। भारतीय खाद्य निगम द्वारा खरीफ विपणन सीजन 2016-17 तक दो महीने की निश्चित अवधि के लिए ब्याज का भुगतान किया गया था। हालांकि, भारत सरकार ने ब्याज प्रभारों (खरीफ विपणन सीजन 2013-14 से प्रभावी) के संबंध में संशोधन (नवंबर 2015) किए जो निम्नानुसार हैं:

- (i) अनुमोदित खरीद अवधि के भीतर अर्थात् 1 अक्टूबर से 15 दिसंबर तक, भारतीय खाद्य निगम को डिलीवर किए गए कस्टम मिल्ड राइस के लिए अनुमोदित खरीद अवधि की शुरुआत से अर्थात् 1 अक्टूबर से कस्टम मिल्ड राइस की वास्तविक डिलीवरी की तारीख तक, आधी अवधि के लिए ब्याज प्रभारों की अनुमति होगी।
- (ii) अनुमोदित खरीद अवधि के बाद अर्थात् 15 दिसंबर के बाद, भारतीय खाद्य निगम को डिलीवर किए गए कस्टम मिल्ड राइस के लिए अनुमोदित खरीद अवधि के आधे (अर्थात् 37 दिन) और अनुमोदित खरीद अवधि के बाद कस्टम मिल्ड राइस की वास्तविक डिलीवरी की तारीख तक की पूरी अवधि के लिए ब्याज प्रभारों की अनुमति होगी।

छः² जिलों के खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले नियंत्रकों (जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रकों) के अभिलेखों की संवीक्षा (मार्च और अगस्त 2020 के मध्य) के दौरान यह पाया गया कि खरीफ विपणन सीजन³ 2017-18 और 2018-19 के लिए जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रकों ने

¹ धान की खरीद से लेकर भारतीय खाद्य निगम को चावल की डिलीवरी की तारीख तक की अवधि के लिए विभाग द्वारा लगाई गई पूंजी पर ब्याज प्रभार।

² (i) अंबाला, (ii) फतेहाबाद, (iii) कैथल, (iv) करनाल, (v) कुरुक्षेत्र और (vi) यमुनानगर।

³ 1 अक्टूबर से कस्टम मिल्ड राइस की डिलीवरी की अंतिम तिथि तक जैसा कि भारतीय खाद्य निगम द्वारा बढ़ाया गया।

भारतीय खाद्य निगम को कस्टम मिल्ड राइस की सुपुर्दगी के समय बिक्री बिलों में नई व्यवस्था के अनुसार ब्याज प्रभारों का दावा नहीं किया था। ₹ 161.10 करोड़ के ब्याज प्रभारों के समेकित अनुपूरक दावों को विलंब से प्रस्तुत किया गया था जिसके परिणामस्वरूप ब्याज प्रभारों की प्राप्ति में 199 से 921 दिनों तक का विलंब हुआ, जैसा कि नीचे तालिका में वर्णित है:

(₹ करोड़ में)

जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रक	तक का विलंब (दिनों में)	विलंबित ब्याज दावे की राशि	राजकोष पर ब्याज भार
करनाल	654	41.89	2.74
कुरुक्षेत्र	921	42.65	5.30
कैथल	749	21.83	2.17
अंबाला	502	14.48	1.47
यमुनानगर	427	12.52	0.72
फतेहाबाद	199	27.73	0.75
कुल		161.10	13.15

चूंकि विभाग खरीद गतिविधियों के लिए कैश क्रेडिट का लाभ उठाता है, यह विभाग के वित्तीय हित में है कि वह समय पर प्रतिपूर्ति का दावा करे और ब्याज की देयता को कम करे। इस प्रकार, विभाग ने ब्याज प्रभारों की प्राप्ति में विलंब के कारण ₹ 13.15 करोड़ के अतिरिक्त ब्याज का भुगतान किया।

ब्याज प्रभार के दावों की प्राप्ति में जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रक-वार विलंब और उन पर ₹ 13.15 करोड़ (खरीफ विपणन सीजन 2017-18 के लिए ₹ 6.80 करोड़ और खरीफ विपणन सीजन 2018-19 के लिए ₹ 6.35 करोड़) की हानि **परिशिष्ट 2.1** में दी गई है।

आगे, लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया कि अंबाला, करनाल और यमुनानगर के जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रकों ने कस्टम मिल्ड राइस की वास्तविक सुपुर्दगी की तारीख तक अनुमोदित खरीद अवधि की शुरुआत से आधी अवधि के लिए गलती से ब्याज प्रभारों का दावा किया था जबकि 15 दिसंबर के बाद ब्याज प्रभार पूरी अवधि के लिए वसूलनीय थे। इस प्रकार, उन्होंने खरीफ विपणन सीजन 2017-18 और 2018-19 के लिए ₹ 30.68 करोड़ की कम ब्याज राशि का दावा किया गया (**परिशिष्ट 2.2**)।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने के बाद जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रकों ने ₹ 28.65 करोड़ का दावा किया और ₹ 27.56 करोड़ प्राप्त किए जैसा कि नीचे तालिका में दिया गया है:

(₹ करोड़ में)

जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रक	लेखापरीक्षा के दौरान अवलोकित कम दावे	जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रक द्वारा भारतीय खाद्य निगम को प्रस्तुत किए गए दावे	प्राप्त राशि
अंबाला	5.15	5.04	5.04
करनाल	17.97	15.71	15.70
यमुनानगर	7.56	7.90	6.82
कुल	30.68	28.65	27.56

खरीफ विपणन सीजन 2017-18 और 2018-19 के लिए कस्टम मिल्ड राइस की आपूर्ति के समय नियमित बिलों के माध्यम से ₹ 161.10 करोड़ के ब्याज प्रभारों का दावा करने में विभाग की विफलता के परिणामस्वरूप ब्याज प्रभारों की प्राप्ति में देरी हुई जिसके कारण राज्य के राजकोष पर ₹ 13.15 करोड़ का अतिरिक्त भार पड़ा। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार द्वारा किए गए संशोधनों की गलत व्याख्या के कारण ₹ 30.68 करोड़ के कम दावे किए गए थे।

निदेशक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग ने सूचित किया (मार्च 2021) कि संबंधित जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रकों को ब्याज की परिहार्य हानि के लिए उत्तरदायी कर्मचारियों की सूची देने के लिए कहा गया था। इसके अतिरिक्त, सभी जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रकों को भी निर्देश जारी (मार्च 2021) किए गए थे कि कस्टम मिल्ड राइस के मूल बिलों के साथ भारतीय खाद्य निगम को ब्याज के दावे प्रस्तुत करें। विभाग ने यह भी स्वीकार किया कि विभाग द्वारा भारतीय खाद्य निगम को दावे प्रस्तुत करने में कुछ मुद्दे थे।

राज्य सरकार ने आगे प्रस्तुत किया (सितंबर 2021) कि भारतीय खाद्य निगम से ब्याज प्रभारों का विलंबित दावा मुख्य रूप से कर्मचारियों की तैनाती न करने और कर्मचारियों को चुनाव ड्यूटी में लगाने, कस्टम मिल्ड राइस की संपूर्ण मात्रा की आपूर्ति से पहले दावों का निपटान करने के लिए भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों द्वारा मौखिक रूप से इनकार करने के कारण था। भारतीय खाद्य निगम भी आपत्ति नहीं कर रहा था जब कम दावे प्रस्तुत किए गए थे। यह भी सूचित किया गया था कि जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रकों ने ब्याज की हानि के लिए उत्तरदायी कर्मचारियों/अधिकारियों के नामों की सूचना नहीं दी।

सिफारिश: राज्य सरकार भारतीय खाद्य निगम को पूर्ण दावे समय पर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र स्थापित करने पर विचार करे। इसके अतिरिक्त, विभाग भारतीय खाद्य निगम से कम ब्याज प्रभारों के विलंबित दावों के लिए विभागीय अधिकारियों का उत्तरदायित्व नियत करने पर विचार करे जिसके परिणामस्वरूप राज्य के राजकोष पर अतिरिक्त भार पड़ा।

2.2 निगरानी पर अनियमित व्यय

जिला खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, हरियाणा गेहूं की खरीद करता है और इसे भारतीय खाद्य निगम को भेजे जाने तक ढके हुए गोदामों और खुले प्लिंथों में रखता है। भंडारित गेहूं की सुरक्षा के लिए विभाग ने सेवा प्रदाताओं के माध्यम से निगरानी स्टाफ तैनात किए। निदेशक, खाद्य एवं आपूर्ति ने भंडारित खाद्यान्नों की निगरानी और रख-रखाव के लिए सांकेतिक मानदंड जारी (मई 2016) किए। मानकों के अनुसार, 10,000-25,000 मीट्रिक टन के मध्य खुले गेहूं के स्टॉक के लिए या चारदीवारी रहित पांच एकड़ से अधिक क्षेत्रफल वाले

खुले प्लिंथ के लिए तीन शिफ्टों⁴ में दस चौकीदारों को तैनात किया जा सकता है। चारदीवारी रहित आस-पास के एक ही क्षेत्र में विभिन्न फर्मों के प्लिंथ, निगरानी स्टाफ की तैनाती के उद्देश्य से एक प्लिंथ बन जाएगा। इसके अतिरिक्त, सभी जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रकों द्वारा निदेशक, खाद्य एवं आपूर्ति को सभी तथ्यों और औचित्य के साथ प्रत्येक भंडारण बिंदु के लिए निगरानी की आवश्यकता के संबंध में प्रस्ताव प्रस्तुत करना अपेक्षित था तथा निदेशक, खाद्य एवं आपूर्ति की मंजूरी के अनुसार निगरानी स्टाफ को तैनात किया जा सकता है।

जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रक, करनाल के अभिलेखों की संवीक्षा (सितंबर 2019 और मई 2020 के मध्य) के दौरान यह देखा गया था कि मैसर्स एस.एम. इंटरप्राइजेज, कैथल को निगरानी स्टाफ उपलब्ध करवाने का कार्य सौंपा गया था। विभाग ने गेहूं के भंडारण के लिए वर्ष 2018-19 और 2019-20 के लिए तीन खुले प्लिंथ लिए थे, अर्थात् हेमदा: 45,000 मीट्रिक टन⁵, लाठर: 25,000 मीट्रिक टन और भाटिया⁶: 25,700 मीट्रिक टन क्षमता। इन खुले प्लिंथ का क्षेत्रफल एकड़ में 5.78 एकड़ (हेमदा); 3.21 एकड़ (लाठर) और 3.30 एकड़ (भाटिया) है। नियमानुसार प्रत्येक प्लिंथ की निगरानी के लिए अधिकतम दस चौकीदारों को तैनात किया जाना चाहिए।

तथापि, सेवा प्रदाता के बिलों की संवीक्षा के दौरान यह अवलोकित किया गया था कि खाद्य एवं आपूर्ति निरीक्षकों ने प्लिंथों को विभाजित कर दिया और तीन प्लिंथों पर अधिकतम 30 चौकीदारों के मानदंड के विरुद्ध 43 एवं 112 के मध्य चौकीदार मासिक आधार पर तैनात किए गए थे (**परिशिष्ट 2.3**)। जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रक, करनाल ने अतिरिक्त निगरानी स्टाफ की तैनाती के लिए निदेशक, खाद्य एवं आपूर्ति से अनुमोदन प्राप्त नहीं किया। अप्रैल 2018 और सितंबर 2019 के मध्य, जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रक, करनाल ने 1,384 चौकीदारों के लिए कुल ₹ 3.22 करोड़ का भुगतान किया, जिसमें से मासिक आधार पर 856 अतिरिक्त चौकीदारों की तैनाती के लिए ₹ 1.99 करोड़ (**परिशिष्ट 2.4**) का अनियमित व्यय किया गया था।

इस प्रकार, विभागीय मानकों के उल्लंघन में अतिरिक्त निगरानी स्टाफ की तैनाती हेतु प्लिंथों का विभाजन कर जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रक, करनाल ने ₹ 1.99 करोड़ का अनियमित व्यय किया था।

मामला राज्य सरकार के पास भेजा गया था (जनवरी 2021); तथा उसके बाद मार्च और जुलाई 2021 में अनुस्मारक जारी किए गए थे; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (सितंबर 2021)।

⁴ शिफ्ट (i): सुबह 6:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक (तीन चौकीदार); शिफ्ट (ii): दोपहर 2:00 बजे से रात 10:00 बजे तक (तीन चौकीदार); और शिफ्ट (iii): रात 10:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक (चार चौकीदार)।

⁵ मीट्रिक टन में गोदाम की क्षमता की गणना एकड़ में क्षेत्र को वर्ग फुट में 5.6 से विभाजित करके की जा सकती है। इस प्रकार, इन गोदामों का क्षेत्रफल इस प्रकार होगा: हेमदा: 5.78 एकड़, लाठर: 3.21 एकड़ और भाटिया: 3.30 एकड़।

⁶ भाटिया खुले प्लिंथ की क्षमता वर्ष 2019-20 के लिए बढ़कर 75,000 मीट्रिक टन हो गई।

एग्जिट कांफ्रेंस (अगस्त 2021) के दौरान विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया।

सिफारिश: राज्य सरकार अधिक निगरानी स्टाफ की तैनाती एवं ₹ 1.99 करोड़ का अनियमित व्यय करने के लिए खाद्य एवं आपूर्ति निरीक्षकों एवं जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रक का उत्तरदायित्व नियत करने पर विचार करे।

खेल एवं युवा कार्यक्रम विभाग

2.3 सरकारी निधियों की पार्किंग

खेल एवं युवा कार्यक्रम विभाग ने सात जिला खेल परिषदों और एक नवगठित खेल एवं शारीरिक स्वास्थ्य प्राधिकरण को मार्च 2016 से जनवरी 2018 के मध्य तत्काल आवश्यकता के बिना ₹ 10.09 करोड़ जारी किए जिसके परिणामस्वरूप चार साल से अधिक समय तक निधियों को सरकारी खातों के बाहर रखा गया और राज्य को ₹ 3.38 करोड़ के ब्याज की हानि हुई।

पंजाब वित्तीय नियम खंड-1 के नियम 2.10 (बी) 5 में यह प्रावधान है कि व्यय करने वाले प्राधिकारियों को यह देखना चाहिए कि कोषागार से कोई राशि तब तक नहीं निकाली जानी चाहिए जब तक कि तत्काल संवितरण की आवश्यकता न हो या पहले से ही स्थायी अग्रिम से भुगतान न किया गया हो। ऐसे कार्यों के निष्पादन के लिए कोषागार से अग्रिम आहरित करने की अनुमति नहीं है, जिनके पूरा होने में काफी समय लगने की संभावना हो। वित्त विभाग ने भी विशिष्ट निर्देश जारी किए (फरवरी 2009) कि बजटीय आवंटन के बल पर संचित निधि में से आहरित निधियों को रखने की अनुमति नहीं है तथा यह गंभीर वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आता है। इसने इस बात पर जोर दिया कि चालू वित्तीय वर्ष के लिए किए गए बजटीय आवंटन को समेकित निधि से निकालने की अनुमति नहीं है और वित्तीय वर्ष के समापन के बाद किसी भी तरह से और किसी भी औचित्य/योग्यता/धारणा के बिना इसे अपने पास रखने की अनुमति नहीं है और यह गंभीर अनियमितता है।

निदेशक, खेल एवं युवा कार्यक्रम विभाग (विभाग) हरियाणा, पंचकुला के अभिलेखों की संवीक्षा (अप्रैल 2018) और बाद में एकत्र की गई सूचना (जनवरी 2021) से पता चला कि राज्य सरकार ने मुख्य शीर्ष - 2204 - खेल एवं युवा सेवाओं के अंतर्गत अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक प्लान के अंतर्गत राज्य में विभिन्न स्थानों पर 50 बिस्तरों वाले खेल छात्रावासों का निर्माण करने के लिए ₹ 3.11 करोड़ का प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किया (अक्टूबर 2016)। विभाग ने मार्च 2016 और जनवरी 2018 के मध्य सात⁷ जिला खेल परिषदों⁸ को ₹ 6.23 करोड़ जारी किए। छः जिला खेल परिषदों ने निधियों को बचत बैंक खातों में रखा जबकि जिला खेल परिषद, झज्जर ने दिसंबर 2016 में लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें)

⁷ (i) भिवानी: ₹ एक करोड़ (मार्च से जून 2016); (ii) फतेहाबाद: ₹ एक करोड़ (जून 2016); (iii) हिसार: ₹ एक करोड़ (जून 2016); (iv) झज्जर: ₹ एक करोड़ (जून 2016); (v) करनाल: ₹ 0.63 करोड़ (जनवरी 2018); (vi) मेवात: ₹ 0.60 करोड़ (मार्च 2017); (vii) सिरसा: ₹ एक करोड़ (जून 2016)।

⁸ हरियाणा खेल परिषद अधिनियम, 2016 की धारा 9 (1) के अंतर्गत गठित जिसमें संबंधित उपायुक्त अध्यक्ष के रूप में और जिला खेल एवं युवा कार्यक्रम अधिकारी सचिव के रूप में कार्य करें।

के पास निधि जमा की। चार जिलों⁹ में भूमि की अनुपलब्धता तथा मुख्य वास्तुकार, हरियाणा द्वारा फतेहाबाद, हिसार और सिरसा में ड्राइंग एवं साइट प्लान तैयार न करने के कारण जनवरी 2021 तक इन सात खेल छात्रावासों में से किसी पर भी कोई कार्य शुरू नहीं किया गया था।

विभाग ने जिला खेल परिषदों को निधियां जारी कीं और इन्हें किसी तत्काल आवश्यकता के बिना, क्योंकि छात्रावासों के लिए साइट और ड्राइंग को अंतिम रूप नहीं दिया गया था, वर्ष 2016-17 और 2017-18 के लिए राजस्व व्यय के रूप में दर्ज किया। निधियां चार वर्षों से अधिक समय तक जिला खेल परिषदों के पास अवरुद्ध रहीं जिसने वित्तीय नियमों के प्रावधानों और वित्त विभाग के निर्देशों का उल्लंघन किया। जिला खेल परिषद, करनाल ने जनवरी 2020 में सरकारी खजाने में प्राप्ति के रूप में ₹ 0.63 करोड़ की राशि जमा की। ₹ 5.60 करोड़ की शेष निधियां अभी भी पांच जिला खेल परिषदों और लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें) के पास पड़ी थीं (मई 2021)। ₹ 6.23 करोड़ की राशि की पार्किंग के परिणामस्वरूप न केवल संबंधित वर्षों के व्यय का अधिक विवरण हुआ बल्कि राज्य पर ₹ 2.18 करोड़¹⁰ का ब्याज भार भी बढ़ा (परिशिष्ट 2.5)।

निदेशक, खेल एवं युवा कार्यक्रम ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया (जनवरी 2021) और सूचित किया कि चार जिला खेल परिषदों, जहां भूमि उपलब्ध नहीं थी, को राज्य सरकार के प्राप्ति शीर्ष में राशि जमा करने के निर्देश जारी (सितंबर 2020) किए गए थे तथा तीन छात्रावासों के लिए ड्राइंग को अंतिम रूप देने के लिए मुख्य वास्तुकार को अनुस्मारक जारी किया गया है। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि भूमि की उपलब्धता और साइट प्लान सुनिश्चित किए बिना ₹ 6.23 करोड़ जारी किए गए थे और निधियां चार वर्षों से अधिक समय से सरकारी खातों से बाहर जिला खेल परिषदों के पास पड़ी थीं।

(ii) राज्य सरकार ने राज्य में शारीरिक गतिविधि एवं खेलकूद को प्रोत्साहित करने, बढ़ावा देने और विकसित करने तथा गुणवत्तापूर्ण खेलकूद मूलभूत संरचना को विकसित करने के उद्देश्य से खेल एवं शारीरिक स्वास्थ्य प्राधिकरण नामक सोसायटी का गठन (मार्च 2016) किया। राज्य सरकार ने शीर्ष 2204 - खेल एवं युवा सेवाएं (योजना) - 104 - खेल एवं क्रीड़ा, 57 - मूलभूत संरचना योजना के अंतर्गत सहायता अनुदान के रूप में मार्च 2017 में सोसायटी को ₹ 3.86 करोड़ संस्वीकृत एवं जारी किए। निधियां सोसायटी के बचत बैंक खाते में जमा कर दी गई थीं। निधियों का उपयोग नहीं किया गया और आज तक (दिसंबर 2020) अवरुद्ध रहीं क्योंकि सोसायटी का भवन हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा नहीं सौंपा गया था और निर्माण गतिविधियों के लिए कोई तकनीकी अधिकारी नियुक्त नहीं किया गया था। इस प्रकार, किसी तत्काल आवश्यकता और उचित योजना के बिना ₹ 3.86 करोड़ जारी किए गए थे।

⁹ भिवानी, झज्जर, करनाल और नूंह।

¹⁰ राज्य सरकार के उधारों की औसत दर वर्ष 2016-17 हेतु: 8 प्रतिशत, 2017-18 हेतु: 8.10 प्रतिशत, 2018-19 हेतु: 8.81 प्रतिशत और 2019-20 हेतु: 8.31 प्रतिशत = 8.30 प्रतिशत।

विभाग ने सात जिला खेल परिषदों तथा नवगठित खेल एवं शारीरिक स्वास्थ्य प्राधिकरण को तत्काल आवश्यकता के बिना ₹ 10.09 करोड़ जारी किए जिसके परिणामस्वरूप निधियां चार वर्षों से अधिक समय से सरकारी खातों के बाहर रहीं और राज्य को ₹ 3.38 करोड़ के ब्याज की हानि हुई।

मामला राज्य सरकार के पास भेजा गया था (अप्रैल 2021); और उसके बाद जून 2021 में अनुस्मारक जारी किया गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (सितंबर 2021)।

एग्जिट कांफ्रेंस (अगस्त 2021) के दौरान विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया और बताया कि चार जिलों अर्थात् फतेहाबाद, सिरसा, हिसार और नूंह में छात्रावासों के भवन निर्माण कार्य से संबंधित मामले को साइट और ड्राइंग के अंतिमकरण के पश्चात् जल्द ही शुरू किया जाएगा और शेष मामलों में निधियां सरकार के प्राप्ति शीर्ष में जमा की जा रही हैं।

सिफारिश: राज्य सरकार एक मजबूत आंतरिक नियंत्रण प्रणाली विकसित करने पर विचार करे ताकि निधियों को सरकारी खाते के बाहर न रखा जा सके।

**नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग
(हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण)**

2.4 पट्टा धन की अवसूली के कारण हानि

हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (ह.श.वि.प्रा.) ने सैक्टर 4, रेवाड़ी में स्थित बैंक्वेट हॉल को पट्टेदार को सौंपने में एक वर्ष से अधिक के विलंब के कारण ₹ 0.49 करोड़ और पट्टा धन का भुगतान न करने पर भी पट्टेदार को संपत्ति से बेदखल न करने तथा चार वर्ष तक पट्टा धन की वसूली न करके अनुचित उपकार करने के कारण ₹ 2.95 करोड़ की हानि उठाई।

हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1977 (अधिनियम) की धारा 15 (3) हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण को अपनी किसी भी भूमि या भवन को ऐसे नियमों एवं शर्तों पर पट्टे पर देने के लिए अधिकृत करती है, जैसा कि वह प्रदान कर सकता है। अधिनियम की धारा 16 में यह प्रावधान है कि जहां कोई व्यक्ति धारा (15) के अंतर्गत किसी भूमि या भवन के किसी पट्टे के संबंध में देय किसी किराए के भुगतान में चूक करता है तो उससे ऐसी राशि भू-राजस्व के बकायों की तरह वसूल की जा सकती है। अधिनियम की धारा 18 (1) में यह प्रावधान है कि यदि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के किसी परिसर पर कब्जा करने के लिए अधिकृत किसी व्यक्ति ने दो महीने से अधिक की अवधि के लिए कानूनी रूप से देय किराए का भुगतान नहीं किया है, तो कलेक्टर या उनके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी उस व्यक्ति को परिसर/भूमि या उस पर निर्मित भवन से बेदखल करेगा और उस पर कब्जा करेगा तथा उस प्रयोजन के लिए ऐसे बल का प्रयोग करेगा जो आवश्यक हो और ऐसे व्यक्ति से इस तरह के उपायों पर खर्च की गई लागत भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल की जाएगी।

हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने सैक्टर 4, रेवाड़ी में स्थित बैंकवेट हॉल को पट्टे पर देने के लिए निविदाएं आमंत्रित कीं, जिसके लिए दो बिड प्राप्त हुईं। प्रशासक हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, गुरुग्राम की अध्यक्षता वाली एक समिति द्वारा मार्च 2014 में बिड खोली गई थीं। मैसर्स न्यू वैरायटी डेकोरेटर्स प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली (पट्टेदार) की बिड को अनुमोदित किया गया था और पट्टेदार को बैंकवेट हॉल का पट्टा तीन वर्षों के लिए 'जहां है जैसा है' के आधार पर अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान किया (जून 2014) गया था:

- ₹ 3.78 लाख का अग्रिम मासिक किराया और सेवा कर प्रत्येक माह की 7 तारीख को पट्टेदार द्वारा जमा करवाया जाना था और विलंब की स्थिति में 15 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज देय था।
- पट्टेदार द्वारा ₹ 13.60 लाख अर्थात् तीन वर्ष के लिए कुल पट्टा धन के 10 प्रतिशत के बराबर, की जमानत राशि जमा करवाई जानी अपेक्षित थी।
- सहमत नियमों एवं शर्तों में से किसी के उल्लंघन की स्थिति में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण पट्टे को समाप्त करने या रद्द करने के अतिरिक्त जमानत राशि का पूरा या कुछ हिस्सा जब्त करने का हकदार था। निरसन पर, पट्टेदार को बिना किसी प्रतिरोध एवं अवरोध के परिसर को छोड़ना एवं खाली करना था और परिसर का पूरा नियंत्रण हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण को देना था।
- आरंभिक पट्टा अवधि तीन वर्ष की थी जिसे मासिक पट्टे में 25 प्रतिशत की और वृद्धि के साथ आगे बढ़ाया जा सकता है।

संपदा अधिकारी, रेवाड़ी के कार्यालय में अभिलेखों की संवीक्षा (मार्च 2019) के दौरान यह अवलोकित किया गया था कि अनुबंध 2 सितंबर 2014 को किया गया था लेकिन ₹ 13.60 लाख की जमानत राशि दस माह की समाप्ति के बाद (जुलाई 2015) पट्टेदार द्वारा जमा करवाई गई थी। आगे यह भी देखा गया था कि आवश्यक सेवाओं के प्रावधान में कुछ कमियों के कारण 13 माह¹¹ की देरी के बाद नवंबर 2015 में पट्टेदार को कब्जा सौंपा जा सका जिसके परिणामस्वरूप इस अवधि के लिए हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण को ₹ 0.49 करोड़ की हानि हुई। कब्जा प्राप्त करने के बाद पट्टेदार ने नवंबर 2015 के महीने के लिए केवल ₹ 4.31 लाख (लाइसेंस फीस ₹ 3.78 लाख + सेवा कर) की एक किस्त का भुगतान किया और उसके बाद किसी भी राशि का भुगतान नहीं किया था।

¹¹ अनुबंध की तिथि अर्थात् सितंबर 2014 से कब्जे की तिथि से नवंबर 2015 तक: ₹ 3.78 लाख * 13 = ₹ 49.14 लाख।

दिसंबर 2015 से मासिक पट्टा धन के भुगतान में चूक के बावजूद संपदा अधिकारी, रेवाड़ी ने अधिनियम की धारा 16 (2) एवं 18 (1) के अंतर्गत पट्टा अनुबंध निरस्त करने, पट्टेदार को संपत्ति से बेदखल करने तथा भू-राजस्व के बकाया के रूप में देयों की वसूली हेतु नोटिस जारी नहीं किए। संपदा अधिकारी, रेवाड़ी ने मार्च 2019 तक अर्थात् अक्टूबर 2018 में पट्टा अनुबंध की तीन वर्ष की समाप्ति के बाद भी, 40 माह के बकाया देयों के भुगतान के लिए पट्टेदार को नोटिस भेजना जारी रखा। पट्टेदार के साथ अनुबंध समाप्ति अवधि के बाद नवीनीकृत नहीं किया गया था और अप्रैल 2019 में ही समाप्त किया गया। इस प्रकार, पट्टेदार ने अवैध रूप से नवंबर 2018 से अक्टूबर 2019 में संपत्ति से बेदखली तक परिसर पर कब्जा जारी रखा। लेकिन आज तक पट्टेदार से कोई राशि वसूल नहीं की गई। संपदा अधिकारी, रेवाड़ी ने ₹ 2.02 करोड़ की वसूली के लिए एक कानूनी नोटिस जारी किया (जनवरी 2020) लेकिन उसके बाद कोई कानूनी कार्यवाही शुरू नहीं की गई। मार्च 2021 तक, पट्टेदार से कुल ₹ 2.95 करोड़ की राशि वसूलनीय थी (दिसंबर 2015 से सितंबर 2019 की अवधि के लिए मूल पट्टा राशि ₹ 1.97 करोड़ और ब्याज राशि ₹ 0.98 करोड़)।

इस प्रकार, बैंकवेट हॉल को पट्टेदार को सौंपने में एक वर्ष से अधिक की देरी के कारण हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण को ₹ 0.49 करोड़ की हानि हुई और यहां तक कि चार साल तक लीज की राशि का भुगतान न करने और लीज की राशि की वसूली न करने पर भी पट्टेदार को अनुचित लाभ देकर संपत्ति से बेदखल न करने के कारण ₹ 2.95 करोड़ की हानि हुई।

मामला राज्य सरकार के पास भेजा गया था (अप्रैल 2021); और उसके बाद जून और अगस्त 2021 में अनुस्मारक जारी किए गए थे; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (सितंबर 2021)।

एग्जिट कांफ्रेंस (अगस्त 2021) के दौरान, विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया और बताया कि विभाग द्वारा भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूली के प्रयास लिए जा रहे थे और जमानत राशि को जब्त कर लिया गया है।

सिफारिश: राज्य सरकार हुआ अधिनियम के प्रावधानों और अनुबंध के नियमों एवं शर्तों के अनुसार पट्टेदार के विरुद्ध अपेक्षित कार्रवाई न करके अनुचित लाभ देने के कारण हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के अधिकारियों का उत्तरदायित्व तय करने पर विचार करे जिसके कारण वसूली को भू-राजस्व के बकाया के रूप में लेने के साथ-साथ हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण को ₹ 2.95 करोड़ की हानि हुई।

2.5 ठेकेदार से क्षतिपूर्ति की अवसूली

कार्यकारी अभियंता, ह.श.वि.प्रा. मंडल संख्या 1, फरीदाबाद ने एक ठेकेदार से उसके जोखिम एवं लागत पर सैक्टर 61, फरीदाबाद में जलापूर्ति, सीवरेज एवं स्टार्म वाटर ड्रेनेज उपलब्ध करवाने एवं बिछाने के कार्य को पूर्ण करने पर अधिक व्यय तथा कार्य के पूर्ण होने में विलंब के लिए लगाई गई क्षतिपूर्ति हेतु ₹ 1.61 करोड़ की वसूली के लिए कोई प्रयास नहीं किए।

मुख्य प्रशासक, ह.श.वि.प्रा., पंचकुला ने सैक्टर 61, ट्रांसपोर्ट नगर, फरीदाबाद में जलापूर्ति (₹ 3.76 करोड़), सीवरेज (₹ 1.56 करोड़) एवं स्टार्म वाटर ड्रेनेज (₹ 3.49 करोड़) उपलब्ध कराने के लिए ₹ 8.81 करोड़ के तीन प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किए (अगस्त 2014)। जलापूर्ति, सीवरेज एवं ड्रेनेज सहित तीनों कार्यों के निष्पादन के लिए ₹ 6.90 करोड़ की निविदा आमंत्रित करने हेतु एक समेकित नोटिस तैयार किया गया था।

ह.श.वि.प्रा. ने मैसर्स पीयूष कॉलोनाइजर लिमिटेड (जुलाई 2015) (ठेकेदार ए) के साथ सैक्टर 61, फरीदाबाद में जलापूर्ति, सीवरेज और स्टार्म वाटर ड्रेनेज उपलब्ध कराने और बिछाने के कार्य के निष्पादन के लिए ₹ 5.52 करोड़ का अनुबंध किया। अनुबंध समझौते की शर्तों के अनुसार, अनुबंध को 12 महीने की समय सीमा के साथ अर्थात् जुलाई 2016 तक पूरा किया जाना था। अनुबंध की शर्तों के क्लॉज 2 के अनुसार यदि ठेकेदार समय पर कार्य पूरा करने में विफल रहता है तो वह कार्य की अनुमानित लागत की अधिकतम दस प्रतिशत राशि को पेनल्टी के रूप में क्षतिपूर्ति का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। कार्यकारी अभियंता को भी अनुबंध को रद्द करने और पहले ठेकेदार के जोखिम एवं लागत पर दूसरे ठेकेदार से कार्य निष्पादित करवाने के लिए प्राधिकृत किया गया था। आगे कार्य की अनुमानित लागत के पांच प्रतिशत के बराबर जमानत राशि सफल बिडदाता से प्राप्त की जानी थी और हरियाणा लोक निर्माण कोड में परिकल्पना की गई है कि कार्यकारी अभियंता का यह कर्तव्य होगा कि वह जारीकर्ता बैंक से सीधे बैंक गारंटी की वास्तविकता के बारे में स्वतंत्र पुष्टि प्राप्त करे।

ठेकेदार से प्रदानगी राशि के पांच प्रतिशत के बराबर ₹ 28.00 लाख की निष्पादन बैंक गारंटी (विजया बैंक द्वारा 09 जुलाई 2015 को जारी 30 जून 2018 तक वैध) प्राप्त की गई थी।

ठेकेदार ने दिसंबर 2015 तक कार्य प्रारंभ नहीं किया तथा कार्यकारी अभियंता ने ठेकेदार पर अनुमानित लागत के पांच प्रतिशत अर्थात् ₹ 34.50 लाख के बराबर पेनल्टी लगाई (07 जनवरी 2016)। इसके बाद, ठेकेदार ने कार्य प्रारंभ किया लेकिन निर्धारित तिथि अर्थात् जुलाई 2016 तक कार्य पूरा नहीं किया। कार्यकारी अभियंता ने क्षतिपूर्ति को अनुमानित लागत राशि के पांच प्रतिशत से बढ़ाकर (19 अप्रैल 2017) 10 प्रतिशत अर्थात् ₹ 69 लाख कर दिया तथा उसे कार्य पूरा करने और सात दिनों के भीतर प्रगति दिखाने की सलाह दी। लेकिन 24 माह बीत जाने के बाद भी कार्य अधूरा था। परिणामस्वरूप कार्यकारी अभियंता ने जुलाई 2017 में ठेका रद्द कर दिया। अक्टूबर 2016 तक ठेकेदार को 10वें एवं रनिंग बिल तक ₹ 2.90 करोड़ की राशि का भुगतान किया जा चुका था।

शेष कार्य के लिए विज्ञापन मूल ठेकेदार के जोखिम एवं लागत पर तैयार किया गया था। मुख्य अभियंता ने ₹ 3.20 करोड़ के कार्य का अनुमोदन (मार्च 2018) किया। निविदा प्रक्रिया के बाद मैसर्स गार्गा एसोसिएट्स (ठेकेदार बी) को अधिकतम दरों के 19.86 प्रतिशत से अधिक राशि पर ₹ 3.79 करोड़ तक सीमित कर छः महीने की समय सीमा के साथ कार्य आवंटित किया गया था (जून 2018)। एजेंसी ने साइट पर कार्य पूरा कर लिया है। मार्च 2019 तक 5वें एवं रनिंग बिल तक ठेकेदार को ₹ 3.60 करोड़ का भुगतान किया जा चुका था। अंतिम बिल अभी तक तैयार होना शेष है। 5वें एवं चालू बिल तक की राशि ₹ 0.92 करोड़ (परिशिष्ट 2.6) ठेकेदार ए से उसके जोखिम एवं लागत पर किए गए अधिक व्यय के कारण वसूलनीय थी। इस प्रकार, कुल ₹ 1.61 करोड़ (क्लॉज 2 क्षतिपूर्ति: ₹ 0.69 करोड़ + क्लॉज 3 क्षतिपूर्ति: ₹ 0.92 करोड़) ठेकेदार ए से वसूलनीय थे।

₹ 0.28 करोड़ की बैंक गारंटी को भुनाया नहीं जा सका क्योंकि बैंक ने बैंक गारंटी को अस्वीकार कर दिया और सूचित किया (मई 2018) कि उन्होंने इसे जारी नहीं किया था। यह स्पष्ट है कि कार्यकारी अभियंता ने लोक निर्माण विभाग कोड के प्रावधानों का पालन किए बिना ठेकेदार से बैंक गारंटी स्वीकार की। कार्यकारी अभियंता ने उत्तर दिया (दिसंबर 2020) कि जोखिम एवं लागत पर शेष कार्य के आवंटन के कारण राशि अभी भी वसूलनीय थी। ह.श.वि.प्रा. के अन्य कार्यालयों के साथ-साथ अन्य विभागों के साथ पत्राचार किया गया था, लेकिन उनके विरुद्ध कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली और बैंक गारंटी की राशि भी वसूलनीय थी। उत्तर केवल लेखापरीक्षा बिंदु को मजबूत करता है कि कार्यकारी अभियंता ने ठेकेदार से ₹ 1.61 करोड़ की वसूली के लिए प्रयास नहीं किए थे और नकली बैंक गारंटी के लिए पुलिस में प्राथमिकी भी दर्ज नहीं की थी। ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट करने की कार्रवाई भी शुरू नहीं की गई थी।

मामला राज्य सरकार के पास भेजा गया था (जनवरी 2021); और उसके बाद मार्च और अगस्त 2021 में अनुस्मारक जारी किए गए थे; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (अगस्त 2021)।

मुख्य प्रशासक, ह.श.वि.प्रा. ने अपने उत्तर (जून 2021) में बताया कि दोषी से वसूली के प्रयास किए जाएंगे और बैंक गारंटी के मामले को आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए जारीकर्ता बैंक के उच्च प्राधिकारियों के साथ उठाया गया था।

एग्जिट कांफ्रेंस (अगस्त 2021) के दौरान, विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया और बताया कि यह मूल ठेकेदार द्वारा अनुबंध के उल्लंघन का मामला था और बैंक गारंटी के संबंध में मामला प्रक्रियाधीन था।

सिफारिश: राज्य सरकार मूल ठेकेदार के विरुद्ध वसूली हेतु कठोर कार्रवाई न करने तथा राज्य को हानि पहुंचाने वाली जाली निष्पादन बैंक गारंटी को स्वीकार करने के लिए संबंधित कार्यकारी अभियंता का उत्तरदायित्व नियत करने पर विचार करे। ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट किया जाए और सरकारी विभागों के साथ-साथ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निविदा प्रक्रिया में भाग लेने से रोका जाए।

श्रम विभाग

2.6 अस्वीकृत चेकों के विरुद्ध नियोक्ताओं से वसूली योग्य राशि

श्रम कल्याण बोर्ड को ₹ 1.54 करोड़ की हानि हुई क्योंकि 1,057 नियोक्ताओं द्वारा जमा किए गए चेक बैंकों द्वारा अस्वीकृत कर दिए गए थे। राशि को न तो भू-राजस्व के बकाया के रूप में दण्डात्मक ब्याज सहित वसूल किया गया और न ही नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 के अंतर्गत चूककर्ताओं को दंडित करवाने के लिए समय पर कार्रवाई की गई थी।

पंजाब श्रम कल्याण कोष अधिनियम, 1965 की धारा 3 (1) हरियाणा राज्य में श्रम कल्याण को बढ़ावा देने के लिए गतिविधियों के वित्तपोषण के लिए श्रम कल्याण कोष के गठन का प्रावधान करती है। निधि के प्रबंधन के प्रयोजन के लिए राज्य सरकार एक बोर्ड की स्थापना करेगी जिसे 'हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड' के नाम से जाना जाएगा, जिसमें बारह सदस्य¹² होंगे (धारा 4)। बोर्ड एक कल्याण आयुक्त की नियुक्ति करेगा, जो बोर्ड का प्रमुख कार्यकारी अधिकारी होगा (धारा 14)। उपर्युक्त अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत बनाए गए पंजाब श्रम कल्याण कोष नियम, 1966 के नियम 3 में प्रावधान है कि प्रत्येक नियोक्ता कल्याण आयुक्त को कर्मचारियों से वसूले गए सभी जुर्माने, नियोक्ता द्वारा धारित सभी अवैतनिक संचय तथा नियोक्ता और कर्मचारियों के मासिक अंशदान¹³ का भुगतान¹⁴ करेगा। कल्याण आयुक्त सभी प्राप्तियों को बैंक खाते में जमा करेगा और निधि के खातों का संचालन करेगा। अधिनियम की धारा 9 ए (3) में प्रावधान है कि भुगतान में चूक के मामले में नियोक्ता बारह प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। अधिनियम की धारा 20 बोर्ड को भू-राजस्व के बकाया के रूप में निधि में देय राशि की वसूली के लिए अधिकृत करती है। इसके अतिरिक्त, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 की धारा 138 में ऐसी अवधि के कारावास का प्रावधान है जिसे दो वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है या जुर्माना लगाया जा सकता है जो चेक की राशि से दोगुना हो सकता है या दोनों जहां धन की कमी के कारण चेक अनादरित हो जाता है, बशर्ते कि प्राप्तकर्ता चेक के अनादर के बारे में सूचना प्राप्त होने के 30 दिनों के अंदर एक लिखित नोटिस के माध्यम से चेक के भुगतानकर्ता से भुगतान की मांग करता है।

हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड, पंचकुला के अभिलेखों की संवीक्षा (सितंबर 2020) के दौरान यह देखा गया था कि अप्रैल 2008 और मार्च 2020 की अवधि के दौरान 1,057 नियोक्ताओं से

¹² चार सदस्य प्रत्येक नियोक्ता और कर्मचारियों के प्रतिनिधि के रूप में तथा चार स्वतंत्र सदस्य जिनमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष शामिल हैं।

¹³ अधिनियम की धारा 9 ए के अनुसार, प्रत्येक कर्मचारी को हर महीने ₹ 25 की सीमा के अधीन अपने वेतन या मजदूरी या किसी भी पारिश्रमिक के 0.25 प्रतिशत के बराबर राशि का अंशदान करना होगा और प्रत्येक नियोक्ता ऐसे प्रत्येक कर्मचारी के संबंध में हर महीने निधि में ऐसे कर्मचारी द्वारा अंशदान की गई राशि से दोगुनी राशि का अंशदान करेगा।

¹⁴ नकद अथवा मनीऑर्डर अथवा पोस्टल ऑर्डर अथवा डिमांड ड्राफ्ट द्वारा अथवा भारतीय स्टेट बैंक अथवा किसी अधिसूचित बैंक पर आहरित चेक द्वारा जो कि कल्याण आयुक्त के पक्ष में विधिवत क्रॉस किया गया हो।

निधि में अंशदान के रूप में प्राप्त ₹ 1.54 करोड़ के चेक अस्वीकृत कर दिए गए थे और उन्हें बोर्ड के बैंक खाते में जमा नहीं किया गया था।

अस्वीकृत चेकों का वर्षवार विवरण

के दौरान प्राप्त चेक	नियोक्ताओं की संख्या	राशि (₹ लाख में)
अप्रैल 2008 और मार्च 2015 के मध्य	522	44.25
2015-16	80	10.21
2016-17	102	15.48
2017-18	88	11.14
2018-19	245	65.87
2019-20	20	7.30
कुल	1,057	154.25

चेकों के अनादर के लिए बैंकों द्वारा दिए गए मुख्य कारणों में हस्ताक्षरों का बेमेल होना, आहरणकर्ता द्वारा भुगतान रोकना, अपर्याप्त धनराशि, नाम बेमेल, खाता बंद करना इत्यादि थे। बोर्ड ने उन नियोक्ताओं को नोटिस जारी नहीं किया, जिनके चेक बैंकों द्वारा अस्वीकार कर दिए गए थे। इसके बजाय इसने क्षेत्र में श्रम कल्याण अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्र में नियोक्ताओं से राशि वसूल करने के लिए सामयिक निर्देश जारी किए थे। अस्वीकृत चेकों के कारण वसूलनीय राशि मार्च 2020 तक संचित होकर ₹ 1.54 करोड़ हो गई।

इस प्रकार, जिन नियोक्ताओं के चेक बैंकों द्वारा अस्वीकृत कर दिए गए थे, उनसे राशि की वसूली के लिए उचित कदम उठाने में विफलता के कारण बोर्ड को ₹ 1.54 करोड़ की हानि हुई।

राज्य सरकार ने अपने उत्तर (अप्रैल 2021) में बताया कि ₹ 1.54 करोड़ में से ₹ 63.26 लाख की राशि वसूल कर ली गई है तथा शेष प्रकरणों में वसूली हेतु प्रयास किए जाएंगे। दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रक्रियाधीन थी।

सिफारिश: लेखापरीक्षा में इंगित किए जा रहे मुद्दों पर शुरु की गई कार्रवाइयों की निगरानी की जाए और उन्हें उचित समय में पूरा किया जाए।

शहरी स्थानीय निकाय विभाग

2.7 पेशेवर सेवा प्रदाता को अधिक भुगतान

महानिदेशक, शहरी स्थानीय निकाय ने एक पेशेवर सेवा प्रदाता द्वारा सेवाओं के लिए अस्वीकार्य सेवा कर/वस्तु एवं सेवा कर, पेशेवर शुल्क और कर्मियों के प्रतिस्थापन पर पारिश्रमिक को कम नहीं करने के कारण ₹ 1.15 करोड़ का अधिक भुगतान किया।

शहरी स्थानीय निकाय विभाग, हरियाणा में स्वच्छ भारत मिशन (अर्बन) के अंतर्गत निदेशालय स्तर पर परियोजना प्रबंधन इकाई और जिला मुख्यालयों पर 21 परियोजना कार्यान्वयन इकाइयों की स्थापना के लिए 49 एक्सपर्ट्स/स्पेशियलिस्ट्स उपलब्ध करवाने के लिए पेशेवर सेवा प्रदाता

के चयन के लिए प्रस्ताव हेतु अनुरोध मार्च 2016 में आमंत्रित किया गया था। परियोजना प्रबंधन इकाई/परियोजना कार्यान्वयन इकाइयों को स्वच्छ भारत मिशन के लिए मांग आपूर्ति अंतर निर्धारित करने और तदनुसार स्वच्छ भारत मिशन दिशानिर्देशों के अनुसार विभिन्न गतिविधियों को करने की आवश्यकता थी।

निविदा सूचना के जवाब में, केवल एक फर्म नामतः मैसर्स आई.पी.ई. ग्लोबल लिमिटेड ने अपनी बिड प्रस्तुत की (मई 2016)। बिड को फिर से आमंत्रित किया गया (मई 2016) और फिर से मैसर्स आई.पी.ई. ग्लोबल लिमिटेड ने बिड प्रस्तुत की। विचार-विमर्श के बाद, विभाग द्वारा वित्तीय बिड खोलने का प्रस्ताव दिया गया था क्योंकि स्वच्छ भारत मिशन का कार्य कर्मचारियों की कमी के कारण प्रभावित था और फर्म एक प्रसिद्ध कंपनी थी और ओडिशा जैसे अन्य राज्यों में ऐसी परियोजनाओं का कार्यान्वयन कर रही थी। इसके बाद, कार्य प्रदान किया गया (दिसंबर 2016) और अनुबंध मार्च 2017 में निष्पादित किया गया। सेवा प्रदाता (फर्म) द्वारा प्रस्तुत मूल्य बिड में सेवा कर घटक को अलग से दर्शाया गया था। निष्पादित अनुबंध एकमुश्त करार था जिसमें सभी कर शामिल थे अर्थात् अन्य के साथ सेवा कर भी सहमत मूल्य का एक हिस्सा था। मूल्य बातचीत के बाद तय किया गया था। निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय ने मार्च 2017 और दिसंबर 2019 के मध्य फर्म को ₹ 8.37 करोड़ का भुगतान किया। इसमें ₹ 1.15 करोड़ सम्मिलित थे जिसे अनुवर्ती अनुच्छेदों में विवरण के अनुसार अधिक भुगतान के रूप में पहचाना गया था:

i) सेवा कर/वस्तु एवं सेवा कर के कारण अधिक भुगतान

वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचनाओं (दिनांक 28 जून 2017 के साथ पठित दिनांक 20 जून 2012 की अधिसूचना) के अनुसार स्थानीय प्राधिकरण को प्रदान की जाने वाली मैनपावर सेवाओं को सेवा कर/वस्तु एवं सेवा कर से छूट दी गई थी। लेखापरीक्षा ने नोटिस किया कि फर्म को ₹ 12.18 लाख का भुगतान किया गया था जिसे मार्च 2017 और दिसंबर 2017 के मध्यावधि के लिए सेवा कर/वस्तु एवं सेवा कर के साथ पहचाना जा सकता था।

राज्य सरकार ने उत्तर दिया (सितंबर 2021) कि पेशेवर सेवा प्रदाता द्वारा प्रस्तुत वित्तीय बिड में पारिश्रमिक सभी करों और अन्य वैधानिक देयताओं को मिलाकर एकमुश्त आधार पर उद्धृत किया गया था और फर्म ने लागू सेवा कर जमा किया था। चूंकि फीस एकमुश्त दरों के आधार पर निर्धारित की गई थी और सहमति व्यक्त की गई थी, पेशेवर सेवा प्रदाता ने देय एकमुश्त राशि के आधार पर अपने चालानों को प्रभारित करना जारी रखा। उत्तर सही नहीं था क्योंकि फर्म द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं को सेवा कर/वस्तु एवं सेवा कर से छूट प्राप्त थी। इस प्रकार निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय द्वारा फर्म को ₹ 12.18 लाख (मार्च से दिसंबर 2017) का भुगतान अनुबंध के अंतर्गत एकमुश्त राशि में शामिल होने के बावजूद भारत सरकार की अधिसूचना के साथ असंगत है। यह पेशेवर सेवा प्रदाता के साथ मूल्य को अंतिम रूप देते समय विभाग द्वारा मूल्य निर्धारण में कमी के कारण है।

ii) पेशेवर फीस के कारण अधिक भुगतान

जून 2017 तक, फर्म ने 15 प्रतिशत की दर से पेशेवर फीस और सेवा कर को अलग-अलग दिखाते हुए तैनात एक्सपर्ट्स/स्पेसियलिस्ट्स के मासिक बीजक प्रस्तुत किए। जुलाई 2017 से वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम लागू किया गया था। फर्म ने जुलाई और दिसंबर 2017 के मध्य की अवधि के लिए अपने बीजक प्रस्तुत किए, जिनमें 18 प्रतिशत की दर से पेशेवर फीस और वस्तु एवं सेवा कर का दावा किया गया था। विभाग ने इस दलील पर कि सेवा कर की दर 15 प्रतिशत की दर से तय की गई थी, दावा किए गए वस्तु एवं सेवा कर के तीन प्रतिशत की कटौती के बाद फरवरी 2018 में फर्म को भुगतान जारी किया। यह महसूस करने पर कि इन सेवाओं को वस्तु एवं सेवा कर से छूट दी गई थी, फर्म ने जनवरी 2018 से अपने बीजकों में शून्य वस्तु एवं सेवा कर का दावा करना शुरू कर दिया और पेशेवर फीस को 15 प्रतिशत तक बढ़ा दिया। इस प्रकार, बिल संपूर्ण उद्धृत राशि के लिए शीर्ष-पेशेवर फीस के अंतर्गत प्रस्तुत किए गए थे जिसमें 15 प्रतिशत की दर पर सेवा कर शामिल था।

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय तत्परता के साथ कार्य करने में विफल रहे और प्रस्तुत किए गए बिलों का भुगतान करना जारी रखा। इसके परिणामस्वरूप पेशेवर सेवाओं के लिए ₹ 96.75 लाख का अधिक भुगतान हुआ।

राज्य सरकार ने उत्तर दिया (सितंबर 2021) कि कर निहितार्थ से संबंधित जोखिम केवल पेशेवर सेवा प्रदाता द्वारा वहन किया जाना था और करार में बाद में कोई संशोधन नहीं किया गया था। इसलिए, निदेशालय ने मूल सहमति और आवंटित दरों के आधार पर पेशेवर सेवा प्रदाता के बिलों का भुगतान करना जारी रखा क्योंकि कराधान और वैधानिक प्रावधानों में शामिल जोखिम एवं लाभ को अकेले पेशेवर सेवा प्रदाता द्वारा वहन किया जाना था।

उत्तर भ्रामक था क्योंकि सेवा कर को 15 प्रतिशत की दर पर अलग से दिखाया गया था और वित्तीय बिड के साथ-साथ फर्म द्वारा उद्धृत मोल-भाव दरों में शामिल किया गया था। निर्विवाद रूप से, नगर पालिकाओं की सेवाओं को सेवा कर/वस्तु एवं सेवा कर से छूट दी गई थी इसलिए किसी भी रूप में सेवा कर/वस्तु एवं सेवा कर के कारण फर्म को कोई भुगतान देय नहीं था, लेकिन फर्म ने अपनी पेशेवर फीस को बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दिया। विभाग को मूल्य निर्धारण में गलती को पहचानना चाहिए था और यह स्वीकार करने के बाद अनुबंधित मूल्य में सुधार करना चाहिए था कि पेशेवर सेवा प्रदाता द्वारा प्रदान की जा रही इन सेवाओं को सेवा कर/वस्तु एवं सेवा कर से छूट प्राप्त थी।

iii) मुख्य कार्मिकों के प्रतिस्थापन के कारण अधिक भुगतान

प्रस्ताव हेतु अनुरोध के पैरा 2.25 के अनुसार, स्वच्छता एक्सपर्ट सह टीम लीडर के प्रतिस्थापन की अनुमति असाधारण परिस्थितियों में दी जानी थी, यदि लीडर अपरिहार्य कारणों से उपलब्ध न हो तो उसके समान या उससे बेहतर योग्य और अनुभवी कार्मिक को विभाग की संतुष्टि के

लिए प्रदान किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, कुल पारिश्रमिक के दो प्रतिशत तक पारिश्रमिक की कमी के अधीन एक बार प्रतिस्थापन की अनुमति दी जा सकती है।

यह नोटिस किया गया कि संविदात्मक खंड के उल्लंघन में स्वच्छता एक्सपर्ट सह टीम लीडर को तीन बार प्रतिस्थापित किया गया था, वह भी पारिश्रमिक में कटौती के बिना, जिसके परिणामस्वरूप फर्म को ₹ 6.15 लाख का अधिक भुगतान हुआ। प्रतिस्थापन के कारण, असाधारण परिस्थितियां, स्थानापन्न उम्मीदवारों की योग्यता एवं अनुभव और ऐसे प्रतिस्थापन के लिए विभाग के अनुमोदन अभिलेख में नहीं थे। इनके अभाव में प्रतिस्थापन अनियमित और संविदात्मक प्रावधानों के सकल उल्लंघन में थे।

राज्य सरकार ने उत्तर दिया (सितंबर 2021) कि एक्सपर्ट का प्रतिस्थापन असाधारण अप्रत्याशित परिस्थितियों में और परियोजना कार्यों में सुधार के इरादे से और सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बाद किया गया था। उत्तर टिकाऊ नहीं था क्योंकि प्रस्ताव हेतु अनुरोध के पैरा 2.25 में निर्धारित पारिश्रमिक में दो प्रतिशत की कमी की जानी थी।

इस प्रकार, सेवा कर/वस्तु एवं सेवाकर, पेशेवर फीस और प्रतिस्थापन पर पारिश्रमिक की कटौती न करने के कारण पेशेवर सेवाओं के लिए ₹ 1.15 करोड़ का अधिक भुगतान किया गया था।

सिफारिश: विभाग चूकों के लिए संबंधित अधिकारियों का उत्तरदायित्व नियत करे और पेशेवर सेवा प्रदाता को अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली करने पर विचार करे।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग

2.8 भूमि की खरीद पर अतिरिक्त व्यय

राज्य सरकार की भूमि क्रय नीति का उल्लंघन कर भूस्वामियों को भुगतान किए गए वास्तविक मूल्य पर विचार किए बिना एग्रीगेटर को एकमुश्त भुगतान कर भूमि की खरीद पर ₹ 1.04 करोड़ का अतिरिक्त व्यय किया गया था।

राज्य सरकार ने विकास परियोजनाओं के लिए सरकार को स्वेच्छा से प्रस्तावित भूमि की खरीद के लिए एक नीति बनाई (फरवरी 2017)। नीति के अनुसार, प्रशासनिक विभाग समाचार पत्रों और हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं मूलभूत संरचना विकास निगम के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से तकनीकी रूप से व्यापक व्यवहार्य क्षेत्र में विकास परियोजना का पता लगाने के अपने प्रयोजन का संकेत देगा। इसके जवाब में, भूस्वामी परियोजना के लिए स्वेच्छा से या किसी एग्रीगेटर¹⁵ के माध्यम से अपनी जमीन की पेशकश कर सकते हैं। विभाग भौतिक रूप

¹⁵ एग्रीगेटर ऐसा व्यक्ति है जिसे हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं मूलभूत संरचना विकास निगम द्वारा परियोजना के विकास के लिए स्वेच्छा से अपनी जमीन बेचने के इच्छुक विभिन्न भूस्वामियों की भूमि को एकत्रित करने के लिए हरियाणा राज्य द्वारा सूचीबद्ध किया गया है। सरकार द्वारा समय-समय पर तय किए गए सुविधा प्रभारों का भुगतान एग्रीगेटर को किया जाएगा जो पंजीकरण, म्यूटेशन और कब्जे की सुपुर्दगी के पूरा होने के बाद जारी किया जाएगा।

से साइट का निरीक्षण करेगा और प्रस्तावों में दरों की तर्कसंगतता की जांच करेगा। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सचिवों की एक समिति योग्य विक्रेताओं और एग्रीगेटरों के विवरण के साथ विभागीय प्रस्ताव की संवीक्षा करेगी। सचिवों की समिति से मंजूरी मिलने पर विभाग अंतिम रूप से तय दरों पर खरीद को प्रभावी बनाने के लिए मामले को मंत्री, राजस्व और आपदा प्रबंधन की अध्यक्षता में गठित उच्चाधिकार प्राप्त भूमि खरीद समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगा। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की नीति में ढील देते हुए राज्य सरकार (अप्रैल 2017) ने जल आपूर्ति एवं सीवरेज कार्य करने के लिए इच्छुक भूस्वामियों से कलेक्टर दर¹⁶ पर भूमि क्रय करने की अनुमति प्रदान की।

प्रमुख अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने जिला पलवल के पृथला एवं पलवल ब्लॉक और जिला फरीदाबाद के बल्लभगढ़ ब्लॉक के गुणवत्ता प्रभावित 84 गांवों में पानी की आपूर्ति बढ़ाने के लिए ₹ 24.22 करोड़ की एक परियोजना¹⁷ को अनुमोदन दिया (जून 2017)। फरवरी 2017 की नीति के साथ-साथ अप्रैल 2017 में कलेक्टर दरों पर भूमि क्रय करने की अनुमति का पालन करते हुए अपेक्षित भूमि क्रय करने के स्थान पर 3.7 एकड़ भूमि की खरीद की मद को विस्तृत निविदा आमंत्रण सूचना का हिस्सा बनाया गया था। निविदाएं जुलाई 2017 में खोली गईं और जुलाई 2017 में एक एजेंसी को कार्य ₹ 28.68 करोड़ में आवंटित किया गया जिसमें ₹ 0.71 करोड़ प्रति एकड़ की दर से 3.70 एकड़ भूमि की खरीद के लिए ₹ 2.63 करोड़ शामिल थे। वर्ष 2016-17, 2017-18 और 2018-19 के दौरान भूमि की कलेक्टर दर ₹ 0.50 करोड़ प्रति एकड़ थी। एजेंसी ने ₹ 24.87 करोड़ के कार्य को निष्पादित किया (मार्च 2021)।

एजेंसी ने फरवरी तथा जून 2018 के मध्य ₹ 1.51 करोड़ में 3.591 एकड़ भूमि खरीदी (*परिशिष्ट 2.7*)। तदनुसार, विभाग ने एजेंसी को ₹ 0.71 करोड़ प्रति एकड़ की दर से ₹ 2.55 करोड़ (फरवरी 2019) अर्थात् ₹ 1.04 करोड़¹⁸ की अतिरिक्त राशि का भुगतान किया।

राज्य सरकार ने उत्तर दिया (अगस्त 2021) कि बरसाती कुओं के निर्माण के प्रयोजन के लिए भूमि का अधिग्रहण यादृच्छिक रूप से नहीं किया जा सकता है और साइट के चयन में बहुत समय, विशेषज्ञों की टीम और अत्यधिक व्यय शामिल है। इसलिए, इस प्रयोजन के लिए भूमि खरीदने का यह सबसे अच्छा किफायती और कम समय लेने वाला तरीका था। उत्तर युक्तियुक्त नहीं था क्योंकि भूमि की खरीद के लिए एग्रीगेटर के रूप में कार्य कर रहे ठेकेदार को एकमुश्त दर का भुगतान करने के बजाय विभाग को सरकारी परियोजना के लिए क्रय हेतु भूमि उपलब्ध करवाने के लिए सुविधा प्रभारों का भुगतान करना चाहिए। इसके अतिरिक्त, ठेकेदार को दी गई

¹⁶ कलेक्टर दर ग्रामीण के साथ-साथ शहरी क्षेत्रों में भूमि की विभिन्न श्रेणियों के लिए उपायुक्त (कलेक्टर) की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति द्वारा निर्धारित मूल्य है।

¹⁷ इसमें दो बरसाती कुओं का निर्माण, दो नलकूपों की स्थापना, ग्राम मोहना में मुख्य बूस्टिंग स्टेशन का निर्माण, बरसाती कुओं के लिए पम्पिंग स्टेशन, पम्पिंग मशीनरी एवं स्वतंत्र फीडर इत्यादि का निर्माण शामिल है।

¹⁸ ₹ 2.55 करोड़ - ₹ 1.51 करोड़ = ₹ 1.04 करोड़।

भूमि की लागत की तुलना भूमि मुआवजा अधिनियम से नहीं की जा सकती क्योंकि भूमि की वास्तविक लागत उपलब्ध है।

इस प्रकार, भूमि की खरीद के लिए सरकार की नीति का पालन न करके तथा भूस्वामियों को भुगतान किए गए वास्तविक मूल्य पर विचार किए बिना ठेकेदार को एकमुश्त भुगतान करके जन अभियांत्रिकी विभाग ने भूमि की खरीद पर ₹ 1.04 करोड़ का अतिरिक्त व्यय किया।

सिफारिश: राज्य सरकार, सरकार की नीतियों के अनुरूप एक उपयुक्त आंतरिक नियंत्रण प्रक्रिया विकसित करने पर विचार करे।

2.9 अक्रियाशील जल कार्यों पर व्यर्थ व्यय

कार्यकारी अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंडल संख्या 2, हिसार ने क्षेत्र की स्थिति का पता लगाए बिना ग्राम खैरी (हिसार) के जल निर्माण कार्यों के संवर्धन/नवीनीकरण पर ₹ 1.01 करोड़ का व्यर्थ व्यय किया जिसके परिणामस्वरूप जल निर्माण कार्य गांव के तालाब के अपशिष्ट जल में डूबे रहे।

हरियाणा लोक निर्माण विभाग कोड (कोड) के पैरा 10.1.3 में प्रावधान है कि किसी भी परियोजना का अनुमान तैयार करते समय, क्षेत्र की स्थिति (विशेष रूप से जल आपूर्ति योजनाओं के लिए) का पता लगाने के लिए साइट का निरीक्षण किया जाएगा। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए (कोड का पैरा 10.12.2 (जी)) कि भंडारण एवं अवसादन टैंक उप-मृदा जल स्तर के हस्तक्षेप में नहीं था। आगे, कोड के पैरा 6.5.1 में यह प्रावधान है कि कार्यकारी अभियंता अपने मंडल के भीतर सभी कार्यों के निष्पादन और प्रबंधन के लिए उत्तरदायी है। वह करारों के प्रबंधन, कार्यों की गुणवत्ता और उन्हें उचित अवधि के भीतर समय पर पूरा करने के लिए उत्तरदायी है।

कार्यकारी अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंडल-2, हिसार (कार्यकारी अभियंता) के कार्यालय में अभिलेखों की संवीक्षा (मार्च 2018) के दौरान तथा मार्च 2021 के दौरान प्राप्त की गई अनुवर्ती सूचना में यह पाया गया था कि कार्यकारी अभियंता ने खैरी में जल निर्माण कार्यों के संवर्धन/नवीनीकरण के लिए ₹ 0.91 करोड़ का एक अनुमान¹⁹ प्रस्तावित किया। इसका उद्देश्य ग्रामीणों को पेयजल की आपूर्ति को 52 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन से बढ़ाकर 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन करना था। अनुमान को अप्रैल 2013 में जल आपूर्ति एवं सीवरेज बोर्ड द्वारा प्रशासनिक रूप से अनुमोदित किया गया था। विस्तृत निविदा आमंत्रण सूचना को दिसंबर 2013 में प्रमुख अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा ₹ 0.80 करोड़ के लिए अनुमोदित किया गया था। एक ठेकेदार को फरवरी 2014 में ₹ 1.02 करोड़ की अनुबंध

¹⁹ रीइन्फोर्सड सीमेंट कंक्रीट इनलेट चैनल, एक नया ब्रिक लाइनेड भंडारण एवं अवसादन टैंक, एक रीइन्फोर्सड सीमेंट कंक्रीट फिल्टर बेड, दो साफ पानी के टैंकों की मरम्मत, पंप चैंबर की मरम्मत, स्टाफ क्वार्टर की मरम्मत, चारदीवारी की मरम्मत/निर्माण और पम्पिंग मशीनरी के प्रतिस्थापन के लिए उपलब्ध कराए गए अनुमान।

राशि के लिए नौ महीने (अर्थात दिसंबर 2014 तक) की समय सीमा के साथ कार्य आवंटित किया गया था जिसे अगस्त 2015 तक बढ़ा दिया गया था।

नवंबर 2014 में एक दौर के दौरान, मुख्य अभियंता (ग्रामीण) जन स्वस्थ अभियांत्रिकी विभाग ने देखा कि खैरी के जल निर्माण कार्य गांव के तालाब से जुड़े हुए थे और जल निर्माण कार्यों की सभी संरचनाएं गांव के तालाब के गंदे पानी में डूबी हुई थीं। उन्होंने ब्रिक लाइनेड भंडारण एवं अवसादन टैंक के बजाय रीइन्फोर्सड सीमेंट कंक्रीट भंडारण एवं अवसादन टैंक के निर्माण, जल निर्माण संरचनाओं से अपशिष्ट जल निकालने और तालाब के पानी से जल निर्माण कार्यों की सुरक्षा के लिए मिट्टी के बांध के निर्माण के लिए अनुमान को संशोधित करने का प्रस्ताव दिया। तदनुसार, ₹ 1.23 करोड़ के संशोधित अनुमान को मार्च 2015 में जल आपूर्ति एवं सीवरेज बोर्ड द्वारा प्रशासनिक रूप से अनुमोदित किया गया था। ठेकेदार ने ₹ 1.01 करोड़ की राशि का कार्य²⁰ निष्पादित किया था, जिसका भुगतान जून 2015 में तीसरे चालू बिल के द्वारा किया गया था।

तथापि, अगस्त 2018 में जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि तालाब का अपशिष्ट जल, जल निर्माण कार्यों में प्रवेश कर गया था और संरचनाएं अभी भी अपशिष्ट जल में डूबी हुई थीं। इस समस्या का समाधान करने के लिए नवनिर्मित भंडारण एवं अवसादन टैंक को क्रियाशील बनाने के लिए रिटेनिंग वॉल के प्रावधान के साथ अनुमान को फिर से संशोधित किया गया (जनवरी 2019)। इसे अभी सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जाना था (मार्च 2021)। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारियों के साथ साइट के भौतिक सत्यापन (मार्च 2021) के दौरान यह पाया गया था कि सभी जल निर्माण कार्य गांव के तालाब के अपशिष्ट जल में डूबे हुए थे जैसा कि नीचे दी गई तस्वीरों से दर्शाया गया है:



इस प्रकार, कार्यकारी अभियंता की ओर से अनुमान तैयार करने से पूर्व स्थल की स्थिति को ठीक से सुनिश्चित करने और व्यय करने में विफलता के कारण जल निर्माण कार्यों की वृद्धि और मरम्मत पर ₹ 1.01 करोड़ की राशि व्यर्थ हो गई थी।

²⁰ रीइन्फोर्सड सीमेंट कंक्रीट भंडारण एवं अवसादन टैंक का निर्माण: ₹ 87.15 लाख, मिट्टी का बांध: ₹ 2.84 लाख, पानी को बाहर निकालना: ₹ 4.95 लाख और पंपिंग मशीनरी प्रदान करना: ₹ 5.88 लाख।

सरकार ने अपने उत्तर (अगस्त 2021) में बताया कि भूजल, निर्मित संरचना में जल के साथ मिल रहा है। भूजल खारा है और पीने योग्य नहीं है। नई संरचनाओं के निर्माण के प्रयास किए गए थे लेकिन उच्च जल स्तर और पानी के प्रवाह के कारण सफल नहीं हुए।

सिफारिश: राज्य सरकार अक्रियाशील जल निर्माण कार्यों पर व्यर्थ व्यय करने के लिए जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों का उत्तरदायित्व नियत करने पर विचार करे।

अध्याय 3
सामाजिक, सामान्य तथा आर्थिक क्षेत्र
(सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम)

अध्याय 3

सामाजिक, सामान्य तथा आर्थिक क्षेत्र (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम)

ऊर्जा और विद्युत

हरियाणा विद्युत क्रय केंद्र

3.1 हरियाणा में बिजली की खरीद

हरियाणा विद्युत क्रय केंद्र (ह.वि.क्र.कें.) ने गलत मेरिट आदेश तैयार करने तथा निजी उत्पादकों से महंगी बिजली खरीदने के कारण ₹ 209.33 करोड़ का अतिरिक्त व्यय किया, जिससे राज्य के उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त भार पड़ा। हरियाणा विद्युत क्रय केंद्र भी अक्षय ऊर्जा खरीद दायित्व लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सका तथा कमी 18.64 प्रतिशत और 90.55 प्रतिशत के मध्य थी। इस प्रकार वहनीय, टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित सतत् विकास लक्ष्यों को पूरी तरह से प्राप्त नहीं किया जा सका है। बिजली की खरीद के प्रति भुगतानों के संबंध में आंतरिक नियंत्रण त्रुटिपूर्ण थे क्योंकि गलत भुगतान के दृष्टांत पाए गए थे।

3.1.1 प्रस्तावना

हरियाणा सरकार ने राज्य में दो बिजली वितरण उपयोगिताओं (वितरण कंपनियों¹) की ओर से बिजली की खरीद का प्रबंधन करने के लिए हरियाणा विद्युत क्रय केंद्र की स्थापना (अप्रैल 2008) की। हरियाणा विद्युत क्रय केंद्र, वितरण कंपनियों के स्वामित्व वाला एक संयुक्त मंच है। यह उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड का एक हिस्सा है क्योंकि उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड के मुख्य अभियंता हरियाणा विद्युत क्रय केंद्र की अध्यक्षता करते हैं और प्रबंध निदेशक, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड को रिपोर्ट करते हैं। यह दोनों वितरण कंपनियों के लिए बिजली खरीदता है। हरियाणा विद्युत क्रय केंद्र की स्थापना का मुख्य उद्देश्य दीर्घकालिक आधार पर बिजली की खरीद, बैकिंग व्यवस्था² और ऊर्जा विनिमय के माध्यम से खरीद की व्यवस्था करना था। राज्य में, बिजली के विभिन्न उत्पादकों को दिन-प्रतिदिन की मांग के पूर्वानुमान के आधार पर दैनिक निर्धारण सौंपकर बिजली खरीदी जाती है। पिछले महीने की परिवर्तनीय लागत के आधार पर तैयार किए गए मेरिट ऑर्डर³ पर शेड्यूलिंग में उत्पादक को प्राथमिकता दी जाती है। सस्ते उत्पादक प्राथमिकता प्राप्त करते हैं। उपर्युक्त के अतिरिक्त, कुछ उत्पादकों को 'मस्ट रन' नीति अर्थात् संयंत्र को

- 1 (i) उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड और (ii) दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड।
- 2 बिजली के आधिक्य और कमी में मौसमी भिन्नता से मेल खाने के लिए, जहां प्राप्त की गई/आपूर्ति की गई ऊर्जा के लिए कोई टैरिफ भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है, बिजली के नकद रहित व्यापार के लिए दो उपयोगिताओं या राज्यों के मध्य व्यवस्था।
- 3 मेरिट ऑर्डर एक सूची है जिसमें सभी लाभार्थियों द्वारा कुल बिजली की मांग पूरी होने तक संयंत्रों के किफायती शेड्यूलिंग को तय करने के लिए तैयार किए गए आरोही क्रम में उत्पादन संयंत्रों की परिवर्तनीय लागत शामिल होती है।

मेरिट ऑर्डर की जांच से गुजरना नहीं पड़ता है क्योंकि या तो प्लांट को बंद नहीं किया जा सकता है (जैसे हाइडल, सोलर, विंड) या ऐसी साझी परियोजनाओं का हिस्सा हैं, जहां निर्धारण प्रदान करने में हरियाणा विद्युत क्रय केंद्र की कोई भूमिका नहीं होती है, के अंतर्गत शेड्यूल दिया जाता है। लेखापरीक्षा ने पांच वर्ष की अवधि 2015-20 के दौरान हरियाणा विद्युत क्रय केंद्र द्वारा शेड्यूल⁴ के कार्य और बिजली की खरीद का विश्लेषण किया।

लेखापरीक्षा ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (सं.रा.वि.का.) द्वारा अनिवार्य सतत् विकास लक्ष्यों (स.वि.ल.) के अनुसार सभी के लिए सस्ती, विश्वसनीय, टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए हरियाणा विद्युत क्रय केंद्र द्वारा किए गए प्रयासों की प्रभावशीलता, बिजली की खरीद और बिजली वितरण कंपनियों के वित्तीय हितों की रक्षा के लिए बिजली खरीद अनुबंधों (बि.ख.अ.) के प्रावधानों को लागू करने की जांच (अक्टूबर 2020 से फरवरी 2021) की। लेखापरीक्षा के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए 26 अगस्त 2021 को एग्जिट कांफ्रेंस आयोजित की गई थी और प्रबंधन की टिप्पणियां जहां भी प्राप्त हुई हैं, उन्हें अनुच्छेद में शामिल किया गया है।

बिजली खरीद के लिए स्रोत और प्रक्रिया

राज्य की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, हरियाणा विद्युत क्रय केंद्र निम्नलिखित से बिजली की खरीद करता है:

- (i) भारत सरकार (भा.स.) द्वारा बिजली आवंटन के अनुसार केंद्रीय विद्युत क्षेत्र के उपक्रम (कें.वि.क्षे.उ.)⁵ तथा भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (भा.ब्या.प्र.बो.)
- (ii) राज्य के स्वामित्व वाली हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (ह.पा.ज.कॉ.लि.) के बिजली उत्पादन संयंत्र
- (iii) स्वतंत्र विद्युत उत्पादक (स्व.वि.उ.) तथा
- (iv) नवीकरणीय ऊर्जा⁶ (न.ऊ.) उत्पादक।

निजी बिजली परियोजनाओं से बिजली का अनुबंध टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से किया जाता है। हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग (ह.वि.वि.आ.) द्वारा निर्धारित टैरिफ के अनुसार राज्य के अपने उत्पादन संयंत्रों और नवीकरणीय स्रोतों से बिजली खरीदी जाती है।


⁴ 15 मिनट के प्रत्येक समय स्लॉट में सभी उत्पादन इकाइयों के स्टार्ट-अप और शट डाउन समय के साथ-साथ बिजली उत्पादन स्तर का निर्धारण।

⁵ एन.टी.पी.सी. लिमिटेड, एन.एच.पी.सी. लिमिटेड, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (न्यू.पा.कॉ.लि.)।

⁶ गैर-पारंपरिक ईंधन, जैसे बायोमास, सौर, आदि से उत्पादित बिजली।

नीचे दिए गए चार्ट 31 मार्च 2020 तक स्रोत-वार और उत्पादक-वार अनुबंधित क्षमता दर्शाते हैं:

चार्ट 3.1: ईंधन के प्रकार और स्रोत के अनुसार उत्पादन क्षमता



स्रोत: हरियाणा विद्युत क्रय केंद्र द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों से संकलित

अनुबंधित क्षमता और खरीदी गई बिजली की मात्रा

नीचे दी गई तालिका 2015-16 से 2019-20 के दौरान हरियाणा विद्युत क्रय केंद्र द्वारा अनुबंधित बिजली उत्पादन क्षमता (मेगावाट में) और खरीदी गई बिजली की मात्रा (मिलियन यूनिट में) को दर्शाती है:

तालिका 3.1: हरियाणा विद्युत क्रय केंद्र द्वारा अनुबंधित क्षमता और खरीदी गई बिजली के विवरण

विवरण	2015-16		2016-17		2017-18		2018-19		2019-20	
	क्षमता (मे.वा. ⁷)	यूनिट (मि.यू. ⁸ में)	क्षमता (मे.वा.)	यूनिट (मि.यू. में)	क्षमता (मे.वा.)	यूनिट (मि.यू. में)	क्षमता (मे.वा.)	यूनिट (मि.यू. में)	क्षमता (मे.वा.)	यूनिट (मि.यू. में)
केंद्रीय उत्पादन स्टेशन	2,976.71	10,021.49	2,976.71	11,764.15	2,976.71	12,840.57	3,014.66	13,077.67	3,014.66	13,141.02
राज्य के स्वामित्व वाले संयंत्र	2,782.40	9,796.41	2,792.40	8,885.13	2,792.40	10,067.75	2,792.40	9,988.07	2,582.40	6,766.06
भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड	828.97	3,168.58	828.97	2,799.38	828.97	2,846.98	846.14	2,657.20	846.14	3,307.48
स्वतंत्र बिजली उत्पादक	4,444.50	23,095.72	4,466.50	24,206.23	4,668.50	26,209.43	4,718.50	26,577.18	5,168.50	27,887.92
अन्य (बैंकिंग + यू.आई.)	0	48,17.44	0	3,608.81	0	2,770.19	0	4,693.81	0	4,058.34
कुल	11,032.58	50,899.64	11,064.58	51,263.70	11,266.58	54,734.92	11,371.70	56,993.93	11,611.70	55,160.82

स्रोत: हरियाणा विद्युत क्रय केंद्र द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों से संकलित

⁷ मे.वा. - मेगावाट।

⁸ मि.यू. - मिलियन यूनिट।

2015-16 से 2019-20 के दौरान, अनुबंधित क्षमता 11,032.58 मेगावाट से बढ़कर 11,611.70 मेगावाट हो गई और बिजली खरीद 50,899.64 मिलियन यूनिट और 56,993.93 मिलियन यूनिट के मध्य रही।

लेखापरीक्षा परिणाम

3.1.2 महंगी बिजली की खरीद के कारण अतिरिक्त व्यय

भारत सरकार (भा.स.) ने वितरण कंपनियों की बिजली की कमी को पूरा करने और/या महंगी बिजली को सस्ती और विश्वसनीय बिजली में बदलने के लिए उनकी मदद करने के लिए भारत में निजी उत्पादकों के कोयला आधारित थर्मल पावर स्टेशनों से 2,500 मेगावाट बिजली की खरीद के लिए एक पायलट योजना शुरू (दिसंबर 2017) की। हरियाणा विद्युत क्रय केंद्र ने पावर ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन (पा.ट्रे.कॉ.) के साथ अनुबंध (फरवरी 2019) करने के बाद अप्रैल 2019 से इस योजना के अंतर्गत बिजली की खरीद शुरू की, जिसने बदले में पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन कंसल्टिंग लिमिटेड द्वारा की गई बोली प्रक्रिया के द्वारा खोजे गए बिजली उत्पादकों⁹ के साथ ₹ 4.24 प्रति यूनिट की दर से 400 मेगावाट बिजली की खरीद के लिए अनुबंध किया। वितरण प्रभागों, ग्रिड के प्वाइंट से आगे की हानियों और पावर ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन के ट्रेडिंग मार्जिन पर विचार करने के बाद, प्रभावी टैरिफ ₹ 4.90 से ₹ 5.00 प्रति यूनिट तक परिकल्पित किया गया।

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि हरियाणा विद्युत क्रय केंद्र ने हरियाणा को 2017-18 से 2020-21 के दौरान बिजली अधिशेष राज्य के रूप में 2021-23 के दौरान मामूली घाटे के साथ निर्धारण¹⁰ (मार्च 2018) किया था। हालांकि, इस बिजली की खरीद के लिए हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग के पास दायर अपनी याचिका (अक्टूबर 2018) में हरियाणा विद्युत क्रय केंद्र ने अदानी पावर लिमिटेड (अ.पा.लि.) और कोस्टल गुजरात पावर लिमिटेड के पहले ही से करार स्रोतों से बिजली की उपलब्धता को छोड़कर 2018-19 से 2023-24 के दौरान 563 मेगावाट से 2351 मेगावाट की वार्षिक कमी को इंगित किया। आगे संवीक्षा से पता चला कि योजना के अंतर्गत 300-400 मेगावाट बिजली की खरीद के औचित्य में, हरियाणा विद्युत क्रय केंद्र ने 11 मार्च 2018 से 21 मई 2018 तक अदानी पावर लिमिटेड से बिजली की अनुपलब्धता, मुकदमेबाजी के अंतर्गत बिजली खरीद अनुबंधों (बि.ख.अ.) और कोयले की कमी के कारण राज्य के स्वामित्व वाले संयंत्र पूरी क्षमता से नहीं चलने के कारण बिजली की भारी कमी पर विचार किया था।

इस बिजली को खरीदने के लिए हरियाणा विद्युत क्रय केंद्र द्वारा दिया गया औचित्य तर्कसंगत नहीं था क्योंकि i) उत्पादक कानूनी रूप से बिजली खरीद अनुबंधों के निबंधनों एवं शर्तों से बंधे थे; ii) अदानी पावर लिमिटेड के साथ मुद्दों को पहले ही हल कर लिया गया था जबकि हरियाणा

⁹ मैसर्स एस.के.एस. पावर जनरेशन छत्तीसगढ़ लिमिटेड और मैसर्स एम.बी. पावर (मध्य प्रदेश) लिमिटेड।

¹⁰ 19वीं इलेक्ट्रिक पावर सर्वे रिपोर्ट में केंद्रीय बिजली प्राधिकरण द्वारा अनुमानित 6.88 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर के आधार पर मूल्यांकन किया गया।

विद्युत क्रय केंद्र ने भारत सरकार की योजना के अंतर्गत बिजली खरीदने के लिए सैद्धांतिक सहमति बाद में (अक्टूबर 2018) दी थी; और iii) संयंत्रों में कोयले की एक दिन की कमी को तीन साल की अवधि के बिजली खरीद अनुबंध करने का आधार बनाया गया था।

इस प्रकार, हरियाणा विद्युत क्रय केंद्र ने राज्य के स्वामित्व वाले अपने उत्पादन स्टेशनों (₹ 3.25 से ₹ 3.88 प्रति यूनिट¹¹) की परिवर्तनीय लागत के विरुद्ध ₹ 4.90 से ₹ 5.00 प्रति यूनिट की दर से बिजली खरीद कर इन निजी बिजली उत्पादकों को लाभ पहुंचाया। इस महंगी बिजली को खरीदने की वजह से अप्रैल 2019 से सितंबर 2020 के दौरान ₹ 208.57 करोड़¹² का परिहार्य व्यय हुआ, जिससे राज्य के उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बोझ पड़ा। यह बोझ बिजली खरीद अनुबंध की वैधता (मार्च 2022) तक और बढ़ जाएगा क्योंकि अनुबंध को केवल उस अनुबंध में परिभाषित चूक पर ही समाप्त किया जा सकता है जिसमें हरियाणा विद्युत क्रय केंद्र द्वारा मूल्यांकन की त्रुटि शामिल नहीं है।

प्रबंधन ने बताया (फरवरी 2021) कि वास्तविक समय के आधार पर बिजली का निर्धारण एक सतत प्रक्रिया थी जिसके लिए गतिशील निर्णयों की आवश्यकता होती है क्योंकि बिजली का भंडारण नहीं किया जा सकता है। मांग से कम/अधिक उत्पादन क्षेत्रीय लोड डिस्पैच सेंटर द्वारा सहन नहीं किया जाता है और वितरण कंपनियों का उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना भरना पड़ता है। ऐसे परिदृश्य में, जहां मांग को पूरा करने के लिए आपूर्ति अपर्याप्त थी, वितरण कंपनियों को उन स्रोतों से भी खरीद करनी पड़ी जो महंगे थे। बिजली की कमी को पूरा करने के लिए भारत सरकार की पायलट योजना का उद्देश्य सफलतापूर्वक प्राप्त किया गया और उपभोक्ताओं को निर्बाध आपूर्ति को ऐसी स्थिति में सुनिश्चित किया गया, जब मई 2018 में उत्पादक बिजली खरीद अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन करना चाहते थे। प्रबंधन का उत्तर विश्वासप्रद नहीं था क्योंकि यह पूरी तरह से हरियाणा विद्युत क्रय केंद्र की इस आशंका पर आधारित था कि आपूर्ति बाधित हो जाएगी और जब अक्टूबर 2018 में निजी उत्पादकों से बिजली की खरीद की मूल स्वीकृति देने का निर्णय लिया गया था तो स्थिति में काफी सुधार हुआ था। इसके अतिरिक्त, यदि बिजली की सभी आवश्यकता मौजूदा स्रोतों द्वारा आपूर्ति न करने के कारण थी, तो इसे एक अप्रत्याशित घटना के रूप में बिजली की स्पॉट खरीद का सहारा लेना चाहिए था।

3.1.3 नवीकरणीय ऊर्जा खरीद दायित्व लक्ष्यों की प्राप्ति

नवीकरणीय ऊर्जा खरीद दायित्व में यह अनिवार्य है कि सभी बिजली वितरण लाइसेंसधारियों को नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से अपनी आवश्यकताओं की न्यूनतम निर्दिष्ट मात्रा में खरीद या उत्पादन

¹¹ दीन बंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट: ₹ 3.25/यूनिट, पानीपत थर्मल पावर स्टेशन - यूनिट VII एवं VIII: ₹ 3.35/यूनिट तथा राजीव गांधी थर्मल पावर स्टेशन: ₹ 3.37/यूनिट और पानीपत थर्मल पावर स्टेशन - यूनिट V एवं VI: ₹ 3.88/यूनिट।

¹² ₹ 1,186.94 करोड़ (योजना के अंतर्गत बिजली की खरीद के लिए खर्च की गई लागत जिसमें प्रसारण हानि 84.034 मिलियन यूनिट और ट्रेडिंग मार्जिन की लागत: ₹ 35.77 करोड़ शामिल है) घटा ₹ 978.37 करोड़ (अन्यथा समर्थित राज्य संचालित संयंत्रों से निवल बिजली खरीदने की लागत)।

करना चाहिए। यह भारतीय विद्युत अधिनियम, 2003 के अनुसार है। राज्य विद्युत विनियामक आयोग राज्य के लिए न्यूनतम नवीकरणीय ऊर्जा खरीद दायित्व तय करते हैं।

हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग ने समय-समय पर वितरण कंपनियों द्वारा पूरे किए जाने वाले वार्षिक नवीकरणीय ऊर्जा खरीद दायित्व लक्ष्यों को अधिसूचित किया था। अधिसूचित लक्ष्यों और उनके विरुद्ध वास्तविक प्राप्ति की तुलना नीचे तालिकाबद्ध है:

तालिका 3.2: नवीकरणीय ऊर्जा (गैर-सौर ऊर्जा और सौर ऊर्जा) के संबंध में लक्ष्य और प्राप्ति

वर्ष	नवीकरणीय ऊर्जा (गैर-सौर ऊर्जा)				नवीकरणीय ऊर्जा (सौर ऊर्जा)			
	लक्षित खरीद		वास्तविक खरीद (मि.यू.)	कमी (प्रतिशतता)	लक्षित खरीद		वास्तविक खरीद (मि.यू.)	कमी (प्रतिशतता)
	कुल खपत की प्रतिशतता	मि.यू.			कुल खपत की प्रतिशतता	मि.यू.		
2015-16	2.75	1,285	253.14	80.30	0.75	350	126.99	63.72
2016-17	2.75	1,288	255.14	80.19	1.00	468	163.45	65.07
2017-18	2.75	1,078	283.30	73.72	2.50	980	209.51	78.62
2018-19	3.00	1,147	933.18	18.64	4.00	1,529	214.37	85.98
2019-20	3.00	1,186	564.08	52.44	5.50	2,175	205.59	90.55

* हाइड्रो और नवीकरणीय ऊर्जा को छोड़कर

स्रोत: हरियाणा विद्युत क्रय केंद्र द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों से संकलित

उपर्युक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि हरियाणा विद्युत क्रय केंद्र समीक्षाधीन वर्षों में नवीकरणीय ऊर्जा खरीद दायित्व के लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सका। कमी की सीमा गैर-सौर नवीकरणीय ऊर्जा के लिए 18.64 से 80.30 प्रतिशत और सौर नवीकरणीय ऊर्जा के लिए 63.72 प्रतिशत से 90.55 प्रतिशत तक थी।

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि सतत् विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार ने राज्य के लिए नवीकरणीय ऊर्जा (सौर और गैर-सौर दोनों) के लिए 1900 मेगावाट का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसे हरियाणा सौर नीति, 2016 में शामिल किया गया था। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हरियाणा विद्युत क्रय केंद्र ने अब तक 1542.77 मेगावाट¹³ की नवीकरणीय ऊर्जा (सौर ऊर्जा और गैर-सौर ऊर्जा) क्षमता के लिए 31 मार्च 2019 तक अनुबंध किया है। इस प्रकार लक्ष्यों की उपलब्धि में भी अभाव था। इसके परिणामस्वरूप हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग द्वारा निर्धारित नवीकरणीय ऊर्जा खरीद दायित्वों की पूर्ति नहीं हुई है।

प्रबंधन ने बताया कि हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग ने वितरण कंपनियों के प्रस्तुतीकरण पर विचार किया है और मार्च 2020 तक पिछले वर्षों के नवीकरणीय ऊर्जा खरीद दायित्व बैकलॉग को माफ करने का निर्णय लिया है। हालांकि, तथ्य यह रहा कि स्वच्छ ऊर्जा के संबंध में सतत् विकास लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका।

¹³ इस क्षमता में से अभी तक (मार्च 2020) 319.2 मेगावाट क्षमता का ही उत्पादन शुरू हुआ है।

3.1.4 नई सूचना प्रौद्योगिकी परियोजना से परिकल्पित लाभों की प्राप्ति न होना

अतिरिक्त विचलन निपटान तंत्र (अ.वि.नि.तं.) प्रभारों¹⁴ को कम करने और बिजली खरीद लागत को अनुकूलित करने के लिए हरियाणा विद्युत क्रय केंद्र ने आर.ई.सी. पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड नई दिल्ली (आर.ई.सी. लिमिटेड - भारत सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी) को ₹ 2.95 करोड़ जमा लागू करों की लागत पर नामांकन के आधार पर बिजली प्रबंधन सॉफ्टवेयर के कार्यान्वयन के लिए एक अनुबंध प्रदान (मई 2016) किया। कार्य के क्षेत्र में 5 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि के साथ ₹ 15.50 लाख प्रति माह पर सॉल्यूशन सॉफ्टवेयर, इसका कार्यान्वयन और तीन वर्ष का परिचालन सहायता शामिल है। अतिरिक्त विचलन निपटान तंत्र प्रभारों को कम करने के उद्देश्य के साथ-साथ सॉफ्टवेयर विशेषताओं में मध्यम अवधि, लघु अवधि और अगले दिन की पूर्वानुमान मांग, अगले दिन की और वास्तविक समय बिजली शेड्यूलिंग का उत्तरी क्षेत्रीय लोड डिस्पैच सेंटर (उ.क्षे.लो.डि.सं.) और हरियाणा राज्य लोड डिस्पैच सेंटर (रा.लो.डि.सं.) के साथ एकीकरण शामिल है। सिस्टम को अप्रैल 2018 से चालू कर दिया गया था। सॉफ्टवेयर सुविधाओं में अतिरिक्त विचलन निपटान तंत्र प्रभारों को कम करने के उद्देश्य से मध्यम अवधि, लघु अवधि और दिन आगे मांग पूर्वानुमान, दिन आगे और वास्तविक समय बिजली शेड्यूलिंग, उत्तरी क्षेत्र लोड डिस्पैच सेंटर और हरियाणा राज्य लोड डिस्पैच सेंटर के साथ एकीकरण शामिल है। सिस्टम को अप्रैल 2018 से चालू कर दिया गया था।

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि परियोजना के कार्यान्वयन के बावजूद, लोड पूर्वानुमान में कोई सुधार नहीं हुआ था और हरियाणा विद्युत क्रय केंद्र को उत्तरी क्षेत्र लोड डिस्पैच सेंटर को अतिरिक्त विचलन निपटान तंत्र प्रभारों का भुगतान करना पड़ा था जैसा कि नीचे तालिकाबद्ध है:

तालिका 3.3: सॉफ्टवेयर के कार्यान्वयन से पहले और बाद में अतिरिक्त विचलन निपटान तंत्र प्रभारों के विवरण

वर्ष	मौसम*	अतिरिक्त विचलन निपटान तंत्र प्रभार (₹ करोड़ में)	आधार अवधि में वृद्धि/(कमी)	
			राशि (₹ करोड़ में)	प्रतिशत
सॉफ्टवेयर के कार्यान्वयन से पहले				
2017-18	गर्मी	21.92	-	-
	सर्दी	21.58	-	-
सॉफ्टवेयर के कार्यान्वयन के बाद				
2018-19	गर्मी	37.11	15.19	69.29
	सर्दी	29.27	7.69	35.63
2019-20	गर्मी	35.40	13.48	61.50
	सर्दी	9.15	(12.43)	(57.60)
2020-21	गर्मी	27.52	5.6	25.55
	सर्दी	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं

* गर्मी का मौसम: अप्रैल से सितंबर; # सर्दियों का मौसम: अक्टूबर से मार्च।

स्रोत: हरियाणा विद्युत क्रय केंद्र द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़े।

¹⁴ एक समय खंड में निर्दिष्ट ग्रिड फ्रीक्वेंसी पर वितरण कंपनियों द्वारा निर्दिष्ट मात्रा से अधिक ऊर्जा (मिलियन यूनिट में) के आहरण के कारण अतिरिक्त प्रभार लगे और अतिरिक्त विचलन निपटान तंत्र प्रभार मिलियन यूनिट (एम.यू.) के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं।

अनुबंध की शर्तों में प्रावधान था कि अतिरिक्त विचलन निपटान तंत्र प्रभारों में कटौती न करने की स्थिति में, शास्ति लगाई जानी थी जो परस्पर सहमति से परिचालन लागत के अधिकतम 5 प्रतिशत के अधीन होगी। हालांकि, इस तथ्य के बावजूद कि अतिरिक्त विचलन निपटान तंत्र प्रभार पहले वर्ष से लगातार बढ़ रहे हैं, हरियाणा विद्युत क्रय केंद्र द्वारा इस तरह की किसी भी शास्ति के लिए न तो सहमति दी गई थी और न ही कटौती की गई थी। परिचालन के दूसरे और तीसरे वर्ष के लिए शास्ति की अधिकतम राशि (5 प्रतिशत) ₹ 14.90 लाख परिकल्पित की गई। इस प्रकार, हरियाणा विद्युत क्रय केंद्र ₹ 3.52 करोड़ व्यय करने के बावजूद नए सॉफ्टवेयर से परिकल्पित लाभ प्राप्त नहीं कर सका और अनुबंध की शर्तों के अनुसार ठेकेदार पर शास्ति भी नहीं लगाई।

प्रबंधन ने बताया (मई 2021) कि अप्रैल और मई 2018 के दौरान अदानी संयंत्र के बंद होने और अन्य संयंत्रों में कोयले की कमी के कारण अतिरिक्त विचलन निपटान तंत्र प्रभारों में वृद्धि हुई। उत्तर विश्वासप्रद नहीं है क्योंकि अप्रैल और मई 2018 के महीनों के लिए अतिरिक्त विचलन निपटान तंत्र प्रभार अगले वर्ष अर्थात् अप्रैल और मई 2019 के इन्हीं महीनों के अतिरिक्त विचलन निपटान तंत्र प्रभारों से कम थे। इसके अतिरिक्त, अतिरिक्त विचलन निपटान तंत्र प्रभार निर्धारित समय और वास्तविक आहरण में अंतर के कारण उद्गृहीत किए जाते हैं, जबकि सिस्टम को अतिरिक्त विचलन निपटान तंत्र प्रभारों से बचने के लिए यथासंभव सटीक रूप से मांग की गणना करनी चाहिए और अतिरिक्त विचलन निपटान तंत्र प्रभारों से बचने के लिए शेड्यूल को उसके अनुसार रखा जाना चाहिए। अदानी संयंत्रों या अन्य संयंत्रों (आपूर्ति की अनुपलब्धता) की अनुपलब्धता (अग्रिम रूप से घोषित) के मामले में, अन्य जनरेटर को शेड्यूल दिया जा सकता है।

3.1.5 गलत योग्यता आदेश के कारण अतिरिक्त व्यय

उच्च परिवर्तनीय लागत (₹ 3.894 प्रति यूनिट) के कारण पानीपत थर्मल पावर स्टेशन (पा.थ.पा.स्टे.) की यूनिट-6 (210 मेगावाट) फरवरी 2019 से मई 2020 तक शेड्यूल प्राप्त करने में विफल रही और 16 महीने तक लगातार बंद रही। हालांकि, हरियाणा पावर जेनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड (ह.पा.जे.कॉ.लि.) ने हरियाणा विद्युत क्रय केंद्र से परीक्षण के उद्देश्य से 24 घंटे के लिए लाइट अप करने का अनुरोध किया (मार्च 2020)। हरियाणा विद्युत क्रय केंद्र ने लगभग 24 घंटे की अवधि के लिए यूनिट का परीक्षण करने की अनुमति (मार्च 2020) दी। तदनुसार, यूनिट-6 को 19 जून 2020 को 160 मेगावाट के लोड पर शुरू किया गया था और 24 घंटे के दौरान 4.08 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन ₹ 3.314 प्रति यूनिट की परिवर्तनीय लागत पर किया गया था जो फरवरी 2019 के दौरान प्राप्त किए गए ₹ 0.60 प्रति यूनिट से कम था, जब यूनिट अंतिम बार चलाई गई थी।

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि जून 2017 से मई 2020 तक तीन वर्षों के दौरान यूनिट-6 में विद्युत उत्पादन की औसत परिवर्तनीय लागत ₹ 3.83 प्रति यूनिट थी। योग्यता आदेश तय करने में हरियाणा विद्युत क्रय केंद्र द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया के अनुसार, जहां ऐसी असामान्य

परिस्थितियां मौजूद थीं, योग्यता आदेश तय करने के लिए परिवर्तनीय लागत पर विचार नहीं किया जाता है। यह भी देखा गया कि नवंबर 2019 के दौरान, सिस्टम को बनाए रखने के लिए फरीदाबाद गैस पावर प्लांट को ट्रायल मोड में चलाने के लिए बनाया गया था और हरियाणा विद्युत क्रय केंद्र द्वारा निर्धारित नहीं था, हालांकि इसकी परिवर्तनीय लागत संयंत्र के पिछले संचालन (अक्टूबर 2019) से कम थी।

उपर्युक्त के बावजूद, हरियाणा विद्युत क्रय केंद्र ने जुलाई 2020 के लिए योग्यता आदेश तैयार करते समय यूनिट-6 की ट्रायल रन लागत पर विचार किया। परिणामस्वरूप, यूनिट-6 को अरावली पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (अ.पा.कं.प्रा.लि.) और झज्जर पावर लिमिटेड (झ.पा.लि.) की तुलना में बेहतर स्थान दिया गया था। यह देखा गया कि आमतौर पर¹⁵ अरावली पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड और झज्जर पावर लिमिटेड में यूनिट-6 की तुलना में कम परिवर्तनीय लागत थी। ट्रायल रन अवधि की परिवर्तनीय लागत को ध्यान में रखते हुए, यूनिट-6 को अरावली पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड और झज्जर पावर लिमिटेड की तुलना में बेहतर स्थान दिया गया था तथा 10 जुलाई 2020 और 23 जुलाई 2020 के दौरान 11 दिनों के लिए शेड्यूल दिया गया था और उसी महीने के दौरान 41.105 मिलियन यूनिट को अरावली पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड और झज्जर पावर लिमिटेड की क्रमशः ₹ 3.33 और ₹ 3.409 की प्रति यूनिट परिवर्तनीय लागत के विरुद्ध ₹ 3.514 प्रति यूनिट की अंतिम परिवर्तनीय लागत पर खरीदा गया था।

इस प्रकार, यदि ट्रायल रन के परिणामों पर विचार न करके जुलाई 2020 के लिए योग्यता आदेश तैयार किया गया होता, तो अधिकतम लागत पर 41.105 मिलियन यूनिट खरीदी जा सकती थी और ₹ 75.63 लाख¹⁶ की बचत की जा सकती थी।

प्रबंधन ने सूचित किया (जून 2021) कि दिसंबर 2020 से, परीक्षण के लिए सहमति देते समय, परीक्षण अवधि के दौरान दी गई परिवर्तनीय लागत पर मेरिट ऑर्डर तैयार करने के लिए विचार नहीं किया जाएगा।

3.1.6 आंतरिक नियंत्रण का अभाव

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि हरियाणा विद्युत क्रय केंद्र में बिजली की खरीद के विरुद्ध भुगतान के संबंध में आंतरिक नियंत्रणों में सुधार की आवश्यकता है। भुगतान में निरंतर त्रुटियों के निम्नलिखित उदाहरण देखे गए थे।

¹⁵ फरवरी 2019 से जून 2020 तक के महीनों के आंकड़ों के आधार पर, जहां इन संयंत्रों से बिजली की मासिक औसत लागत ₹ 3.349 और ₹ 3.737 प्रति यूनिट के बीच थी, जो कि परिवर्तनीय लागत (पानीपत थर्मल पावर स्टेशन की यूनिट 6 की ₹ 3.894 प्रति यूनिट) से कम थी। (स्रोत: हरियाणा विद्युत क्रय केंद्र के दस्तावेज)

¹⁶ 41.105 मिलियन यूनिट (₹ 3.514 घटा ₹ 3.33)

क) कैप्टिव जेनरेटरों को भुगतान से क्रॉस सब्सिडी और अतिरिक्त अधिभार का गैर-समायोजन

विद्युत नियम, 2005 के नियम 3 के अनुसार, कोई भी विद्युत संयंत्र कैप्टिव उत्पादन संयंत्र के रूप में तब तक योग्य नहीं होगा जब तक कि (i) कम से कम 26 प्रतिशत स्वामित्व कैप्टिव उपयोगकर्ता(ओं) के पास न हो और (ii) ऐसे संयंत्र में उत्पादित कुल बिजली, जिसे वार्षिक आधार पर निर्धारित किया गया है, का कम से कम 51 प्रतिशत उपयोग कैप्टिव के लिए किया जाता है। यदि कोई उत्पादन संयंत्र इस आवश्यकता को पूरा नहीं करता है, तो वह हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग द्वारा बनाए गए नियमों के अंतर्गत दिए जाने वाले लाभों के लिए अपात्र हो जाएगा और एक नियमित उत्पादन संयंत्र या स्वतंत्र बिजली उत्पादक के रूप में माना जाएगा। इस प्रकार यह वितरण कंपनियों को स्वयं द्वारा उपयोग की जाने वाली ऊर्जा की संपूर्ण मात्रा पर, समय-समय पर हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग द्वारा अधिसूचित क्रॉस सब्सिडी प्रभार, अतिरिक्त अधिभार या किसी अन्य प्रभार का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है।

हरियाणा विद्युत क्रय केंद्र ने यह नहीं जांचा कि तीन उत्पादन संयंत्रों¹⁷ को कैप्टिव जेनरेटर के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाना था (2010-11 से 2018-19 तक), क्योंकि इन संयंत्रों ने अपने उत्पादन के 51 प्रतिशत से अधिक भाग की आपूर्ति हरियाणा विद्युत क्रय केंद्र को की थी। गैर-सत्यापन के परिणामस्वरूप हरियाणा विद्युत क्रय केंद्र ने बिजली खरीद बिलों से लागू क्रॉस सब्सिडी और अतिरिक्त अधिभार की कटौती नहीं की, जिसे वितरण कंपनियों को दिया जा सकता था।

अगस्त 2019 में, हरियाणा विद्युत क्रय केंद्र ने तीन उत्पादकों से ₹ 71.37 करोड़¹⁸ की राशि के लागू प्रभारों की वसूली के लिए नोटिस जारी किए। उन्होंने हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग के समक्ष इसे चुनौती देते हुए बताया कि 10 साल की अवधि के बाद वसूली के लिए नोटिस जारी करना अन्यायपूर्ण, मनमाना और बाद में सोचा गया है। कैप्टिव जेनरेटरों और हरियाणा विद्युत क्रय केंद्र को सुनने के बाद हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग ने निर्देश दिया (जुलाई 2020) कि दोनों विभागों (विद्युत और सहकारी विभागों) के प्रशासनिक सचिवों के स्तर पर चर्चा के माध्यम से इस मुद्दे को पारस्परिक रूप से हल किया जाए।

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 56 (2) के अनुसार, यदि बिजली का दावा पहली देय होने की तारीख से दो साल के भीतर नहीं किया जाता है, तो उन्हें तब तक वसूल नहीं किया जा सकता जब तक कि उन्हें लगातार बकाया के रूप में नहीं दिखाया जाता है। हालांकि, यह अवलोकित किया गया था कि वसूली का नोटिस पहली बार अगस्त 2019 में ही जारी किया गया था। इसलिए वर्ष 2010-11 से 2016-17 तक ₹ 71.37 करोड़ की राशि में से ₹ 35.84 करोड़ की राशि की वसूली संदेहास्पद है। इसके अतिरिक्त, हरियाणा विद्युत क्रय केंद्र

¹⁷ (i) शाहबाद को-ऑपरेटिव शुगर मिल्स लिमिटेड, कुरुक्षेत्र (ii) हरियाणा को-ऑपरेटिव शुगर मिल्स, रोहतक और (iii) नारायणगढ़ शुगर मिल्स लिमिटेड, अंबाला।

¹⁸ शाहबाद को-ऑपरेटिव शुगर मिल्स लिमिटेड, कुरुक्षेत्र से ₹ 32.92 करोड़; हरियाणा को-ऑपरेटिव शुगर मिल्स, रोहतक से ₹ 28.48 करोड़ और नारायणगढ़ शुगर मिल्स लिमिटेड, अंबाला से ₹ 9.97 करोड़।

भले ही वितरण कंपनियों की ओर से पूरी राशि की वसूल करता है, लेकिन ऐसी घटनाओं को रोकने में विफलता के कारण पहले ही ₹ 26.43 करोड़ (मार्च 2020 तक) के ब्याज की हानि उठा चुका है।

ख) न्यूनतम वैकल्पिक कर/कॉर्पोरेट कर का अधिक भुगतान

हरियाणा विद्युत क्रय केंद्र को केवल नवीकरणीय बिजली उत्पादकों को इक्विटी पर रिटर्न पर लागू दरों पर न्यूनतम वैकल्पिक कर/कॉर्पोरेट कर की प्रतिपूर्ति करना अपेक्षित था। तथापि, यह अवलोकित किया गया कि हरियाणा विद्युत क्रय केंद्र वास्तविक लाभ के आधार पर इन उत्पादकों को न्यूनतम वैकल्पिक कर/कॉर्पोरेट कर का भुगतान कर रहा था। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर (मार्च 2020) और ऐसे अन्य मामलों की समीक्षा करने के बाद, हरियाणा विद्युत क्रय केंद्र ने संबंधित उत्पादकों के साथ मामले को उठाया (जून 2020) और उन्हें भुगतान की गई अतिरिक्त राशि ब्याज के साथ वापस करने के लिए कहा। परिणामस्वरूप, तीन उत्पादकों ने ₹ 5.79 करोड़¹⁹ के क्रेडिट नोट जारी किए (मार्च, मई, जून 2020)।

इस प्रकार, आंतरिक नियंत्रण तंत्र विद्युत उत्पादकों को किए गए अधिक भुगतान का पता लगाने में विफल रहा।

प्रबंधन ने सूचित किया (मार्च 2021) कि अब विशेष जांच की जा रही है ताकि भविष्य में ऐसी गलती न हो और अधिकारियों को निर्देश दिया जा रहा है कि भुगतान करते समय विनियमन/अधिनियम के प्रावधानों की व्याख्या करने में सतर्क रहें।

निष्कर्ष

हरियाणा विद्युत क्रय केंद्र ने निजी उत्पादकों से महंगी बिजली खरीदने और गलत मेरिट आर्डर तैयार करने में, जो कि परिहार्य था, ₹ 209.33 करोड़ का अतिरिक्त व्यय किया, जिससे राज्य के उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त भार पड़ा। कंपनी नवीकरणीय ऊर्जा खरीद दायित्व के लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकी क्योंकि कमी 18.64 प्रतिशत और 90.55 प्रतिशत के मध्य थी। वहनीय, टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित सतत् विकास लक्ष्यों को पूरी तरह से प्राप्त नहीं किया गया था। बिजली की खरीद के भुगतान के संबंध में आंतरिक नियंत्रण लेखापरीक्षा के दौरान देखे गए गलत भुगतानों के उदाहरणों का पता लगाने में सक्षम नहीं थे।

यह सिफारिश की जाती है कि हरियाणा विद्युत क्रय केंद्र, उत्पादन क्षमता में वृद्धि के लिए दीर्घ अवधि/मध्यम अवधि के अनुबंध करते समय लागत लाभ विश्लेषण करे ताकि इष्टतम लागत पर बिजली खरीदी जा सके। कंपनी के नवीकरणीय ऊर्जा खरीद दायित्वों को पूरा करने का प्रयास किया जाए ताकि सतत् विकास लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। सब्सिडी के दावों एवं बिजली की खरीद के लिए भुगतान के संबंध में आंतरिक नियंत्रण को मजबूत किया जाए।

¹⁹ मैसर्स जेमको एनर्जी लिमिटेड: ₹ 2.42 करोड़, स्टारवायर (इंडिया) विद्युत प्राइवेट लिमिटेड: ₹ 2.56 करोड़ और श्री ज्योति रिन्यूएबल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड: ₹ 0.81 करोड़।

मामला सरकार और हरियाणा विद्युत क्रय केंद्र के पास भेजा गया था (मार्च 2021); उनके उत्तर प्रतीक्षित थे (सितंबर 2021)।

उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड

3.2 म्हारा गांव जगमग गांव योजना का कार्यान्वयन

योजना के कार्यान्वयन के सभी चरणों में अक्षमताओं के कारण योजना का कार्यान्वयन धीमा था और इसके आरंभ (जुलाई 2015) के पांच साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी 972 ग्रामीण घरेलू आपूर्ति फीडरों में से 295 अभी तक (जनवरी 2021) पूर्ण नहीं हुए थे। कार्यों के पूरा होने में विलंब के साथ-साथ पूरा न होने के कारण कंपनी को ₹ 786.54 करोड़ का संभावित राजस्व छोड़ना पड़ा जो कि कंपनी द्वारा प्रसारण एवं वितरण हानियों के निर्धारित लक्ष्यों को हासिल करके प्राप्त किया जा सकता था।

3.2.1 प्रस्तावना

राज्य की बिजली वितरण कंपनियां उच्च प्रसारण एवं वितरण हानि का सामना कर रही थीं। इसने उनकी कम बिलिंग और संग्रहण दक्षता के साथ मिलकर उनके वित्तीय स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाला। हरियाणा सरकार ने ग्रामीण वितरण आपूर्ति फीडरों पर प्रसारण एवं वितरण हानियों²⁰ को कम करने और संग्रहण दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से म्हारा गांव जगमग गांव योजना शुरू की (जुलाई 2015)।

योजना के अंतर्गत निर्दिष्ट मील पत्थरों के अनुपालन पर चरणबद्ध तरीके से गांवों में बिजली की आपूर्ति मौजूदा 12 घंटे से बढ़ाकर 24 घंटे की जानी थी। योजना के अंतर्गत की जाने वाली गतिविधियों में एरियल बंचड केबल के साथ-साथ बेयर लो-टेंशन कंडक्टरों को बदलना, खराब/पुराने बिजली मीटरों को बदलना, बिजली मीटरों को उपभोक्ता परिसर के बाहर स्थानांतरित करना, वितरण नेटवर्क का रखरखाव आदि शामिल था। शुरू में 83 राज्य विधानसभा क्षेत्रों (ग्रामीण क्षेत्रों में पड़ने वाले) में से प्रत्येक में एक ग्रामीण वितरण आपूर्ति फीडर पर लागू की गई (जुलाई 2015) योजना को पूरे राज्य को कवर करने के लिए चरणों में विस्तारित (मार्च 2016 और मार्च 2017 के मध्य) किया गया था। 31 मार्च 2020 तक योजना के कार्यान्वयन पर किया गया कुल व्यय ₹ 203.01 करोड़ था।

लेखापरीक्षा ने उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (कंपनी) द्वारा म्हारा गांव जगमग गांव योजना के कार्यान्वयन में की गई गतिविधियों की समीक्षा (अक्टूबर 2020 से

²⁰ तकनीकी एवं व्यावसायिक कारणों से उपभोक्ताओं को बिजली की आपूर्ति की प्रक्रिया में ऊर्जा की हानि होती है। तकनीकी हानियां एक प्रणाली में निहित होती हैं जो कंडक्टरों, ट्रांसफार्मरों और बिजली के वितरण एवं प्रसारण के लिए उपयोग किए जाने वाले अन्य उपकरणों में ऊर्जा के क्षय के कारण होती हैं। हूकिंग, मीटर को बायपास करके चोरी, खराब मीटर, मीटर रीडिंग में त्रुटि आदि व्यावसायिक हानि के मुख्य स्रोत हैं।

जनवरी 2021) की, जो नौ²¹ परिचालन परिमंडलों के माध्यम से हरियाणा के 10 जिलों²² में कार्य करती है। इस समीक्षा के लिए, लेखापरीक्षा ने म्हाारा गांव जगमग गांव योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए नौ परिचालन परिमंडलों में से पांच²³ परिचालन परिमंडलों का चयन किया, परिमंडलों के निष्पादन पर विचार किए बिना, कोविड-19 के संचलन प्रतिबंधों को ध्यान में रखते हुए; संयोग से इनमें से अधिकतर परिमंडल बेहतर निष्पादन करने वाले मंडल थे। चयनित पांच परिमंडलों के संबंध में 512 ग्रामीण घरेलू आपूर्ति फीडरों के संबंध में निष्पादित सभी कार्यों को लेखापरीक्षा में शामिल किया गया था। लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि क्या योजना की आयोजना दक्षतापूर्वक की गई थी, योजना के अंतर्गत कार्यों को मितव्ययिता और कुशलता से निष्पादित किया गया था और योजना को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित किया गया था।

लेखापरीक्षा परिणाम

3.2.2 परियोजना की आयोजना

(क) योजना के लिए समय-सीमा का गैर-विनिर्देशन

हरियाणा सरकार द्वारा म्हाारा गांव जगमग गांव योजना, इसके कार्यान्वयन के लिए किसी समयसीमा के बिना शुरू (जुलाई 2015) की गई थी। कंपनी ने आवधिक रूप से योजना की प्रगति की निगरानी के लिए कोई आंतरिक समय-सीमा भी निर्दिष्ट नहीं की। परिणामस्वरूप, कंपनी योजना के अंतर्गत कार्यों में तेजी लाने के लिए समय पर कदम नहीं उठा सकी।

तथापि, हरियाणा सरकार ने योजना के अंतर्गत कार्यों को पूरा करने तथा प्रसारण एवं वितरण हानियों को 20 प्रतिशत से कम करने के लिए जिलावार समय-सीमा विलम्ब से निर्धारित (फरवरी 2017) की।

नीचे दी गई तालिका जनवरी 2021 तक म्हाारा गांव जगमग गांव के कार्यों के लिए पूरा किए जाने वाले परिमंडल-वार फीडरों की संख्या, लक्ष्य तिथियां और उनके विरुद्ध प्रगति को दर्शाती है:

तालिका 3.4: म्हाारा गांव जगमग गांव के कार्यों को पूरा करने की जिलावार लक्षित एवं वास्तविक तिथियां

क्र. सं.	जिले का नाम	पूर्ण किए जाने वाले फीडरों की संख्या	पूर्णता लक्ष्य	वास्तव में पूर्ण किए गए फीडरों की संख्या	वास्तविक पूर्णता तिथि	विलंब (महीनों में)	पूर्णता की प्रतिशतता
1	अंबाला	51	अप्रैल 2017	51	अक्टूबर 2018	17	100
2	पंचकुला	20	नवंबर 2016	20	नवंबर 2016	-	100
3	यमुनानगर	98	दिसंबर 2017	98	जनवरी 2021	37	100
4	कुरुक्षेत्र	98	मार्च 2018	98	अप्रैल 2019	13	100
5	करनाल	143	जून 2018	143	अगस्त 2020	26	100

²¹ अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, पानीपत, रोहतक, झज्जर, सोनीपत और यमुनानगर।

²² अंबाला, पंचकुला, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, पानीपत, रोहतक, झज्जर, सोनीपत और यमुनानगर।

²³ अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल और यमुनानगर।

क्र. सं.	जिले का नाम	पूर्ण किए जाने वाले फीडरों की संख्या	पूर्णता लक्ष्य	वास्तव में पूर्ण किए गए फीडरों की संख्या	वास्तविक पूर्णता तिथि	विलंब (महीनों में)	पूर्णता की प्रतिशतता
6	कैथल	143	मार्च 2018	122	प्रगति में	34	85.31
7	पानीपत	81	दिसंबर 2017	42	प्रगति में	37	51.85
8	झज्जर	91	जून 2018	24	प्रगति में	31	26.37
9	सोनीपत	141	जून 2018	48	प्रगति में	31	34.04
10	रोहतक	106	जून 2018	31	प्रगति में	31	29.24
	कुल	972		677			69.65

स्रोत: कंपनी द्वारा उपलब्ध कराए गए अभिलेखों/आंकड़ों पर आधारित संकलन

जबकि चार जिलों अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल और यमुनानगर के अंतर्गत काम पूरा हो चुका था और कैथल जिले में लगभग 85 प्रतिशत काम पूरा हो चुका था, शेष चार जिलों (पानीपत, झज्जर, सोनीपत और रोहतक) में प्रगति धीमी थी। लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि धीमी प्रगति परियोजना कार्यान्वयन के सभी चरणों अर्थात् आयोजना, आवंटन और निष्पादन में देखी गई अक्षमताओं के कारण थी।

प्रबंधन ने बताया (नवंबर 2020) कि योजना को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा कोई समयसीमा निर्धारित नहीं की गई थी, हालांकि सरकार की इच्छा सभी गांवों को जल्द से जल्द 24 घंटे बिजली आपूर्ति करने की थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि किसी भी परियोजना के निष्पादन में समय-सीमा के महत्व को देखते हुए, कंपनी को अपने लिए समय-सीमा निर्धारित करनी चाहिए थी, भले ही सरकार ने इसे निर्दिष्ट न किया हो। इसके अतिरिक्त, कंपनी कई जिलों के संबंध में बाद में सरकार द्वारा तय की गई समय-सीमा का भी पालन नहीं कर सकी।

(ख) टर्नकी आधार पर कार्यों को प्रदान करने में विलम्बित निर्णय

2015-16 से 2017-18 के दौरान, कंपनी ने कंपनी के भंडारों से सामग्री के साथ और अनुबंध के आधार पर श्रमिकों को नियुक्त करके म्हारा गांव जगमग गांव के कार्यों को विभागीय रूप से निष्पादित किया। चूंकि 2016-17 और 2017-18 में योजना की प्रगति बहुत धीमी थी (इस अवधि के दौरान केवल 79 फीडरों अर्थात् (8.22 प्रतिशत) को कवर किया जा सका), कंपनी ने टर्नकी आधार पर आंशिक कार्यों को देने का निर्णय लिया (अक्टूबर 2017)। इसके बाद, हालांकि योजना के कार्यान्वयन में तेजी आई, जनवरी 2021 तक प्राप्त की गई समग्र प्रगति अभी भी ग्रामीण वितरण आपूर्ति फीडरों के मामले में 69.65 प्रतिशत थी। नीचे दी गई तालिका विभागीय और टर्नकी आधार पर निष्पादित कार्यों के संबंध में जनवरी 2021 तक ग्रामीण वितरण आपूर्ति फीडर-वार प्रगति दर्शाती है:

तालिका 3.5: विभागीय और टर्नकी आधार पर लिए गए ग्रामीण वितरण आपूर्ति फीडरों की स्थिति

निष्पादन का प्रकार	ग्रामीण वितरण आपूर्ति फीडर		
	कवर किए गए फीडर (संख्या)	पूर्ण किए गए फीडर (संख्या)	प्रगति (प्रतिशत)
विभागीय रूप से (जुलाई 2015 से जनवरी 2021 तक)	765	499	65.23
टर्नकी आधार पर (अक्तूबर 2017 से जनवरी 2021 तक)	207	178	85.99
कुल	972	677	69.65

स्रोत: कंपनी द्वारा प्रदान की गई प्रगति रिपोर्टों/आंकड़ों पर आधारित संकलन

जबकि विभागीय रूप से निष्पादित कार्यों को पूरा करने में देरी को आवश्यकता के अनुसार पर्याप्त सामग्री (विशेषकर पोल और मीटर) की अनुपलब्धता के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था, टर्नकी अनुबंधों के अंतर्गत धीमी प्रगति का कारण अपात्र फर्मों को कार्य सौंपना या बोलीदाताओं की क्षमता और योग्यता के आकलन के बिना था जैसा कि आगामी अनुच्छेदों में चर्चा की गई है।

(ग) सामग्री का अविवेकपूर्ण चयन

म्हारा गांव जगमग गांव योजना का प्राथमिक उद्देश्य बिजली की चोरी पर अंकुश लगाकर और बिलिंग और संग्रह दक्षता में सुधार करके ग्रामीण वितरण आपूर्ति फीडरों पर प्रसारण एवं वितरण हानियों को कम करना था।

कंपनी ने योजना के प्रारंभिक चरण में फीडरों में रबड़ वाली एरियल बंड केबल का उपयोग किया। हालांकि, प्रसारण एवं वितरण हानियों में कमी को अपेक्षित स्तर पर नहीं पाया गया। यह महसूस किया गया कि अवैध रूप से बिजली लेने के लिए बेईमान तत्वों द्वारा रबड़ वाली एरियल बंड केबलों को कीलों से पंचर किए जाने की संभावना थी। इसलिए, कंपनी ने टर्नकी आधार पर निष्पादित किए जाने वाले कार्यों में आर्मर्ड²⁴ केबल का उपयोग करने का निर्णय (सितंबर 2017) लिया।

हमने अवलोकित किया कि चयनित परिचालन परिमंडलों²⁵ में से चार परिचालन परिमंडलों के 11 फीडरों में पहले से लगी हुई 46.215 किलोमीटर एरियल बंड केबल को जनवरी 2021 तक आर्मर्ड केबल से बदल दिया गया। परिणामस्वरूप, वर्ष 2015-17 के दौरान एरियल बंड केबल की खरीद (₹ 73.90 लाख) तथा स्थापना एवं निराकरण (₹ 10.33 लाख) पर किया गया ₹ 84.23 लाख का व्यय व्यर्थ साबित हुआ।

²⁴ विद्युत वितरण में, आर्मर्ड केबल का अर्थ है स्टील के तार वाली आर्मर्ड केबल जो कि मुख्य बिजली की आपूर्ति के लिए डिज़ाइन की गई एक हार्ड-वियरिंग पावर केबल है।

²⁵ अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल और कैथल।

3.2.3 अनुबंधों की प्रदानगी

(क) समय योग्यता मानदंड पर विचार किए बिना अनुबंधों की प्रदानगी

कंपनी ने टर्नकी आधार पर म्हारा गांव जगमग गांव योजना के अंतर्गत तीन परिचालन परिमंडलों के छः मंडलों²⁶ में ग्रामीण वितरण आपूर्ति फीडरों से संबंधित कार्यों²⁷ के निष्पादन के लिए दो भागों में अल्पकालिक बोलियां आमंत्रित (अक्टूबर 2017) की। योग्य बोलीदाताओं की तकनीकी-वाणिज्यिक बोलियों (भाग-1) और मूल्य बोलियों (भाग-2) के मूल्यांकन (नवंबर 2017) के बाद सभी छः मंडलों के संबंध में कार्य एक ही पार्टी - मैसर्स ईश्वर सिंह एंड एसोसिएट्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, हिसार (मैसर्स ईश्वर) जो सभी मामलों में एल1 बोलीदाता निकला, को ₹ 98.77 करोड़ की लागत पर दिया गया (दिसंबर 2017)।

संभावित बोलीदाताओं की तरलता स्थिति का मूल्यांकन अल्पकालिक दायित्वों को पूरा करने की उनकी क्षमता का निर्धारण करने एवं पर्याप्त नकदी के साथ निरंतर परिचालनों के लिए महत्वपूर्ण था, जबकि अपर्याप्त नकदी वाली कंपनियां आवश्यक गति से काम करने और इसे निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करने में सक्षम नहीं हो सकती हैं।

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि बोली दस्तावेजों में, चल परिसंपत्तियों से संबंधित वित्तीय मानदंड अनुमानित लागत के 25 प्रतिशत के बराबर निर्धारित किया गया था। हालांकि, मैसर्स ईश्वर के पक्ष में कार्यों की संख्या तय करते समय इस मानदंड को पूरा करना समग्र रूप से सुनिश्चित नहीं किया गया था। मैसर्स ईश्वर की ₹ 13.79 करोड़ की चल परिसंपत्तियों को देखते हुए, वे ₹ 58.83 करोड़ के प्रदानगी मूल्य के साथ अधिकतम चार ठेके²⁸ देने के पात्र थे। इस प्रकार, एक फर्म को निविदा शर्तों का उल्लंघन करते हुए ₹ 39.94 करोड़²⁹ मूल्य के दो ठेके दिए गए, जिसके लिए उसके पास अपेक्षित नकदी नहीं थी।

²⁶ परिचालन परिमंडल कैथल (बी-523) के अंतर्गत गुहला मंडल के लिए निविदा 1, परिचालन परिमंडल कुरुक्षेत्र (बी-524 से 526) के अंतर्गत कुरुक्षेत्र, पेहोवा एवं शाहबाद मंडल, परिचालन परिमंडल पानीपत के अंतर्गत समालखा (बी 527) एवं उपनगरीय मंडल पानीपत (बी-528) और परिचालन परिमंडल यमुनानगर के अंतर्गत जगाधरी एवं नारायणगढ़ मंडलों के लिए निविदा 2 ।

²⁷ सामग्री/उपकरणों की आपूर्ति, इरेक्शन, परीक्षण और चालू करना, आर्मर्ड केबल के साथ बेयर कंडक्टर के प्रतिस्थापन के लिए मौजूदा ओवरहेड लाइनों/सामग्री का विघटन, मीटर का उपभोक्ता के परिसर से बाहर स्थानांतरण और इलेक्ट्रो-मैकेनिकल मीटर, चोरी प्रवण मीटर, खराब मीटर का प्रतिस्थापन, आदि।

²⁸ बोली संख्या 523, 525, 526 और 528 के विरुद्ध अनुमानित लागत क्रमशः (₹ 14.73 करोड़), (₹ 14.49 करोड़), (₹ 11.90 करोड़) और (₹ 10.31 करोड़) कुल अनुमानित लागत (₹ 51.43 करोड़)।

²⁹ बोली संख्या 524 और 527 के विरुद्ध अनुबंधों का प्रदानगी मूल्य अनुमानित लागत क्रमशः (₹ 18.22 करोड़) और (₹ 16.70 करोड़); प्रदानगी मूल्य क्रमशः (₹ 20.84 करोड़) और (₹ 19.10 करोड़)।

प्रबंधन ने बताया (जुलाई 2019) कि चल परिसंपत्तियों को व्यक्तिगत रूप से एन.आई.टी. के प्रावधानों के अनुसार माना गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अर्हकारी आवश्यकता पर व्यक्तिगत रूप से विचार करना विवेकपूर्ण नहीं था जब चयनित ठेकेदार वही था, विशेष रूप से जब कंपनी को तत्काल आधार पर निविदा को अंतिम रूप देने की आवश्यकता थी जिसके लिए उसे अल्पकालिक खुली निविदा में हिस्सा लेना था। ठेकेदार का निराशाजनक निष्पादन (56.48 प्रतिशत) आगे तरलता स्थिति के प्रभाव की पुष्टि करता है जैसा कि नीचे अनुच्छेद 3.2.4 (क) में चर्चा की गई है।

(ख) अनुबंधों की अनियमित प्रदानगी

कंपनी ने परिचालन परिमंडल यमुनानगर के अंतर्गत उप-शहरी मंडल जगाधरी में म्हारा गांव जगमग गांव के अंतर्गत टर्नकी आधार पर किए जाने वाले कार्यों के लिए दो भागों में निविदाएं³⁰ आमंत्रित (नवंबर 2017) की। कार्यों की अनुमानित लागत ₹ 33.25 करोड़ थी। प्राप्त तीन बोलियों के मूल्यांकन के बाद, कंपनी ने एल1 फर्म, मैसर्ज ईश्वर को ₹ 38.58 करोड़ की लागत पर ठेका दिया (फरवरी 2018)।

निविदा की शर्तों के अनुसार, बोलीदाताओं को कार्य की अनुमानित लागत के 25 प्रतिशत, अर्थात् ₹ 8.31 करोड़ (₹ 33.25 करोड़ की अनुमानित लागत का 25 प्रतिशत), के बराबर चल संपत्ति प्रदर्शित करना अपेक्षित था। निविदा की शर्तों में यह भी निर्दिष्ट किया गया है कि चल संपत्ति की गणना के लिए अंतिम स्टॉक, कैश इन हैंड, बैंक बैलेंस और सावधि जमा प्राप्तियों/निवेश पर ही विचार किया जाएगा। लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि कंपनी ने चल संपत्ति के हिस्से के रूप में ₹ 36.59 करोड़ के देनदारों को शामिल करके मैसर्ज ईश्वर की बोली को वित्तीय रूप से उत्तरदायी घोषित किया। यदि देनदारों को शामिल नहीं किया जाता तो मैसर्ज ईश्वर की चल संपत्ति ₹ 8.31 करोड़ के मानक की तुलना में केवल ₹ 3.94 करोड़ परिकलित होती। इस प्रकार, देनदारों को बोली दस्तावेजों में चल संपत्ति की गणना के लिए निर्धारित कार्यप्रणाली के विरुद्ध अंतिम स्टॉक के हिस्से के रूप में मानते हुए कंपनी ने ठेकेदार को ठेका प्रदान किया।

प्रबंधन ने बताया (फरवरी 2021) कि 120 दिनों से कम के देनदारों को नकदी का भाग इसलिए माना गया था कि फर्म के पास 120 दिनों से कम के देनदारों और स्टॉक के विरुद्ध बैंक द्वारा स्वीकृत नकद ऋण सीमा थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि निविदा दस्तावेजों में स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया गया था कि केवल अंतिम स्टॉक, कैश इन हैंड, बैंक बैलेंस और सावधि जमा प्राप्तियों/निवेश को ही चल संपत्ति की गणना के लिए लिया जाएगा।

³⁰ बोली संख्या 534

3.2.4 परियोजना क्रियान्वयन

(क) कार्य पूर्ण होने में देरी

(i) ठेकों की प्रदानगी में ऊपर अनुच्छेद 3.2.3 (क) और (ख) में चर्चा किए गए एल1 बोलीदाता की वित्तीय क्षमता को प्रभावित करने वाली अनियमितताओं के कारण ठेकेदार किसी भी आवंटित फीडर पर निर्धारित समय में कार्य पूरा करने में सक्षम नहीं था। ठेकेदार मैसर्ज ईश्वर को दिए गए आठ में से छः ठेके छः से 29 महीनों की देरी के साथ पूरे किए गए थे, जबकि दो ठेकों के अंतर्गत कार्य अभी भी (जनवरी 2021) लंबित था, हालांकि 25-26 महीने की देरी पहले ही हो चुकी थी। 31 जनवरी 2021 को कार्य की ठेकावार स्थिति नीचे तालिका में दर्शाई गई है:

तालिका 3.6: मैसर्ज ईश्वर को दिए गए कार्यों की स्थिति

परिचालन परिमंडल का नाम	परिचालन मंडल का नाम	एल.ओ.आई. की तिथि	पूर्णता की निर्धारित तिथि	वास्तविक पूर्णता	देरी (महीनों में)
कैथल	गुहला	14.12.2017	13.06.2018	नवंबर 2020	29
कुरुक्षेत्र	कुरुक्षेत्र	14.12.2017	13.10.2018	अप्रैल 2019	6
	पेहोवा	14.12.2017	13.06.2018	अप्रैल 2019	10
	शाहबाद	14.12.2017	13.06.2018	अप्रैल 2019	10
पानीपत	समालखा	14.12.2017	13.10.2018	प्रगति में	26
	उप-शहरी पानीपत	14.12.2017	13.06.2018	अक्टूबर 2020	28
यमुना नगर	जगाधरी	03.01.2018	02.11.2018	प्रगति में	25
	नारायणगढ़	03.01.2018	02.07.2018	जुलाई 2020	24

स्रोत: कंपनी द्वारा उपलब्ध कराए गए अभिलेखों/आंकड़े पर आधारित संकलन

उपर्युक्त देरी के परिणामस्वरूप, 24 घंटे विद्युत आपूर्ति का लाभ उपभोक्ताओं को नहीं दिया जा सका। इसके अतिरिक्त, उपर्युक्त चार चयनित परिचालन परिमंडलों में से तीन में कार्यों के देरी से पूर्ण होने के कारण बिजली की हानि से कंपनी को ₹ 75.62 करोड़³¹ के राजस्व की हानि भी हुई। यद्यपि कंपनी ने ठेकेदार से अनुबंध की शर्तों के अनुसार लिक्विडेटिड डैमेजिज के ₹ 5.99 करोड़ वसूल किए, फिर भी चयनित परिमंडलों में ₹ 69.63 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

(ii) कंपनी ने म्हारा गांव जगमग गांव योजना के अंतर्गत कार्यों के निष्पादन के लिए टर्नकी आधार पर पांच और ठेके (मैसर्ज ईश्वर के अतिरिक्त अन्य ठेकेदार) दिए (दिसंबर 2017 और जून 2018 के मध्य)। ये सभी पांच ठेके संबंधित निर्धारित पूर्णता तिथियों से चार से 16 महीने के बीच की देरी के साथ पूरे किए गए थे जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

³¹ वर्ष 2019-20 के दौरान घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं से ₹ 4.82 प्रति यूनिट औसत वसूली की दर पर कार्य पूरा होने से पहले और बाद में संबंधित ग्रामीण वितरण आपूर्ति फीडरों में प्रसारण एवं वितरण हानि स्तर की तुलना करके परिकलित किया गया।

तालिका 3.7: म्हारा गांव जगमग गांव के अंतर्गत विलंब से पूर्ण किए गए ठेकों के विवरण

परिचालन परिमंडल का नाम	परिचालन मंडल का नाम	एल.ओ.आई. की तिथि	पूर्णता की निर्धारित तिथि	वास्तविक पूर्णता	देरी (महीनों में)
करनाल	शहर	14.12.2017	13.06.2018	मई 2019	11
	उप-शहरी- 1	14.12.2017	13.10.2018	जुलाई 2019	9
	उप-शहरी- 2	11.06.2018	10.04.2019	अगस्त 2020	16
	असंध	11.06.2018	10.04.2019	अगस्त 2020	16
यमुना नगर	यमुना नगर	03.01.2018	02.11.2018	मार्च 2019	4

स्रोत: कंपनी द्वारा उपलब्ध कराए गए अभिलेखों/आंकड़ों पर आधारित संकलन

लेखापरीक्षा में पाया गया कि कम्पनी द्वारा अनुबंध प्रबंधन में कमी के कारण, ठेकेदार समय पर पर्याप्त श्रम और सामग्री की व्यवस्था करने में विफल रहे। यद्यपि, कंपनी ने अनुबंधों की शर्तों के अनुसार लिक्विडेटिड डैमेजिज के कारण संबंधित ठेकेदारों से ₹ 3.99 करोड़ वसूल किए, राजस्व की संभावित हानि ₹ 54 करोड़³² आंकी गई।

(ख) पूर्ण किए गए फीडरों में प्रसारण एवं वितरण हानियों में लक्षित कमी की प्राप्ति न होना

म्हारा गांव जगमग गांव योजना का उद्देश्य बिजली की प्रसारण एवं वितरण हानि को 20 प्रतिशत से नीचे लाना है और अंततः निम्नलिखित चरण-वार लक्ष्यों के साथ ग्रामीणों को 24 घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति प्रदान करना है:

तालिका 3.8: आपूर्ति के घंटों में उत्तरोत्तर वृद्धि के लिए शर्तें

आपूर्ति के घंटे	शर्तें
12 से 15 घंटे	म्हारा गांव जगमग गांव योजना के अंतर्गत फीडर का चयन।
15 से 18 घंटे	मीटरों का स्थान परिवर्तन करना एवं बदलना और नंगे एल.टी. कंडक्टर को ए.बी. केबल से बदलना।
18 से 21 घंटे	20 प्रतिशत तक तकनीकी हानि की अनुमति देने के बाद आपूर्ति की गई बिजली के 90 प्रतिशत की सीमा तक बिलों का भुगतान।
21 से 24 घंटे	कुल भुगतान चूक राशि 10 प्रतिशत से नीचे आती है।

स्रोत: म्हारा गांव जगमग गांव योजना का आंकड़ा

जनवरी 2021 तक, 972 ग्रामीण वितरण आपूर्ति फीडरों में से 677 ग्रामीण वितरण आपूर्ति फीडरों का काम पूरा हो गया था और इन सभी फीडरों पर 24 घंटे बिजली की आपूर्ति की अनुमति थी। तथापि, म्हारा ग्राम जगमग ग्राम योजना की शर्त के अनुसार प्रसारण एवं वितरण हानियों को 20 प्रतिशत से कम करने और समग्र चूक राशि को 10 प्रतिशत से कम करने की स्थिति सुनिश्चित नहीं की गई थी। कंपनी के निदेशक मंडल ने इन शर्तों में ढील दी (मार्च 2019) और योजना की शुरुआत से प्रसारण एवं वितरण हानियों में पर्याप्त कमी और संग्रहण दक्षता में वृद्धि पर 24 घंटे बिजली आपूर्ति की अनुमति दी। कंपनी ने राज्य सरकार का अनुमोदन प्राप्त किए बिना म्हारा गांव जगमग गांव योजना की शर्तों में ढील दी।

³² वर्ष 2019-20 के दौरान घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं से ₹ 4.82 प्रति यूनिट औसत वसूली की दर पर कार्य पूरा होने से पहले और बाद में संबंधित ग्रामीण वितरण आपूर्ति फीडरों में प्रसारण एवं वितरण हानि स्तर की तुलना करके परिकल्पित किया गया।

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि 2018-19 तक पूर्ण किए गए फीडर प्रसारण एवं वितरण हानि में कमी के इच्छित लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सके जैसा कि नीचे तालिकाबद्ध है:

तालिका 3.9: पूर्णता के बाद लक्षित हानि स्तर को प्राप्त करने में विफल रहने वाले फीडरों के विवरण

वर्ष	वर्ष के दौरान पूर्ण किए गए फीडरों की संख्या	20 प्रतिशत से अधिक प्रसारण एवं वितरण हानियों वाले फीडरों की संख्या			
		2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
2015-16	16	12	12	7	8
2016-17	86	-	41	38	28
2017-18	110	-	-	60	54
2018-19	137	-	-	-	75
कुल	349	12	53	105	165

स्रोत: कंपनी के एनर्जी ऑडिट विंग द्वारा प्रदान किए गए ग्रामीण वितरण आपूर्ति फीडर प्रसारण एवं वितरण हानियों के सॉफ्ट डाटा पर आधारित संकलन।

उपर्युक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि 31 मार्च 2019 तक पूर्ण किए गए 349 ग्रामीण वितरण आपूर्ति फीडरों में से 165 फीडरों (47.28 प्रतिशत) ने अभी भी 20 प्रतिशत से अधिक प्रसारण एवं वितरण हानि दर्ज की और इस तरह वे उनके पूरा होने के एक से चार साल के बाद भी लक्षित हानि में कमी लाने में विफल रहे। परिणामस्वरूप, 2016-17 से 2019-20 के दौरान 20 प्रतिशत के मानक से अधिक ₹ 126.60 करोड़³³ मूल्य की 243.92 मिलियन यूनिट बिजली की हानि हुई।

योजना के अंतर्गत उनके पूरा होने के बावजूद उपर्युक्त फीडरों पर हानि में कमी के कारणों का पता लगाने के लिए कंपनी द्वारा एक आंतरिक अभ्यास किया गया था। परिणामों से पता चला कि निष्पादन के दौरान खराब कार्य-कौशल, कार्य पूरा होने के बाद निगरानी और अनुवर्ती कार्रवाई की कमी और आर्मर्ड केबल के बजाय एबी केबल के उपयोग के कारण हानि को कम नहीं किया जा सका।

लेखापरीक्षा ने आगे अवलोकित किया कि 340 ग्रामीण घरेलू आपूर्ति फीडरों (लेखापरीक्षा में शामिल 512 में से) के मामले में, जहां कार्य विभागीय रूप से निष्पादित किए गए थे, वहां कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए गुणवत्ता आश्वासन योजना की कोई व्यवस्था नहीं थी। शेष 172 ग्रामीण घरेलू आपूर्ति फीडरों, जो टर्नकी आधार पर निष्पादित किए गए थे, के संबंध में तीसरे पक्ष की निगरानी के रूप में ऐसा तंत्र मौजूद था।

(ग) अधूरे फीडरों में उच्च प्रसारण एवं वितरण हानियों के कारण परित्यक्त राजस्व

हालांकि इस योजना के शुरू होने के बाद पांच साल से अधिक समय बीत चुका है, 562 ग्रामीण वितरण आपूर्ति फीडरों में से पांच परिचालन परिमंडलों (कैथल, पानीपत, झज्जर, सोनीपत और रोहतक) के अंतर्गत 295 ग्रामीण वितरण आपूर्ति फीडरों पर कार्य अब तक (जनवरी 2021) पूरा

³³ घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं से 2016-17 के लिए ₹ 6.33 प्रति यूनिट, 2017-18 के लिए ₹ 5.66 प्रति यूनिट, 2018-19 के लिए ₹ 5.32 प्रति यूनिट और 2019-20 के लिए ₹ 4.82 प्रति यूनिट की दर से औसत वसूली दर लेकर परिकलित।

नहीं हुआ है। 295 फीडरों में से 84 ग्रामीण वितरण आपूर्ति फीडरों पर कार्य अभी तक शुरू नहीं किया गया था और 48 ग्रामीण वितरण आपूर्ति फीडरों पर कार्य शुरू तो किया गया था, परंतु जन आक्रोश (जनवरी 2021) के कारण रोक दिया गया था, जबकि शेष 116 ग्रामीण वितरण आपूर्ति फीडरों पर कार्य प्रगति पर था (जनवरी 2021)।

नीचे दी गई तालिका परिमंडल-वार अपूर्ण ग्रामीण वितरण आपूर्ति फीडरों को दर्शाती है जहां प्रसारण एवं वितरण हानि का स्तर 20 प्रतिशत से अधिक था:

तालिका 3.10: 20 प्रतिशत से अधिक प्रसारण एवं वितरण हानि स्तर के साथ अपूर्ण ग्रामीण वितरण आपूर्ति फीडर

क्र. सं.	परिमंडल का नाम	फीडरों की संख्या	2019-20 के दौरान 20 प्रतिशत से अधिक प्रसारण एवं वितरण हानियों के साथ अपूर्ण ग्रामीण वितरण आपूर्ति फीडर				
			>50 प्रतिशत	40-50 प्रतिशत	30-40 प्रतिशत	20-30 प्रतिशत	कुल
1	कैथल	21	17	2	2	0	21
2	पानीपत	39	36	1	1	1	39
3	झज्जर	67	56	10	0	0	66
4	रोहतक	75	66	5	2	1	74
5	सोनीपत	93	84	7	1	0	92
कुल		295	259	25	6	2	292

स्रोत: कंपनी के एनर्जी ऑडिट विंग द्वारा प्रदान किए गए ग्रामीण वितरण आपूर्ति फीडर प्रसारण एवं वितरण हानियों के सॉफ्ट डाटा पर आधारित संकलन।

यह देखा जा सकता है कि 295 अपूर्ण ग्रामीण वितरण आपूर्ति फीडरों में से 292 फीडरों ने 20 प्रतिशत से अधिक हानि दर्ज की। इन 292 फीडरों में से 259 फीडरों में 50 प्रतिशत से अधिक हानि दर्ज की गई। इसके अतिरिक्त, 292 ग्रामीण वितरण आपूर्ति फीडरों में जहां हानि स्तर 20 प्रतिशत से अधिक था, अकेले 2019-20 के दौरान राजस्व की संभावित हानि ₹ 530.32 करोड़³⁴ परिकल्पित की गई।

कंपनी को पहले से दिए गए कार्यों के निष्पादन में तेजी लानी चाहिए और योजना की भावना के अनुसार प्रसारण एवं वितरण हानियों को कम करने के लिए शेष कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर सौंपना चाहिए।

(घ) ए.सी.एस.आर. कंडक्टर स्क्रेप की कम प्राप्ति

म्हारा गांव जगमग गांव योजना के कार्यान्वयन के लिए टर्नकी आधार पर कंपनी द्वारा दिए गए कार्य आदेश संख्या 13 के अनुसार, एल्युमीनियम कंडक्टर स्टील रिइनफोर्स्ड कंडक्टर को लो-टेंशन आर्मर्ड केबल से बदला जाना था और विघटित कंडक्टर को समुचित रूप से लेखाबद्ध किया जाना था और कंपनी के स्टोर में जमा करवाना था। परिचालन परिमंडल सिटी, करनाल की बोली संख्या 519 के विरुद्ध जहां ठेकेदार का फाइनल बिल अंतिमकृत किया गया था, वहां विघटित कंडक्टर को समुचित रूप से लेखाबद्ध नहीं किया गया था। इस ठेके के अंतर्गत अंतिम

³⁴ वर्ष 2019-20 में घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं से प्रति यूनिट प्राप्ति दर (₹ 4.82) के साथ प्रसारण एवं वितरण हानियों के 20 प्रतिशत (1100.26 मिलियन यूनिट) से अधिक होने के कारण खोए हुए मिलियन यूनिट को गुणा करके परिकल्पित किया गया।

चरण सर्वेक्षण के अनुसार, ₹ 31.30 लाख³⁵ मूल्य के 153.48 किलोमीटर एल्युमीनियम कंडक्टर स्टील रिडनफोर्सड कंडक्टर को विघटित किया जाना था। इस अनुमानित मात्रा के विरुद्ध ठेकेदार ने ₹ 19.28 लाख मूल्य के 94.53 किलोमीटर एल्युमीनियम कंडक्टर स्टील रिडनफोर्सड स्क्रैप (153.48 किलोमीटर - 58.95 किलोमीटर) की कमी छोड़ते हुए कंपनी के स्टोर में केवल 58.95 किलोमीटर एल्युमीनियम कंडक्टर स्टील रिडनफोर्सड कंडक्टर स्क्रैप जमा किया (जनवरी 2019 और फरवरी 2019 के मध्य)। कंपनी ने ठेकेदार से इसकी वसूली के लिए कोई कार्रवाई नहीं की। शेष 12 बोलियों से संबंधित ठेकेदारों के बिलों को अभी तक (जनवरी 2021) अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

एग्जिट कांफ्रेंस (अगस्त 2021) के दौरान, प्रबंधन ने योजना की प्रगति से अवगत कराया और बताया कि योजना के अंतर्गत प्रदान किए गए टर्नकी कार्यों को पूरा कर लिया गया है तथा विभागीय कार्यों के इस वर्ष के अंत तक पूरा होने की उम्मीद है।

निष्कर्ष

योजना के कार्यान्वयन के सभी चरणों, अर्थात् योजना बनाना, कार्यों का आवंटन और उनका निष्पादन, में अक्षमताओं के कारण योजना का कार्यान्वयन धीमा था। इसके आरंभ (जुलाई 2015) के पांच साल से अधिक समय के बाद भी, 972 ग्रामीण घरेलू आपूर्ति फीडरों में से 295 अभी तक (जनवरी 2021) पूर्ण नहीं हुए थे। कार्यों को पूरा करने में देरी/पूरा न करने के कारण कंपनी को प्रसारण एवं वितरण हानियों के लिए निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति न होने के कारण ₹ 786.54 करोड़³⁶ के संभावित राजस्व को छोड़ना पड़ा। 349 फीडरों (मार्च 2019 तक पूर्ण) पर कार्य पूरा होने के बाद भी, 2019-20 के दौरान 165 फीडरों पर प्रसारण एवं वितरण हानि अभी भी 20 प्रतिशत से अधिक दर्ज की गई है। इस प्रकार, बिजली की चोरी पर अंकुश लगाकर और बिलिंग एवं संग्रहण दक्षता में सुधार करके प्रसारण एवं वितरण हानियों को कम करने की योजना का उद्देश्य पूरी तरह से प्राप्त नहीं किया जा सका।

यह सिफारिश की जाती है कि कंपनी को योजना की शेष परियोजनाओं को पूरा करने के लिए प्रभावी निविदा प्रबंधन के द्वारा एक समयबद्ध योजना तैयार करनी चाहिए। कंपनी को योजना से परिकल्पित लाभों की समय पर प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए अपने निगरानी तंत्र में भी सुधार करना चाहिए।

मामला सरकार और कंपनी के पास भेजा गया था (अप्रैल 2021); उनके उत्तर प्रतीक्षित थे (सितंबर 2021)।

³⁵ 153.48 किलोमीटर x 213.6 किलोग्राम प्रति किलोमीटर (लो-टेंशन लाइनों में प्रयुक्त 50 मिलीमीटर रैबिट एल्युमीनियम कंडक्टर स्टील रिडनफोर्सड कंडक्टर से प्राप्त एल्युमीनियम की औसत मात्रा) x ₹ 95.50 प्रति किलोग्राम एल्युमीनियम स्क्रैप की दर।

³⁶ अनुच्छेद संख्या 3.2.4 (क), (ख) और (ग)।

दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड

3.3 अंतरीय टैरिफ की अवसूली

कंपनी ने विद्युत आपूर्ति संहिता, 2014 के प्रावधानों के अनुसार संस्वीकृति प्राधिकारी द्वारा गलत श्रेणी में कनेक्शन स्वीकृत किए गए उपभोक्ता से ₹ 39.88 लाख के टैरिफ अंतर की वसूली नहीं की।

हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग की विद्युत आपूर्ति संहिता, 2014 की धारा 8.6 (7) में प्रावधान है कि ऐसे मामलों में, जहां उपभोक्ता ने कनेक्शन के लिए आवेदन करते समय आपूर्ति के उपयोग की श्रेणी को छुपाया नहीं था किंतु संस्वीकृति प्राधिकारी द्वारा गलत श्रेणी के अंतर्गत लोड स्वीकृत किया गया था, केवल कनेक्शन की तारीख से टैरिफ का अंतर वसूल किया जाएगा। भविष्य की बिलिंग लागू श्रेणी में की जाएगी और बिजली की आपूर्ति के अनधिकृत उपयोग या चोरी का कोई मामला नहीं बनाया जाएगा।

दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (कंपनी) ने एक उपभोक्ता³⁷ को उसके द्वारा अपने परिसरों के लिए किए गए आवेदन (फरवरी 2012) के संबंध में 'थोक घरेलू आपूर्ति'³⁸ श्रेणी में 350 किलोवाट के स्वीकृत लोड के साथ एक हाई टेंशन बिजली कनेक्शन जारी (जून 2012) किया।

कंपनी द्वारा उपभोक्ता परिसरों के सतर्कता निरीक्षण (अगस्त 2017) से पता चला कि वे वरिष्ठ नागरिकों को दैनिक/मासिक प्रभार्य आधार पर बोर्डिंग एंड लॉजिंग इत्यादि की सेवाएं प्रदान कर रहे थे और सिफारिश की कि उपभोक्ता से 'गैर-घरेलू आपूर्ति'³⁹ श्रेणी के अंतर्गत प्रभार लिया जाना चाहिए। तदनुसार, कंपनी ने उपभोक्ता को 30 दिनों के भीतर नए गैर-घरेलू आपूर्ति कनेक्शन के लिए आवेदन करने का निर्देश (अक्टूबर 2017) दिया जिसका अनुपालन (नवंबर 2017) किया गया।

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि यद्यपि यह संस्वीकृति प्राधिकारी द्वारा गलत श्रेणी में कनेक्शन जारी करने का मामला था, कंपनी ने विद्युत आपूर्ति संहिता, 2014 की लागू धारा 8.6 (7) के अनुसार कार्रवाई नहीं की, जिसमें उपभोक्ता से कनेक्शन की तारीख से लागू श्रेणी और प्रभारित श्रेणी के टैरिफ के मध्य अंतर के प्रभारण का प्रावधान है। लेखापरीक्षा ने अनुमान लगाया कि निम्न टैरिफ श्रेणी (अर्थात्, थोक घरेलू आपूर्ति) में कनेक्शन की तिथि (जून 2012) से इसके विच्छेदन (नवंबर 2017) तक के टैरिफ के अंतर की राशि ₹ 39.88 लाख उपभोक्ता से वसूल नहीं की गई थी।

³⁷ मैसर्स यू.सी.सी. केयर प्राइवेट लिमिटेड (पूर्ववर्ती यू.सी.सी. बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड)।

³⁸ घरेलू लोड के बड़े हिस्से के साथ मिश्रित लोड वाली ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों इत्यादि पर लागू टैरिफ श्रेणी।

³⁹ सभी गैर-आवासीय परिसरों जैसे, बिजनेस हाउसिंग, सिनेमा, क्लब, सार्वजनिक कार्यालयों, होटलों इत्यादि पर लागू टैरिफ श्रेणी।

प्रबंधन ने बताया (अप्रैल 2021) कि लेखापरीक्षा अभ्युक्ति के अनुसार उपभोक्ता को टैरिफ अंतर की वसूली के लिए एक नोटिस दिया गया था (मार्च 2021)। परंतु, उपभोक्ता ने सिविल कोर्ट, फरीदाबाद में एक अदालती मामला दायर किया, जो अभी भी लंबित है (सितंबर 2021)।

इस प्रकार, प्रबंधन ने लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने के बाद ही अंतरीय राशि की वसूली के लिए कार्य किया।

यह सिफारिश की जाती है कि भविष्य में ऐसे मामलों में विद्युत आपूर्ति संहिता के प्रावधानों को तत्काल लागू किया जाए।

मामला सरकार के पास भेजा गया था (फरवरी 2021); उनके उत्तर प्रतीक्षित थे (सितंबर 2021)।

उद्योग और वाणिज्य

हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं मूलभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड

3.4 प्रतिभागियों को प्रशिक्षण के परिकल्पित लाभों की प्राप्ति न होना

पर्याप्त निगरानी/किसी उचित परिश्रम अध्ययन के बिना प्रशिक्षण कार्यक्रम के अनुपयुक्त संचालन के कारण ₹ 3.62 करोड़ का व्यय करने के बाद भी रोजगार देने के परिकल्पित लाभ प्राप्त नहीं किए जा सके। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण प्रदाता को ₹ 2.96 करोड़ का अधिक भुगतान किया गया था।

औद्योगिक मूलभूत संरचना के विकास के लिए नोडल एजेंसी, हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं मूलभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड (कंपनी) का लक्ष्य अपनी सामाजिक विकास पहल के अंतर्गत उन चिन्हित गांवों के निवासियों को रोजगार कौशल प्रदान करना है जहां कंपनी ने अपनी औद्योगिक संपदा स्थापित करने के लिए भूमि का अधिग्रहण किया था। रोजगार कौशल कार्यक्रम कंपनी द्वारा क्षेत्र कौशल परिषदों⁴⁰ और उनके अनुमोदित प्रशिक्षण प्रदाताओं के माध्यम से चलाए जाते हैं।

अगस्त 2017 में चमड़ा क्षेत्र कौशल परिषद⁴¹, चेन्नई ने कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित सामान्य मानकों (जुलाई 2015 और मई 2016) के आधार पर हरियाणा के 15,000 उम्मीदवारों को चमड़ा क्षेत्र में कौशल विकास प्रशिक्षण⁴² प्रदान करने के लिए कंपनी को एक प्रस्ताव भेजा। कंपनी ने प्रस्ताव को स्वीकार किया और चमड़ा क्षेत्र कौशल

⁴⁰ कौशल विकास और उद्यमिता पर राष्ट्रीय नीति, 2015 ने कौशल भारत मिशन की रूपरेखा तैयार की और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा क्षेत्र कौशल परिषदों के निर्माण की परिकल्पना की।

⁴¹ कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत सेक्शन 8 कंपनी के रूप में पंजीकृत एक कंपनी और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा अनुमोदित चमड़ा क्षेत्र में एक क्षेत्र कौशल परिषद।

⁴² घंटों में प्रशिक्षण की कुल अवधि: नौकरी की छ: अलग-अलग भूमिकाओं जैसे, सिलाई करने वाला, काटने वाला, इत्यादि से संबंधित 200/500

परिषद के साथ समझौता जापन निष्पादित किया (अगस्त 2017)। सहमत भुगतान शर्तों के अनुसार, कंपनी को वैध उम्मीदवारों के प्रशिक्षण शुरू होने पर कुल प्रशिक्षण लागत⁴³ का 30 प्रतिशत (कार्य योजना प्रस्तुत करने पर मोबिलाइजेशन फीस के रूप में 10 प्रतिशत सहित), प्रशिक्षुओं के सफल प्रमाणीकरण पर 50 प्रतिशत और प्रशिक्षण पूरा होने के तीन महीने के भीतर रोजगार पाने पर शेष 20 प्रतिशत जारी करना था। रोजगार पर प्रशिक्षण लागत का 20 प्रतिशत जारी करना कम से कम 70 प्रतिशत प्रशिक्षुओं के रोजगार का एक बेंचमार्क था।

कंपनी ने साथ ही, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार, ₹ 1.75 करोड़ की फीस पर एक वर्ष के लिए एक परियोजना प्रबंधन सलाहकार नियुक्त किया (सितंबर 2017)। परियोजना प्रबंधन सलाहकार के कार्यक्षेत्र में कौशल विकास आवश्यकताओं को समझना, चरण-1 के अंतर्गत समन्वित ढंग से कौशल विकास गतिविधियों की योजना बनाना और शुरू करना और चरण-2 के अंतर्गत कार्यक्रम का कार्यान्वयन शामिल था जिसमें परियोजना की निगरानी, प्रलेखन, रिपोर्टिंग और कार्यान्वयन चरण का समग्र उचित परिश्रम शामिल थे।

परियोजना प्रबंधन सलाहकार ने कौशल विकास कार्यक्रम की योजना बनाने के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम की रिपोर्ट (अक्टूबर 2013) को अपनाया, जिसमें 2017-22 की एक पांच साल की अवधि में हरियाणा में चमड़े और जूते के क्षेत्रों के लिए संयुक्त वृद्धिशील मानवशक्ति की आवश्यकता केवल 5608 के रूप में इंगित की गई थी। कंपनी ने परियोजना प्रबंधन सलाहकार द्वारा तैयार कौशल विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन की निगरानी और ट्रेकिंग के लिए दिशानिर्देशों को क्रमशः दिसंबर 2017 और फरवरी 2018 में अनुमोदन दिया। हालांकि, कंपनी ने अनुमानित मांग के विपरीत, निगरानी और ट्रेकिंग दिशानिर्देशों के अनुमोदन से पहले नवंबर 2017 से फरवरी 2018 के दौरान 13,670 उम्मीदवारों वाले 476 बैचों के प्रशिक्षण के लिए अनुमोदन प्रदान किया। 15,003 उम्मीदवारों के सभी 523 बैचों को कंपनी द्वारा अनुमोदित किया गया था।

चमड़ा क्षेत्र कौशल परिषद के दावों पर, कंपनी ने 13,670 उम्मीदवारों के संबंध में कुल लागत के 30 प्रतिशत की पहली किस्त के लिए ₹ 6.58 करोड़ (₹ 1.01 करोड़ के वस्तु एवं सेवा कर सहित) का भुगतान जारी किया (दिसंबर 2017 से मार्च 2018)। कंपनी द्वारा 1,333 उम्मीदवारों के संबंध में भुगतान जारी नहीं किया गया था। चमड़ा क्षेत्र कौशल परिषद ने 4,648 उम्मीदवारों के संबंध में दूसरी किस्त के लिए ₹ 2.90 करोड़ का दावा भी किया (मार्च 2018) जिसे यद्यपि कंपनी द्वारा अनुमोदित (मार्च 2018) किया गया था, लेकिन कंपनी के नोडल विंग द्वारा उचित परिश्रम सुनिश्चित नहीं करने के लिए जारी नहीं किया गया था। इसके बाद, प्रबंधन ने नामांकित उम्मीदवारों के उचित परिश्रम अभ्यास, प्रशिक्षण केंद्रों की मूलभूत संरचना की जांच के लिए आदेश दिया (जुलाई 2018) और कार्यक्रम के अंतर्गत आगे की प्रतिबद्धताओं को रोक दिया। परियोजना प्रबंधन सलाहकार द्वारा किए गए उचित परिश्रम अभ्यास (दिसंबर 2018) से पता चला कि 15,003 उम्मीदवारों में से 10,776 उम्मीदवार विभिन्न कारणों से अपात्र थे जैसे, प्रशिक्षुओं की पुष्टि नहीं हुई, उम्र के कारण अपात्र, आधार संख्या का दोहराव, निरीक्षण के दौरान

⁴³ 200 घंटे के लिए ₹ 9,680 प्रति उम्मीदवार और 500 घंटे के लिए ₹ 22,400 प्रति उम्मीदवार।

प्रशिक्षुओं का न मिलना और जॉब भूमिका⁴⁴ में अनुमोदित संख्या से अधिक प्रशिक्षु इत्यादि। इस प्रकार, केवल 4,227 उम्मीदवार ही पात्र पाए गए और जिनके संबंध में 80 प्रतिशत भुगतान जारी किया जा सका।

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया:

(i) कंपनी ने राष्ट्रीय कौशल विकास निगम अध्ययन रिपोर्ट/परामर्शदाता अध्ययन, जिसमें चमड़े और जूते के क्षेत्र में केवल 1,000-1,200 उम्मीदवारों (पांच वर्षों में कुल 5,608) की वार्षिक आवश्यकता का सुझाव दिया गया था, पर विचार किए बिना और प्रशिक्षण के लिए उम्मीदवारों की पात्रता के सत्यापन के लिए उचित परिश्रम में परियोजना प्रबंधन सलाहकार को शामिल किए बिना 15,000 उम्मीदवारों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए चमड़ा क्षेत्र कौशल परिषद के साथ समझौता ज्ञापन (समझौता ज्ञापन) पर हस्ताक्षर किए (अगस्त 2017)।

(ii) कंपनी ने प्रशिक्षण लागत की पहली किस्त पर वस्तु एवं सेवा कर के लिए ₹ 1.01 करोड़ का भुगतान किया, हालांकि राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा अनुमोदित क्षेत्र कौशल परिषदों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं को वस्तु एवं सेवा कर से छूट दी गई थी।

(iii) चूंकि, चमड़ा क्षेत्र कौशल परिषद ने प्रशिक्षित उम्मीदवारों के रोजगार/नियुक्ति के संबंध में समझौता ज्ञापन की शर्तों को पूरा नहीं किया था, यह केवल 4,227 पात्र उम्मीदवारों के संबंध में 80 प्रतिशत भुगतान के लिए पात्र थी जो कि ₹ 3.62 करोड़ (80 प्रतिशत भुगतान) परिकल्पित किया गया। इसके परिणामस्वरूप चमड़ा क्षेत्र कौशल परिषद को ₹ 2.96 करोड़ (₹ 6.58 करोड़ घटा ₹ 3.62 करोड़) का अधिक भुगतान हुआ।

इस प्रकार, उचित परिश्रम अध्ययन और वांछित लाभ की निगरानी के बिना चलाए गए प्रशिक्षण कार्यक्रम ने ₹ 3.62 करोड़ का व्यय करने के बाद भी प्रशिक्षुओं के लिए लाभकारी रोजगार पैदा करने के परिकल्पित लाभ को प्रभावित किया। इसके अतिरिक्त, चमड़ा क्षेत्र कौशल परिषद को ₹ 2.96 करोड़ का अधिक भुगतान किया गया था।

प्रबंधन ने बताया (जून 2020) कि अभिलेखों की उचित जांच सामान्य मानकों⁴⁵ के अनुसार की गई थी और अतिरिक्त राशि की वसूली के लिए चमड़ा क्षेत्र कौशल परिषद के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई शुरू की गई है। एग्जिट कांफ्रेंस (अगस्त 2021) के दौरान, प्रबंधन ने आगे बताया कि वसूली नोटिस जारी किया गया है और कंपनी चमड़ा क्षेत्र कौशल परिषद के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने की प्रक्रिया में थी।

⁴⁴ समझौता ज्ञापन के अनुसार, छ: जॉब भूमिकाएं अर्थात् स्टिचर (सामान और वस्त्र), कटर (सामान और वस्त्र), स्टिचर (जूते), कटर (जूते), प्री-असेंबली ऑपरेशन (जूते) और स्काइविंग ऑपरटर (जूते) अपेक्षित संख्या में थीं। हालांकि, उम्मीदवारों को पहली चार जॉब भूमिकाओं में ही नामांकित किया गया था, लेकिन अलग-अलग संख्या में, जिसके कारण स्वीकृत जॉब भूमिकाओं के लिए अतिरिक्त उम्मीदवारों का नामांकन हुआ।

⁴⁵ कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा सामान्य मानदंडों को अधिसूचित (जुलाई 2015 और मई 2016) किया गया था जिसमें कौशल विकास, कौशल विकास पाठ्यक्रम, इनपुट मानक, कौशल विकास के परिणाम, वित्त पोषण मानदंड, निधि प्रवाह तंत्र इत्यादि शामिल थे।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कंपनी ने राष्ट्रीय कौशल विकास निगम रिपोर्ट में इंगित प्रशिक्षण आवश्यकताओं पर विचार किए बिना चमड़ा क्षेत्र कौशल परिषद के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए और परियोजना प्रबंधन सलाहकार उचित परिश्रम में शामिल नहीं था, हालांकि यह उनका कार्य क्षेत्र था, इसके परिणामस्वरूप परिकल्पित लाभ की प्राप्ति नहीं हुई।

यह सिफारिश की जाती है कि कंपनी चूक के लिए उत्तरदायित्व नियत करे और भविष्य में ऐसे प्रशिक्षणों में पर्याप्त निगरानी/समुचित परिश्रम किया जाए।

मामला सरकार और कंपनी के पास भेजा गया था (जनवरी 2021); उनके उत्तर प्रतीक्षित थे (सितंबर 2021)।

3.5 विस्तारण फीस का अनुदग्रहण

कंपनी ने अनुबंध के अनुसार 27 जुलाई 2010 की बजाय 26 अगस्त 2013 से परियोजना की कार्यान्वयन अवधि की गणना करके एक आवंटी को अनुचित लाभ दिया जिसके परिणामस्वरूप परियोजना के विलंबित कार्यान्वयन के लिए ₹ 1.74 करोड़ की विस्तारण फीस का उदग्रहण नहीं हुआ।

हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं मूलभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड (कंपनी) ने कंपनी द्वारा विकास कार्यों के पूर्ण हुए बिना “जहां है जैसा है के आधार” पर प्लॉट का भौतिक अधिग्रहण लेने के लिए आवंटी द्वारा दिए गए शपथ-पत्र (13 जुलाई 2010) पर प्रतिष्ठित परियोजना⁴⁶ श्रेणी के अंतर्गत मैसर्ज शक्ति भोग फूड्स लिमिटेड (आवंटी) को फूड पार्क, राई में 12,150 वर्ग मीटर का एक प्लॉट आवंटित किया (27 जुलाई 2010)। आवंटी ने यह वचन भी दिया कि विकास कार्य/मूलभूत संरचना सुविधाओं के अभाव में वे कंपनी के विरुद्ध कोई दावा नहीं करेंगे।

आवंटी के साथ अनुबंध (6 सितंबर 2010) के लिए उन्हें आवंटन के छः महीने के भीतर प्लॉट का भौतिक कब्जा लेने और कब्जे की पेशकश की तारीख से तीन साल के अंदर अर्थात् 26 जुलाई 2013 तक अपनी परियोजना का कार्यान्वयन⁴⁷ करना अपेक्षित था। परियोजना के पूरा होने में तीन साल से अधिक समय के लिए किसी विस्तार की अनुमति कंपनी की संपदा प्रबंधन प्रक्रियाओं⁴⁸ के निबंधनों के अनुसार निर्धारित विस्तारण फीस⁴⁹ के भुगतान पर की जानी थी।

⁴⁶ ₹ 50/40/30 करोड़ के निवेश वाली परियोजनाएं।

⁴⁷ परियोजना के कार्यान्वयन का तात्पर्य अचल संपत्तियों में न्यूनतम ₹ 30 करोड़ के निवेश के साथ वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करना होगा।

⁴⁸ संपदा प्रबंधन प्रक्रियाएं आवंटन के पैमानों, औद्योगिक प्लॉटों के आरक्षण एवं प्राथमिकता तथा औद्योगिक संपदा के प्रबंधन से संबंधित अन्य मामलों को संभालती हैं।

⁴⁹ प्रथम वर्ष के लिए: ₹ 75 प्रति वर्गमीटर, दूसरे वर्ष: ₹ 150 प्रति वर्गमीटर तथा तीसरे वर्ष के लिए: ₹ 250 प्रति वर्गमीटर, चौथे वर्ष के लिए: ₹ 500 प्रति वर्गमीटर तथा पांचवें वर्ष के लिए: ₹ 1000 प्रति वर्गमीटर की दर से।

तथापि, आवंटी ने दो वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद 23 जुलाई 2012 को प्लॉट (जिसका वास्तविक माप 11,610 वर्गमीटर था) का स्वामित्व ले लिया। इस बीच, कंपनी के निदेशक मंडल ने कोई विस्तारण फीस प्रभारित किए बिना 31 दिसंबर 2012 तक आवंटित प्लॉटों के लिए परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए एक वर्ष का सामान्य विस्तार दिया (29 अगस्त 2013)। तदनुसार, परियोजना की कार्यान्वयन अवधि को 26 जुलाई 2014 तक बढ़ा दिया गया था। कंपनी ने विस्तारण फीस प्रभारित करने के बाद 26 जुलाई 2015 तक परियोजना के कार्यान्वयन के लिए समय में और विस्तार प्रदान किया।

आवंटी ने सूचित किया और आबंटन में परिवर्तन हेतु अनुरोध किया (12 जनवरी 2016) क्योंकि उसने अपनी सहायक कंपनी के माध्यम से परियोजना को लागू करने का निर्णय लिया था और कार्यान्वयन अवधि में विस्तार की मांग की। कंपनी ने परिवर्तन की अनुमति दी (अक्टूबर 2016) और विस्तारण फीस के भुगतान के अधीन 26 जुलाई 2017 तक विस्तार प्रदान किया।

आवंटी 26 जुलाई 2017 तक भी परियोजना का कार्यान्वयन नहीं कर सका और कंपनी से विधि में परिवर्तन के अनुमोदन की तारीख अर्थात् 27 अक्टूबर 2016 से परियोजना के कार्यान्वयन हेतु तीन साल की अवधि की गणना करने का पुनः अनुरोध किया (सितंबर 2017), किंतु संपदा प्रबंधन समिति ने इसे उस दलील पर अस्वीकार कर दिया (सितंबर 2017) कि कंपनी की नीति के अनुसार विस्तारण फीस प्रभारित की गई थी। हालांकि, कंपनी के प्रबंध निदेशक ने आवंटी को व्यक्तिगत सुनवाई के बाद निर्णय लिया (नवंबर 2017) कि कार्यान्वयन अवधि की गणना मूलभूत संरचना के पूरा होने की तारीख अर्थात् 26 अगस्त 2013 से (स्वामित्व के प्रस्ताव की तारीख 27 जुलाई 2010 की बजाय) की जानी चाहिए और आवंटी द्वारा पहले से भुगतान की गई तीन वर्ष की विस्तारण फीस को समायोजित करने का आदेश दिया। तदनुसार, कंपनी ने आवंटी द्वारा तीन वर्षों हेतु पहले से भुगतान की गई विस्तारण फीस के आधार पर कार्यान्वयन अवधि को 25 अगस्त 2019 तक बढ़ा (अगस्त 2018) दिया। आवंटी ने 23 अगस्त 2018 को वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया और साइट रिपोर्ट के आधार पर परियोजना को 25 सितंबर 2018 से लागू माना गया था। आवंटी ने प्लॉट की लागत के रूप में सभी देयों का भुगतान किया।

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि प्रबंधन का 27 जुलाई 2010 की बजाय 26 अगस्त 2013 से कार्यान्वयन अवधि की गणना करने का निर्णय उचित नहीं था क्योंकि आवंटी ने विकास कार्य पूरा किए बिना स्वामित्व लेने और इसलिए कोई दावा न करने का शपथ-पत्र दिया (जुलाई 2010) था। इसके अतिरिक्त, प्लॉट का वास्तविक माप हमेशा भौतिक कब्जे के समय लिया जाता है और प्लॉट का कब्जा लेने में आवंटी की ओर से देरी हुई थी। प्लॉट का जोनिंग प्लान कंपनी द्वारा सितंबर 2012 में, अर्थात् आवंटी द्वारा प्लॉट का कब्जा लेने के दो महीने के भीतर, जारी किया गया था।

इस प्रकार, कंपनी ने 27 जुलाई 2010 की बजाय 26 अगस्त 2013 से कार्यान्वयन अवधि की गणना करके आवंटी को अनुचित लाभ दिया। परिणामस्वरूप, कंपनी ने चौथे एवं पांचवें वर्ष (अर्थात् 27 जुलाई 2017 से 26 जुलाई 2018 और 27 जुलाई 2018 से 23 अगस्त 2018) के लिए विस्तारण फीस की राशि ₹ 1.74 करोड़⁵⁰ प्रभारित नहीं की। दूसरी ओर आवंटी ने कंपनी से मैसर्ज बीकानो फूड्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम में 100 प्रतिशत शेयरधारिता के साथ प्लॉट के हस्तांतरण हेतु हस्तांतरण फीस के लिए ₹ 41.10 लाख की राशि को समायोजित करने के बाद ₹ 19.64 लाख के रिफंड की मांग (अक्तूबर 2018) की। भुगतान की स्थिति प्रतीक्षित थी।

प्रबंधन ने बताया (नवंबर 2019) कि उन्होंने कब्जे की तारीख 26 अगस्त 2013 से मानी है, जब संपदा प्रबंधन प्रक्रिया की धारा 4.1 के अनुसार मूलभूत सुविधाओं को पूरा किया गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि संपदा प्रबंधन प्रक्रिया की धारा 4.1 इस मामले में लागू नहीं है क्योंकि आवंटी ने आवंटन से पहले यह शपथ-पत्र दिया (जुलाई 2010) था कि वह कंपनी द्वारा संपदा प्रबंधन प्रक्रिया की धारा 4.5 के अनुसार विकास कार्य पूर्ण किए बिना "जहां है जैसा है के आधार पर" प्लॉट का भौतिक कब्जा लेना चाहता है। एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान प्रबंधन ने विस्तारण फीस के अनुद्ग्रहण के लिए कोई कारण सूचित नहीं किया।

यह सिफारिश की जाती है कि कंपनी अपने नुकसान के लिए आवंटी को अनुचित लाभ देने के लिए उत्तरदायित्व नियत करे और ऐसे मामलों में संपदा प्रबंधन प्रक्रिया के प्रावधान को पूरी तरह से लागू करे।

मामला सरकार और कंपनी के पास भेजा गया था (जनवरी 2021); उनके उत्तर प्रतीक्षित थे (सितंबर 2021)।

कृषि विभाग

हरियाणा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड

3.6 धान की हेराफेरी

मिल मालिकों के पास रखे धान के स्टॉक के नियमित भौतिक सत्यापन के लिए राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन किया गया जिसके परिणामस्वरूप मिलर द्वारा धान की हेराफेरी की गई। बाद में, कंपनी ने चेक का नकदीकरण न करके मिलर का पक्ष लिया और अपनी बकाया राशि की वसूली के लिए कानूनी कार्रवाई करने में देरी की जिसके परिणामस्वरूप ₹ 6.64 करोड़ की हानि हुई।

राज्य सरकार हरियाणा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड (कंपनी) सहित अपनी खरीद एजेंसियों के माध्यम से केंद्रीय पूल के लिए भारतीय खाद्य निगम की ओर से धान की खरीद करती है। इस

⁵⁰ 11,610 वर्गमीटर क्षेत्र हेतु 500 प्रति वर्गमीटर की दर से चौथे वर्ष के लिए ₹ 58.05 लाख और ₹ 1,000 प्रति वर्गमीटर की दर से पांचवें वर्ष के लिए ₹ 116.10 लाख।

प्रकार खरीदे गए धान को मंडियों की खरीद से सीधे मिलरों के परिसर में मिलिंग के लिए ले जाया जाता है और परिणामी चावल, जिसे कस्टम मिल्ड राइस कहा जाता है, को भारतीय खाद्य निगम को दिया जाता है। हरियाणा सरकार ने खरीफ विपणन सीजन 2017-18 के लिए दिशानिर्देश जारी (सितंबर 2017) किए, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान था कि:

- मिलर को कस्टम मिल्ड राइस को चरणबद्ध ढंग से डिलीवर करना था, अर्थात् नवंबर 2017 से जनवरी 2018 में प्रत्येक में 20 प्रतिशत, फरवरी 2018 में 25 प्रतिशत और मार्च 2018 में शेष 15 प्रतिशत और मिलर कस्टम मिल्ड राइस की सुपुर्दगी और राइस की अपनी मिलिंग के अनुपात को बनाए रखेगा;
- यदि राइस मिलर निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कस्टम मिल्ड राइस देने में विफल रहता है, तो एजेंसी को धान के स्टॉक को स्थानांतरित करना होगा जो मिलर के जोखिम और लागत पर किया जाएगा;
- मिलर द्वारा कस्टम मिल्ड राइस की आपूर्ति में देरी की स्थिति में, मिलर विलंबित अवधि के लिए 12 प्रतिशत की दर से ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था और कस्टम मिल्ड राइस देने में विफलता के मामले में, मिलर ब्याज सहित कस्टम मिल्ड राइस की दरों के 110 प्रतिशत की दर से कस्टम मिल्ड राइस कम मात्रा की लागत का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था;
- कंपनी को पाक्षिक आधार पर धान के स्टॉक का भौतिक सत्यापन करना था; तथा
- मिलर द्वारा प्रत्येक टन की मिलिंग क्षमता के लिए ₹ 50 लाख की दर से हस्ताक्षरित चेक तथा आढ़तिया के दो तृतीय पक्ष जमानतदार, इसके अतिरिक्त पहली टन क्षमता के लिए ₹ 10 लाख और प्रत्येक अतिरिक्त एक टन क्षमता के लिए ₹ 5 लाख की सुरक्षा राशि एजेंसी के नाम पर गिरवी रखी गई सावधि जमा रसीद के रूप में प्रदान की जानी थी।

खरीफ विपणन सीजन 2017-18 में कंपनी ने मैसर्ज पारटेक राइस इंडस्ट्रीज, कुरुक्षेत्र (मिलर) को 8,237.89 मीट्रिक टन धान आवंटित किया (अक्टूबर 2017), जिसके लिए कस्टम मिल्ड राइस 31 मार्च 2018 तक डिलीवर किया जाना था। मिलर कस्टम मिल्ड राइस की डिलीवरी में शुरुआत से ही धीमा था और उसने नवंबर 2017, दिसंबर 2017 और जनवरी 2018 में क्रमशः 1,053 मीट्रिक टन, 835 मीट्रिक टन और 727 मीट्रिक टन कस्टम मिल्ड राइस डिलीवर किया, जबकि प्रत्येक महीने में 1,104 मीट्रिक टन का लक्ष्य रखा गया था। मिलर ने अक्टूबर 2017 से जून 2018 तक 5,519.38 मीट्रिक टन के देय कस्टम मिल्ड राइस के विरुद्ध 3,935.38 मीट्रिक टन कस्टम मिल्ड राइस डिलीवर किया और ₹ 4.63 करोड़ मूल्य के शेष 1,584 मीट्रिक टन कस्टम मिल्ड राइस की हेराफेरी की। इसके अतिरिक्त, मिलर से बारदाना, धान टॉप अप और मिलर को आपूर्ति किए गए लकड़ी के टोकरे की लागत तथा ₹ 1.88 करोड़ के ब्याज (अक्टूबर 2020 तक 12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर पर) के कारण ₹ 36.39 लाख की राशि भी वसूलनीय थी। 25 मई 2018 को आयोजित पहले भौतिक सत्यापन में, कंपनी ने 1,687.23 मीट्रिक टन कस्टम मिल्ड राइस की कमी पाई और इसलिए, कस्टम मिल्ड राइस की

डिलीवरी न करने के लिए मिलर और दो गारंटर्स के विरुद्ध पुलिस के पास प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज (25 जून 2018) की। 3 जुलाई 2018 को आयोजित भौतिक सत्यापन में मिलर के पास कोई स्टॉक नहीं पाया गया और 1,548 मीट्रिक टन की कमी देखी गई।

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि:

- हालांकि कंपनी को नवंबर 2017 से जून 2018 के दौरान 16 भौतिक सत्यापन करने की आवश्यकता थी, कंपनी ने पहला भौतिक सत्यापन केवल 25 मई 2018 को किया था, जबकि 1,687.23 मीट्रिक टन कस्टम मिल्ड राइस की कमी पाई गई थी। तथापि, कंपनी ने मिलर को एक वर्ष के बाद शेष कस्टम मिल्ड राइस की आपूर्ति करने तथा मिलर के पास पड़े बारदाना और अन्य स्टॉक को वापस करने के लिए 4 मई 2019 को नोटिस जारी कर ब्याज सहित ₹ 6.02 करोड़ की वसूली की सूचना दी।
- यदि कंपनी ने पखवाड़े में स्टॉक का भौतिक सत्यापन किया होता, तो उसे (i) कस्टम मिल्ड राइस की डिलीवरी और राइस की अपनी मिलिंग के अनुपात के रखरखाव और (ii) मिलिंग की धीमी प्रगति/राइस की डिलीवरी न करने के संबंध में स्थिति का पता चल सकता था। इसके अतिरिक्त, कंपनी मिलिंग दिशानिर्देशों के अनुसार अनमिल्ड धान को अन्य मिलरों को स्थानांतरित कर सकती थी।
- मिलर से प्राप्त किए गए ₹ दो करोड़ के हस्ताक्षरित चेक अब तक (अक्टूबर 2020) बकाया की वसूली के लिए बैंक को प्रस्तुत नहीं किए गए थे। हालांकि, कंपनी ने कमी की सूचना से 17 महीने से अधिक समय बीत जाने के बाद ₹ 20 लाख की सावधि जमा रसीद (इसे ब्याज सहित ₹ 22.71 लाख कर दिया) को भुनाया (17 दिसंबर 2019)।
- कंपनी ने मिलर के विरुद्ध मध्यस्थता की कार्यवाही शुरू की (अक्टूबर 2019) हालांकि धोखाधड़ी, चोरी या हेराफेरी के मामलों को मिलिंग दिशानिर्देशों के अनुसार उचित कानूनी कार्यवाही के माध्यम से निपटाया जाना था और वह भी 16 महीने के बाद।

इस प्रकार, कंपनी ने राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करते हुए नियमित रूप से स्टॉक का भौतिक सत्यापन नहीं किया, जिसके परिणामस्वरूप मिलर द्वारा धान का दुरुपयोग किया गया। इसके बाद, कंपनी ने चेकों का नकदीकरण न करके और अपने बकाया की वसूली के लिए कानूनी कार्रवाई करने में देरी करके मिलर का पक्ष लिया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 6.64 करोड़⁵¹ की हानि हुई।

सरकार ने बताया (अगस्त 2021) कि कर्मचारियों की कमी के कारण भौतिक सत्यापन नहीं किया जा सका। इसके अतिरिक्त, बकाया की वसूली के लिए राज्य सरकार के अनुमोदन (दिसंबर 2020) से सभी चूककर्ता राइस मिलरों के लिए एक निपटान योजना शुरू की गई है। एग्जिट कांफ्रेंस (अगस्त 2021) के दौरान, प्रबंधन ने आगे बताया कि आर्बिट्रेटर की नियुक्ति से संबंधित मामला उच्च न्यायालय में लंबित था और कंपनी के कर्मचारियों द्वारा चूक की जांच

⁵¹ कस्टम मिल्ड राइस की लागत ₹ 4.63 करोड़ जमा बारदाना इत्यादि की लागत ₹ 36.39 लाख जमा अक्टूबर 2020 तक ब्याज ₹ 1.88 करोड़ घटा सावधि जमा रसीद के नकदीकरण के कारण वसूली ₹ 22.71 लाख।

अंतिम चरण में थी। आगे बताया गया कि राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित निपटान योजना के अंतर्गत बकाया की वसूली के प्रयास किए जाएंगे।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि कंपनी राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों का पालन करने में विफल रही जिसके परिणामस्वरूप मिलरों द्वारा धान का दुरुपयोग किया गया और अब सरकार/प्रबंधन ने कुछ राशि वसूल करने के लिए सभी चूककर्ता राइस मिलरों के लिए एक निपटान योजना शुरू की है।

यह सिफारिश की जाती है कि कंपनी राज्य सरकार के दिशानिर्देशों के उल्लंघन के लिए उत्तरदायित्व नियत करे और कस्टम मिल्ड राइस में लागू प्रणाली का अनुसरण किया जाए।

3.7 समय पर वैट जमा न करने के कारण ब्याज/पेनल्टी

कर प्राधिकारियों के पास समय पर मूल्य वर्धित कर की राशि जमा न करने के कारण कंपनी ने ₹ 1.85 करोड़ के ब्याज/पेनल्टी की परिहार्य हानि उठाई।

हरियाणा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड (कंपनी) खाद्यान्न खरीद एजेंसी में से एक है और अपने 17 किसान सेवा केंद्रों के माध्यम से उर्वरकों, कीटनाशकों और कृषि उपकरणों इत्यादि के व्यापार में भी लगी हुई है। कंपनी ने प्रत्येक किसान सेवा केंद्रों के लिए अलग-अलग मूल्य वर्धित कर (वैट) नंबर लिए थे, जो नियत तारीखों पर वैट जमा करने के लिए जिम्मेदार हैं। हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम की धारा 14 (6) में प्रावधान है कि यदि कोई डीलर कर के भुगतान की अंतिम तिथि से 90 दिनों के बाद भी कर का भुगतान करने में विफल रहता है, तो वह भुगतान होने तक की पूरी अवधि के लिए प्रति माह दो प्रतिशत की दर से ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

कंपनी के किसान सेवा केंद्र, पिपली ने वैट (वैट-आर1) की अपनी तिमाही रिटर्न दाखिल की लेकिन पूरा देय कर जमा नहीं किया। फॉर्म वैट-आर2 के अनुसार निर्धारण वर्ष 2013-14 और 2014-15 के दौरान किसान सेवा केंद्रों का टर्नओवर क्रमशः ₹ 413.57 करोड़ और ₹ 346.16 करोड़ था। इनपुट टैक्स क्रेडिट को समायोजित करने के बाद कर-निर्धारण प्राधिकारी द्वारा किए गए आकलन के अनुसार निर्धारण वर्ष 2013-14 और 2014-15 के लिए वैट देयता क्रमशः ₹ 16.07 करोड़ और ₹ 16.65 करोड़ थी। हालांकि, कंपनी ने क्रमशः ₹ 14.78 करोड़ और ₹ 13.28 करोड़ का वैट जमा किया था। इस प्रकार, कंपनी ने निर्धारण वर्ष 2013-14 के लिए ₹ 1.29 करोड़ और निर्धारण वर्ष 2014-15 के लिए ₹ 3.37 करोड़ का कम वैट जमा किया क्योंकि वैट अधिकारियों ने कर निर्धारण के दौरान बिक्री की राशि में वृद्धि कर दी जिसके परिणामस्वरूप संबंधित व्यक्ति द्वारा कर का भुगतान न करने के अतिरिक्त कम कर जमा हुआ।

कर-निर्धारण प्राधिकारी, कुरुक्षेत्र ने निर्धारण वर्ष 2013-14 के लिए ₹ 94.06 लाख (ब्याज: ₹ 91.68 लाख और जुर्माना: ₹ 2.38 लाख) की राशि का ब्याज/पेनल्टी लगाई (मार्च 2017)। कंपनी ने जून से नवंबर 2017 के दौरान अतिरिक्त कर और ब्याज जमा किया।

निर्धारण वर्ष 2014-15 के संबंध में, कंपनी ने कर के भुगतान के लिए ₹ 1.08 करोड़ की राशि के पिछले रिफंड और 29 अप्रैल 2015 को जमा की गई ₹ 2 करोड़ की राशि के समायोजन के लिए अपील दायर (मार्च 2018) की। हालांकि, निर्धारण प्राधिकारियों ने कोई समायोजन नहीं किया और निर्धारण वर्ष 2014-15 के लिए ₹ 2.46 करोड़ के ब्याज और ₹ 0.10 करोड़ की पेनल्टी के रूप में लगाई (मार्च 2018)। कंपनी ने प्राधिकारियों के पास केवल ₹ 3.37 करोड़ की कम कर देयता जमा (अप्रैल 2018) की लेकिन निर्धारण वर्ष 2014-15 के लिए ₹ 2.56 करोड़ (₹ 2.46 करोड़ जमा ₹ 0.10 करोड़) का ब्याज/पेनल्टी अब तक (मार्च 2021) जमा नहीं की गई है। ब्याज/पेनल्टी जमा न करने पर और ब्याज/पेनल्टी भी लग सकती है।

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि कंपनी ने अपनी दैनिक गतिविधियों के लिए बैंकों से 11.83 प्रतिशत प्रति वर्ष की ब्याज दर पर नकद ऋण/अल्पावधि ऋण प्राप्त किया है जो कंपनी पर लगाए गए 24.33 प्रतिशत प्रतिवर्ष की ब्याज दर से कम था। इस प्रकार, यदि कंपनी ने अपने नकद ऋणों/अल्पावधि ऋणों से अतिरिक्त कर का भुगतान समय पर किया होता, तो यह अंतरीय ब्याज के कारण ₹ 1.73 करोड़ की राशि बचा सकती थी। इसके अतिरिक्त, ₹ 12.38 लाख (निर्धारण वर्ष 2013-14: ₹ 2.38 लाख और निर्धारण वर्ष 2014-15: ₹ 10 लाख) की पेनल्टी से भी बचा जा सकता था।

इस प्रकार, वैट की कम राशि जमा करने के कारण कंपनी को ₹ 1.85 करोड़ की राशि के ब्याज और जुर्माने का अतिरिक्त भार वहन करना पड़ा।

सरकार ने बताया (अगस्त 2021) कि वैट अधिकारियों ने बिक्री बढ़ा दी जिसके परिणामस्वरूप संबंधित व्यक्ति द्वारा कर का भुगतान न करने के अतिरिक्त कर की कम राशि जमा हुई। एग्जिट कांफ्रेंस (अगस्त 2021) के दौरान, प्रबंधन ने आगे बताया कि चूक के लिए दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध जांच की जानी थी।

यह सिफारिश की जाती है कि कंपनी कम वैट जमा करने के लिए उत्तरदायित्व नियत करे और भविष्य में करों का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए अपने आंतरिक नियंत्रण तंत्र को मजबूत करे।

हरियाणा राज्य भंडारण निगम

3.8 गेहूं के स्टॉक का नुकसान

गेहूं के स्टॉक के रखरखाव की स्थिति ठीक न होने के कारण निगम को ₹ 1.29 करोड़ की हानि हुई।

राज्य सरकार, हरियाणा राज्य भंडारण निगम (निगम) सहित अपनी अनाज खरीद एजेंसियों के माध्यम से केंद्रीय पूल के लिए भारतीय खाद्य निगम की ओर से गेहूं की खरीद करती है। निदेशक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, हरियाणा सरकार ने समय-समय

पर (मई 2018 में दोहराया) विशेष रूप से खुले भंडार में खरीदे और रखे गए गेहूं के स्टॉक के रखरखाव के लिए निर्देश जारी किए थे। मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार, निगम को प्रकृति की अनिश्चितताओं से अपने गेहूं के भंडार, जब खुले में संग्रहीत किया जाए, की सुरक्षा सुनिश्चित करनी थी, और इस प्रकार, स्वयं को आश्वस्त करना अपेक्षित था कि उन्हें सभी परिस्थितियों में पॉलीथिन की चादरों से ढके लकड़ी के क्रेट्स पर ठीक से रखा गया था, भंडारण क्षेत्र में उचित जल निकासी व्यवस्था थी और घास एवं खरपतवार से मुक्त थी, फ्यूमिगेंट्स और निर्दिष्ट रसायनों के साथ समय-समय पर प्री-मानसून उपचार दिया गया था और पर्याप्त निगरानी कर्मचारियों की तैनाती सहित अन्य सभी आवश्यक कदम उठा लिए गए थे।

हालांकि, हेली मंडी (पटौदी) और सेवली मंडी (पलवल) में खरीदे गए गेहूं के स्टॉक के संबंध में निम्नलिखित अवलोकित किया गया।

(i) फसल वर्ष 2018-19 के दौरान निगम ने हेली मंडी में खुले प्लिंथों में 13,379 मीट्रिक टन गेहूं का भंडारण किया। भारतीय खाद्य निगम ने अपने निरीक्षण में देखा और निगम को सूचित किया (अगस्त 2018) कि कर्मचारियों द्वारा गेहूं को पॉलीथिन कवर से ठीक से कवर नहीं किया गया था और परिणामस्वरूप, स्टॉक बारिश से प्रभावित था और खुले में पड़े स्टॉक की अधिकांश बाहरी परत बारिश से प्रभावित थी और अपर्याप्त वायु-मिश्रण दिया और पॉकेटों में आटा बनता देखा गया। भारतीय खाद्य निगम ने 7,088 मीट्रिक टन गेहूं स्टॉक को अपग्रेड करने योग्य⁵² घोषित (सितंबर 2018) किया। इसमें से 1,765 मीट्रिक टन खराब गेहूं की नीलामी (जुलाई 2019) की गई, जिससे निगम को ₹ 1.10 करोड़⁵³ की वित्तीय हानि हुई। उन्होंने संबंधित भंडारण स्टाफ को गेहूं के स्टॉक के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए बार-बार निर्देश देने का भी हवाला दिया, जिसमें सुधार नहीं हुआ है।

(ii) सेवली मंडी (पलवल) में भंडारित 15,090 मीट्रिक टन गेहूं के मामले में, फसल वर्ष 2018-19 के दौरान भंडारण के लिए तीन मंडियों⁵⁴ से स्टॉक प्राप्त किया गया था। निगम ने अपनी आंतरिक जांच (जून 2018) में अवलोकित किया कि पुन्हाना मंडी से गेहूं का स्टॉक प्राप्त करते समय सेवली मंडी में तैनात कर्मचारियों ने गेहूं के स्टॉक की ठीक से जांच नहीं की क्योंकि कुछ स्टॉक पहले से ही खराब स्थिति में था। परिणामस्वरूप, 143 मीट्रिक टन खराब गेहूं स्टॉक की नीलामी (जुलाई 2019) की गई, जिससे ₹ 0.19 करोड़⁵⁵ की हानि हुई।

⁵² अपग्रेड करने योग्य का अर्थ है, खराब गेहूं के ढेर में से पृथक्करण के माध्यम से गेहूं की गुणवत्ता में सुधार।

⁵³ ₹ 3.90 करोड़ (भारतीय खाद्य निगम से प्राप्य राशि) - ₹ 2.92 करोड़ (क्षतिग्रस्त गेहूं की नीलामी में प्राप्त राशि) + ₹ 0.02 करोड़ (पृथक्करण और उन्नयन पर व्यय) + ₹ 0.14 करोड़ (अतिरिक्त बोरियों के प्रतिस्थापन की लागत) - ₹ 0.04 करोड़ (नमी कटौती के कारण आढ़तियों से वसूल की गई राशि का अंतर)।

⁵⁴ पुन्हाना मंडी: 15,002 मीट्रिक टन, बरोली मंडी: 78 मीट्रिक टन और होडल मंडी: 10 मीट्रिक टन।

⁵⁵ ₹ 0.33 करोड़ (भारतीय खाद्य निगम से प्राप्य राशि) - ₹ 0.20 करोड़ (नीलामी के अनुसार प्राप्त राशि) + ₹ 0.06 करोड़ (पृथक्करण और उन्नयन पर किया गया व्यय)।

इस प्रकार, निदेशक खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद हेली मंडी (पटौदी) एवं सेवली मंडी (पलवल) में फसल वर्ष 2018-19 के गेहूं के स्टॉक को अच्छी स्थिति में रखने में कर्मचारियों की लापरवाही के कारण निगम ने ₹ 1.29 करोड़ (₹ 1.10 करोड़ जमा ₹ 0.19 करोड़) की हानि उठाई।

सरकार ने बताया (अगस्त 2021) कि हेली मंडी के तीन अधिकारी, जिन पर इस मामले में पहले आरोप-पत्र दायर किया गया था, स्टॉक के संरक्षण में लापरवाह पाए गए और परिणामस्वरूप निगम को ₹ 1.10 करोड़ की वित्तीय हानि हुई। जुर्माना लगाने के मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही थी। इसके अतिरिक्त, तत्कालीन जिला प्रबंधक को भी उनकी पर्यवेक्षी चूक के लिए चार्जशीट (28 जून 2021) किया गया था। आगे, सेवली मंडी के संबंध में संबंधित कर्मचारियों के विरुद्ध ₹ 0.19 करोड़ की वित्तीय हानि के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। एग्जिट कांफ्रेंस (अगस्त 2021) के दौरान, प्रबंधन ने दोहराया कि निगम द्वारा उठाई गई हानि के लिए संबंधित कर्मचारियों के विरुद्ध जांच प्रारंभ की गई है।

यह सिफारिश की जाती है कि निगम को अपने हितों की रक्षा के लिए अपने गेहूं के स्टॉक के उचित भंडारण के लिए निदेशक खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग के निर्देशों का पालन करना चाहिए और दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई में तेजी लानी चाहिए।

3.9 धान/कस्टम मिल्ड राइस की हेराफेरी

खरीफ विपणन सीज़न के दिशा-निर्देशों के नियमों और शर्तों का पालन न करने और चूककर्ता मिलर से शेष राशि की वसूली के लिए समय पर प्रयास न करने से ₹ 6.75 करोड़ की हानि हुई।

राज्य सरकार, हरियाणा राज्य भंडारण निगम (निगम) सहित अपनी खरीद एजेंसियों के माध्यम से केंद्रीय पूल के लिए भारतीय खाद्य निगम की ओर से धान की खरीद करती है। इस प्रकार खरीदे गए धान को मंडियों से सीधे मिलरों के परिसर में मिलिंग के लिए ले जाया जाता है और उससे निकले चावल, जिसे कस्टम मिल्ड राइस कहा जाता है, को भारतीय खाद्य निगम को सौंप दिया जाता है। हरियाणा सरकार ने खरीफ विपणन सीज़न 2018-19 के लिए अपनी खरीद एजेंसियों को दिशा-निर्देश जारी किए (सितंबर 2018) जो निम्नानुसार हैं:

- एजेंसी को पाक्षिक आधार पर धान के स्टॉक का भौतिक सत्यापन करना था और प्रत्येक राइस मिलर को एक चित्रात्मक चार्ट तैयार करना था जिसमें स्टैक संख्या और प्रत्येक स्टैक में बैगों की संख्या के साथ स्टैक की स्थिति को दर्शाया जाना था और संबंधित एजेंसी को इसकी प्रति प्रस्तुत की जानी थी;

- मिलर द्वारा प्रत्येक टन की मिलिंग क्षमता के लिए ₹ 50 लाख की दर से हस्ताक्षरित चेक तथा आढ़तिया⁵⁶ के दो तृतीय पक्ष जमानतदार, इसके अतिरिक्त पहली टन क्षमता के लिए ₹ 10 लाख और प्रत्येक अतिरिक्त एक टन क्षमता के लिए ₹ 5 लाख की सुरक्षा राशि एजेंसी के नाम पर गिरवी रखी गई सावधि जमा रसीद के रूप में प्रदान की जानी थी।
- यदि राइस मिलर निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कस्टम मिल्ड राइस देने में विफल रहता है, तो एजेंसी को मिलर के जोखिम और लागत पर धान के स्टॉक को स्थानांतरित करना था।

खरीफ विपणन सीजन 2018-19 के अभिलेखों की नमूना जांच से पता चला कि मैसर्स एम.एम. राइस मिल्स, रादौर (मिलर) को दिशानिर्देशों के अनुसार अधिकतम 4,000 मीट्रिक टन धान के विरुद्ध 3,475.27 मीट्रिक टन धान आवंटित किया गया था। मिलर को 31 मार्च 2019 तक 67 प्रतिशत के उत्पादन अनुपात पर 2,328.43 मीट्रिक टन कस्टम मिल्ड राइस डिलीवर करना था, जिसे 30 सितंबर 2019 तक बढ़ा दिया गया था। मिलर ने विस्तारित अवधि के दौरान भी कस्टम मिल्ड राइस की डिलीवरी में चूक की और मूल डिलीवरी कार्यक्रम के अनुसार 31 मार्च 2019 तक 100 प्रतिशत के लक्ष्य के विरुद्ध भारतीय खाद्य निगम को 9 अप्रैल 2019 तक केवल 674.34 मीट्रिक टन (कस्टम मिल्ड राइस का 28.96 प्रतिशत) ही डिलीवर किया। मिलर के परिसर में मिलर के प्रतिनिधि के साथ निगम के गोदाम कीपर और प्रबंधक की समिति द्वारा किए गए अंतिम भौतिक सत्यापन (16 जुलाई 2019) से पता चला कि मिलर ने शेष 1,654.09 मीट्रिक टन कस्टम मिल्ड राइस की हेराफेरी की जिससे निगम को ₹ 6.75 करोड़ (जनवरी 2021 तक के ब्याज सहित) की हानि हुई।

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि 25 मार्च 2019 को भौतिक सत्यापन के दौरान, हालांकि निगम को पता चला कि 196.87 मीट्रिक टन धान की कमी थी, परंतु उसके लिए कानूनी नोटिस 30 मई 2019 को ही जारी किया गया। मिलर के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट पिछले भौतिक सत्यापन की तारीख से पांच महीने बाद 27 दिसंबर 2019 को दर्ज की गई थी। 25 मार्च 2019 को कमी देखी जाने पर धान के स्टॉक को स्थानांतरित नहीं किया गया था। मिलर के ₹ 5.80 करोड़ के गारंटी चेक 19 फरवरी 2020 को अर्थात्, हेराफेरी की सूचना के सात महीने बाद ही बैंक में प्रस्तुत किए गए थे। 25 फरवरी 2020 को चेक बाउंस हो गए। निगम ने अक्टूबर 2020 में मिलर के साथ-साथ जमानतदार/गारंटर के विरुद्ध अदालत में वसूली का मुकदमा दायर किया है। धान के स्टॉक का संयुक्त भौतिक सत्यापन भी पाक्षिक आधार पर नहीं किया गया था और मिलर से धान के स्टॉक का सचित्र चार्ट/स्केच प्राप्त नहीं हुआ था।

इस प्रकार, खरीफ विपणन सीजन के दिशानिर्देशों के निबंधनों एवं शर्तों का अनुपालन न करने और शेष राशि की वसूली के लिए समय पर प्रयास न करने के परिणामस्वरूप मिलर द्वारा ₹ 6.75 करोड़ मूल्य के धान की हेराफेरी हुई।

⁵⁶ आढ़तिया, बाजार का बिचौलिया होता है।

सरकार ने बताया (जुलाई 2021) कि निगम ने कई बार स्टॉक का भौतिक सत्यापन किया था, हालांकि पाक्षिक आधार पर नहीं किया और निगम को सभी कानूनी और आपराधिक कार्रवाइयों के माध्यम से मिलरों से होने वाले नुकसान की भरपाई की उम्मीद थी। एग्जिट कांफ्रेंस (अगस्त 2021) के दौरान, प्रबंधन ने आगे बताया कि दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध आरोप-पत्र दाखिल कर दिया गया है और मिलर के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। इसके अतिरिक्त, देयों की वसूली के लिए मुकदमा दायर किया गया है।

इसलिए, यह सिफारिश की जाती है कि निगम के वित्तीय हितों की रक्षा के लिए सरकार के दिशा-निर्देशों का अक्षरशः पालन किया जाना चाहिए।

स्वास्थ्य विभाग

हरियाणा चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड

3.10 खराब वित्तीय प्रबंधन

खराब वित्तीय प्रबंधन के कारण कंपनी ने अपनी अधिशेष निधियों पर ₹ 4.48 करोड़ का ब्याज अर्जित करने का अवसर खो दिया।

महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवा, स्वास्थ्य विभाग, हरियाणा की ओर से सभी अस्पतालों/औषधालयों के लिए दवाओं, उपभोग्य सामग्रियों और उपकरणों की खरीद के लिए हरियाणा चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड (कंपनी) की स्थापना (जनवरी 2014) की गई थी। महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवा अपनी ओर से खरीद गतिविधियों को करने के लिए कंपनी को निधियां हस्तांतरित करते हैं जिसके लिए वे प्रसंस्करण शुल्क के रूप में चार प्रतिशत का भुगतान करते हैं। कंपनी के राजस्व के मुख्य स्रोत महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवा से प्राप्त प्रक्रिया फीस, सावधि जमा से ब्याज, विलंबित आपूर्ति प्रभार एवं परीक्षण प्रभार हैं।

कंपनी के अभिलेखों की नमूना-जांच से पता चला कि उसने एच.डी.एफ.सी. बैंक में तीन बैंक खाते और इंडसइंड बैंक में एक खाता खोला, जिनका विवरण नीचे दिया गया है। कंपनी ने एच.डी.एफ.सी. बैंक के बचत खातों और इंडसइंड बैंक के चालू खाते में निधियां रखने के कारण ब्याज अर्जित करने का अवसर खो दिया।

(क) एच.डी.एफ.सी. बैंक: खाता खोलते समय बैंक ने स्वीप-इन-सेविंग अकाउंट⁵⁷ जमा पर 6 प्रतिशत से 7.25 प्रतिशत की दर से ब्याज की पेशकश (मई 2016) की थी। हालांकि, कंपनी ने बैंक के पास क्रमशः 1 जून 2016, 3 जून 2017 और 21 मई 2018 को तीन⁵⁸ बचत बैंक खाते खोले। बैंक ने इन बैंक खातों को खोलने की तारीख से 3.5 प्रतिशत की दर से लागू ब्याज

⁵⁷ जब भी बचत खाते में शेष राशि सीमा से अधिक होती है, तो अधिक ब्याज दर अर्जित करने के लिए अधिशेष राशि को सावधि जमा खाते में स्थानांतरित कर दिया जाता है। इस उद्देश्य के लिए तकनीकी शब्द "स्वीप-इन" है।

⁵⁸ (i) 50100072479021; (ii) 5010020549608; और (iii) 50100236650058.

का भुगतान किया। लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि कंपनी ने खाते के प्रकार/खाते की प्रकृति की समीक्षा नहीं की और महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवा से प्राप्त अव्ययित शेष राशि इन खातों में पड़ी रही। लेखापरीक्षा द्वारा यह इंगित किए जाने पर कि कंपनी ने निधियां बचत खातों में रखी हैं, कंपनी ने बैंक को 3.5 प्रतिशत प्रति वर्ष के बजाय 6 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज का भुगतान करने के लिए कहा (नवंबर 2019)। बैंक से कोई प्रतिक्रिया न मिलने पर, उसने एच.डी.एफ.सी. बैंक के सभी तीन खातों को बंद करने का निर्णय लिया (जनवरी 2021)। इस प्रकार, निधियों को उच्च ब्याज अर्जित करने वाले स्वीप-इन-सेविंग खाते में रखने के बजाय निम्न ब्याज दर वाले बचत खातों में रखा गया था, जिसके कारण कंपनी ने जून 2016 से मार्च 2020⁵⁹ के दौरान ₹ 4.22 करोड़ की न्यूनतम अतिरिक्त ब्याज आय अर्जित करने का अवसर खो दिया।

(ख) इंडसइंड बैंक: बैंक खाता खोलने के लिए इंडसइंड बैंक ने कंपनी द्वारा अपने खाते में ₹ एक लाख से अधिक की दैनिक शेष राशि पर 6 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज की पेशकश की। कंपनी ने सितंबर 2014 में इंडसइंड बैंक खाते के पास एक चालू फ्लेक्सी खाता⁶⁰ खोलने के लिए आवेदन किया, लेकिन बैंक ने अक्टूबर 2014 में एक चालू खाता खोला। 29 सितंबर 2017 तक इस खाते में कोई निधि नहीं रखी गई थी। हालांकि, इस खाते में 29 सितंबर 2017 से 26 जुलाई 2018 की अवधि के दौरान ₹ 1.03 करोड़ से ₹ 10.17 करोड़ तक की निधियां जमा की गईं और 9 अगस्त 2018 तक जमा रहीं। अगस्त 2018 में, कंपनी ने महसूस किया कि इंडसइंड बैंक के चालू खाते में रखी गई निधियों पर कोई ब्याज नहीं मिल रहा था और इसलिए खाते की प्रकृति को चालू खाते से बचत खाता-सह-इंडस लार्ज बिजनेस खाते में बदलने का निर्णय लिया। चालू खाते में रखी हुई ₹ 10.17 करोड़ की शेष राशि इस नए खाते में स्थानांतरित कर दी गई थी। इस प्रकार, यदि कंपनी समय पर खाते के प्रकार की समीक्षा कर लेती और चालू खाते को बचत खाते में परिवर्तित कर लेती तो वह 29 सितंबर 2017 से 9 अगस्त 2018 की अवधि के दौरान बैंक में जमा शेष राशि पर ₹ 26.14 लाख का ब्याज अर्जित कर सकती थी।

इस प्रकार, खराब वित्तीय प्रबंधन के कारण कंपनी ने दो बैंकों में रखी अपनी अधिशेष निधि पर ₹ 4.48 करोड़ की अतिरिक्त ब्याज आय अर्जित करने का अवसर खो दिया।

कंपनी ने तथ्यों को स्वीकार किया और बताया (दिसंबर 2020 और जनवरी 2021) कि एच.डी.एफ.सी. बैंक के सभी तीन बैंक खाते बंद कर दिए गए हैं और इंडसइंड बैंक से ब्याज लेने के प्रयास किए जा रहे हैं। एग्जिट कांफ्रेंस (अगस्त 2021) के दौरान, प्रबंधन ने दोहराया कि ब्याज की वसूली का मामला पहले ही बैंक के साथ उठाया जा चुका है और विगत दिनों में ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है।

⁵⁹ चूंकि मार्च 2020 के बाद सावधि जमा दरें बचत बैंक खातों पर ब्याज के करीब थीं, उसके बाद कोई गणना नहीं की गई है।

⁶⁰ चालू फ्लेक्सी खाते वे चालू खाते हैं जिनमें निर्दिष्ट दिनों (इस मामले में 7 दिन) से अधिक अवधि के लिए खाते में रखी गई कुछ राशि (इस मामले में ₹ 1 लाख) से अधिक निधियों के लिए सावधि जमा के लाभ प्राप्त होते हैं।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि बैंक अवधि के दौरान संचालित खाते की प्रकृति के अनुसार ब्याज देंगे और कंपनी के दावों पर विचार नहीं करेंगे।

यह सिफ़ारिश की जाती है कि कंपनी रिटर्न को अनुकूलित करने के लिए अपनी अधिशेष निधियों के निवेश के लिए अपने वित्तीय प्रबंधन को मजबूत करे।

मामला सरकार और कंपनी के पास भेजा (मार्च 2021) गया था; उनके उत्तर प्रतीक्षित थे (सितंबर 2021)।

चण्डीगढ़
दिनांक: 29 नवम्बर 2021

विशाल बंसल
(विशाल बंसल)

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), हरियाणा

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक: 10 दिसम्बर 2021



(गिरीश चंद्र मुर्मू)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

परिशिष्ट

परिशिष्ट 1.1

(संदर्भ: अनुच्छेद 1.1; पृष्ठ 1)

क्लस्टर, एक क्लस्टर के अंदर विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और स्वायत्त निकायों का विवरण दर्शाने वाली विवरणी

क्लस्टर	विभाग	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	स्वायत्त निकाय
1. स्वास्थ्य एवं कल्याण	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	हरियाणा महिला विकास निगम लिमिटेड.	हरियाणा राज्य बाल अधिकार आयोग
	चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग	हरियाणा चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड	
	सैनिक और अर्ध सैनिक कल्याण विभाग	हरियाणा पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम प्राइवेट लिमिटेड	
	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग	हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	
	अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्गों का कल्याण विभाग महिला एवं बाल विकास		
2. शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार	उच्च शिक्षा विभाग		हरियाणा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, पंचकुला
	श्रम विभाग (ई.एस.आई. रोजगार)		हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड पंचकुला
	स्कूल शिक्षा विभाग		
	कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग		
	खेल एवं युवा कार्यक्रम विभाग		
	तकनीकी शिक्षा विभाग		
	विकास और पंचायत		
3. वित्त	आबकारी एवं कराधान विभाग	हरियाणा राज्य वित्तीय सेवा लिमिटेड	
	वित्त विभाग		
4. ग्रामीण विकास	ग्रामीण विकास विभाग		
5. कृषि, खाद्य और संबद्ध उद्योग	कृषि एवं किसान कल्याण विभाग	हरियाणा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड	हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड
	पशुपालन एवं डेयरी विभाग	हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम लिमिटेड	
	सहकारिता विभाग	हरियाणा बीज विकास निगम लिमिटेड	
	मत्स्य विभाग	हरियाणा राज्य भंडारण निगम	
	खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग		
	बागवानी विभाग		

क्लस्टर	विभाग	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	स्वायत्त निकाय	
6. जल संसाधन	सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग	हरियाणा लघु सिंचाई एवं नलकूप निगम लिमिटेड		
7. ऊर्जा और शक्ति	नव एवं नवीकरणीय ऊर्जा		हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग	
	बिजली विभाग	हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड		
		हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड		
		उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड		
		दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड		
सौर ऊर्जा निगम हरियाणा लिमिटेड (अक्रियाशील)				
8. उद्योग एवं व्यापार	उद्योग एवं वाणिज्य	हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं मूलभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड	हरियाणा खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड पंचकुला	
		हरियाणा वित्तीय निगम		
	खान एवं भू-विज्ञान	पानीपत प्लास्टिक पार्क हरियाणा लिमिटेड		
		हरियाणा राज्य आवास वित्त निगम लिमिटेड (अक्रियाशील)		
		हरियाणा कॉन्कास्ट लिमिटेड (अक्रियाशील)		
		हरियाणा मिनेरल्स लिमिटेड (अक्रियाशील)		
आपूर्ति और निपटान				
9. परिवहन	नागर विमानन	हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड		
	परिवहन विभाग			
10. शहरी विकास	नगर एवं ग्राम आयोजना	गुडगांव टेक्नोलॉजी पार्क लिमिटेड	हाउसिंग बोर्ड हरियाणा पंचकुला	
	शहरी स्थानीय निकाय	हरियाणा मास रैपिड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण पंचकुला (ह.श.वि.प्रा.)	
	सभी के लिए आवास	फरीदाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड (सितंबर 2016 में सम्मिलित)		हरियाणा रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण, पंचकुला
		गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन सिटी बस लिमिटेड		हरियाणा रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण गुरुग्राम
		फरीदाबाद सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (नई इकाई)		गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण
करनाल स्मार्ट सिटी लिमिटेड (नई इकाई)				

क्लस्टर	विभाग	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	स्वायत्त निकाय
11. पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन	हरियाणा वन विकास निगम लिमिटेड	
	वन विभाग		
	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग		
12. लोक निर्माण	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	हरियाणा राज्य सड़क एवं पुल विकास निगम लिमिटेड	
	लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें)	हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	
		हरियाणा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	
13. आई.टी. एवं संचार	सूचना एवं प्रौद्योगिकी	हरियाणा राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड	
		हारट्रोन इंफॉर्मेटिक्स लिमिटेड	
14. कानून एवं व्यवस्था	गृह	हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अंबाला
			जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कुरुक्षेत्र
			जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, करनाल
			जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, नारनौल
			जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, फतेहाबाद
			जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जींद
			जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कैथल
			जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हिसार
			जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सिरसा
			जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, यमुनानगर
			जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, फरीदाबाद
			जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पानीपत
			जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, भिवानी
			जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पंचकुला
			जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रेवाड़ी
			जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गुरुग्राम
			जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मेवात
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पलवल			
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रोहतक			

क्लस्टर	विभाग	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	स्वायत्त निकाय
			जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सोनीपत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, झज्जर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, चरखी दादरी हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, पंचकुला
15. संस्कृति एवं पर्यटन	पुरातत्व एवं संग्रहालय	हरियाणा पर्यटन निगम लिमिटेड	
	अभिलेखागार		
	कला एवं संस्कृति		
	पर्यटन		
16. सामान्य प्रशासन	राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग		हरियाणा वक्फ बोर्ड, अंबाला कैंट हरियाणा मानवाधिकार आयोग
	सूचना, जनसंपर्क एवं भाषाएं		
	हरियाणा विधानसभा के सचिव		
	राज्यपाल के सचिव		
	चुनाव विभाग के प्रधान सचिव		
	हरियाणा राज्य सेवा आयोग		
	मुद्रण एवं लेखन सामग्री		
	न्याय विभाग		
	राज्य चुनाव आयोग		

परिशिष्ट 1.2

(संदर्भ: अनुच्छेद 1.8; पृष्ठ 5)

श्रेणीवार बकाया अनुच्छेदों की राशि को दर्शाने वाली विवरणी

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	श्रेणी/अनियमितताओं की प्रकृति	अनुच्छेदों की संख्या	धन मूल्य
1	चोरी, आग, दुर्विनियोजन से हानि	317	243.41
2	वसूली योग्य राशि	2,520	8,49,138.81
3	नियमों का पालन न करना	4,399	52,644.67
4	परिहार्य/अनियमित/अधिक व्यय	3,269	20,936.68
5	निष्फल/व्यर्थ व्यय	922	3,938.43
6	योजना के क्रियान्वयन/कार्य के निष्पादन में कमी	1,175	6,358.75
7	निधियों का उपयोग न करना/अवरोध करना	1,252	16,611.95
8	स्टोर/स्टॉक का सत्यापन न करना	1,380	1,598.93
9	साधनों का उपयोग न करने से राजस्व की हानि	243	2,417.57
10	विविध	10,025	51,759.47
	कुल	25,502	10,05,648.67

स्रोत: निरीक्षण रिपोर्ट रजिस्टर से संकलित सूचना

अर्थात् ₹ 10,05,649 करोड़

परिशिष्ट 1.3

(संदर्भ: अनुच्छेद 1.8; पृष्ठ 6)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के श्रेणीवार बकाया अनुच्छेदों की राशि को दर्शाने वाली विवरणी

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	श्रेणी/अनियमितताओं की प्रकृति	अनुच्छेदों की संख्या	राशि
1.	चोरी, दुर्विनियोग एवं गबन के कारण हानि	16	0.09
2.	अन्य सरकारी विभाग, एजेंसियों/बिक्री कर/आय/बैंक/गलत बिलिंग के कारण कम वसूली/किराए से वसूली	97	8.47
3.	रोकड़ बही की अनियमितता/कोषागार नियमों से संबंधित अनियमितता/नियमों का पालन न करना/वित्त विभाग के निर्देश/धन का लेखा न करना/अग्रिमों का समायोजन न करना इत्यादि	135	9.8
4.	दर अनुबंध को अंतिम रूप न देने/ खरीदारी का बंटवारा/वेतन निर्धारण इत्यादि के कारण अनियमित व्यय/अतिरिक्त व्यय/ परिहार्य व्यय/निष्फल व्यय/व्यर्थ व्यय	87	28.28
5.	ठेकेदारों को अनुचित लाभ	52	3.78
6.	निधियों का गैर/कम उपयोग/उपकरणों का उपयोग न करना/ अभिलेखों का अप्रस्तुतीकरण/निधियों का अवरोधन	126	385.94
7.	बेकार वस्तुओं की नीलामी न करना/उपयोग प्रमाण-पत्र प्राप्त न होना/भंडार-स्टॉक मदों का भौतिक सत्यापन न होना इत्यादि	66	3.64
8.	विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत विविध अनियमितताएं तथा अन्य अनियमितताएं इत्यादि	175	44.08
	कुल	754	484.08

स्रोत: निरीक्षण रिपोर्ट रजिस्टर से संकलित सूचना

अर्थात् ₹ 484 करोड़

परिशिष्ट 1.4

(संदर्भ: अनुच्छेद 1.9.1; पृष्ठ 6)

वर्ष 2017-18 के लिए लोक लेखा समिति में चर्चा हेतु बकाया अनुच्छेदों (सामाजिक, सामान्य तथा आर्थिक क्षेत्र (गैर-सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) की 30 नवंबर 2020 तक की रिपोर्ट की सूची

क्र. सं.	विभाग का नाम	अवधि	कुल अनुच्छेद	अनुच्छेद संख्या
1.	कृषि एवं किसान कल्याण विभाग	2017-18	2	2.1, 3.2
2.	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग	2017-18	2	3.3, 3.4
3.	स्वास्थ्य विभाग	2017-18	1	3.6
4.	उद्योग एवं वाणिज्य विभाग	2017-18	2	3.9, 3.10
5.	राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग	2017-18	1	3.15
6.	नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग	2017-18	1	3.17
7.	नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग (हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण)	2017-18	5	3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22
8.	परिवहन विभाग	2017-18	1	3.23
कुल अनुच्छेद			15	

स्रोत: लोक लेखा समिति के अभिलेख से संकलित सूचना

सारांश

क्र. सं.	नि.म.ले.प. के प्रतिवेदन का वर्ष	नि.म.ले.प. के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल कुल अनुच्छेद	अनुच्छेदों पर चर्चा	चर्चा के लिए शेष
1.	2017-18	24	9	15
कुल		24	9	15

परिशिष्ट 1.5

(संदर्भ: अनुच्छेद 1.9.1; पृष्ठ 6)

उन अनुच्छेदों की सूची जहां वसूली के लिए इंगित किया गया लेकिन 31 मार्च 2020 तक प्रशासनिक विभागों द्वारा सामाजिक, सामान्य और आर्थिक क्षेत्रों (गैर-सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों) पर कोई कार्रवाई नहीं की गई

क्र. स.	प्रशासनिक विभाग का नाम	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	अनुच्छेद संख्या	राशि (₹ लाख में)
1.	कृषि	2000-01	6.3	40.45
		2013-14	3.1	4,131.00
		2015-16	2.1.7.5	12,644.00
			2.1.9.3	21.41
		2017-18	2.1.6.3	2,222.00
2.	पशुपालन	2000-01	3.4	21.96
		2001-02	6.3	747.00
3.	वित्त	2013-14	3.7	2,021.00
4.	खाद्य एवं आपूर्ति	2002-03	4.6.8	23.89
		2014-15	3.6.2	2,446.00
			3.6.3	240.00
		2017-18	3.4	2,404.00
5.	ग्रामीण विकास (डी.आर.डी.ए.)	2001-02	6.1.11	0.54
		2011-12	2.4.10.2	2.60
6.	नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग (हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण)	2000-01	3.16	15,529.00
		2001-02	6.10	4,055.00
		2011-12	2.3.10.8	16,700.00
		2013-14	2.3.10.6	1,266.00
			2.3.10.11	37,386.00
		2013-14	3.20	84.64
		2015-16	3.18 (क)	41,715.00
			3.18 (ख)	1,077.00
		2017-18	3.17 क	16,086.00
			3.17 ख	1972.00
		2017-18	3.18.7 (i)	11,14,413.00
			3.18.7 (ii)	1,955.00
			3.18.10	4,678.00
7.	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता (जिला रेड क्रॉस सोसायटी)	2011-12	3.3.5.1	1,572.00
			3.18.11 (i)	342.00
			3.18.11 (ii)	2,025.00
			3.18.11 (iii)	2,690.00

क्र. स.	प्रशासनिक विभाग का नाम	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	अनुच्छेद संख्या	राशि (₹ लाख में)
8.	लोक निर्माण विभाग (सिंचाई शाखा)	2010-11	3.1.2	62.25
9.	श्रम एवं रोजगार	2011-12	2.1.9.4	79.95
10.	शहरी स्थानीय निकाय	2012-13	2.2.8.1	17,040.00
			2.2.8.6	10,182.00
		2012-13	3.20	554.00
11.	सहकारिता	2012-13	2.5.7.4	494.00
			2.5.9.3	767.00
12.	स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा	2012-13	3.6	125.00
13.	स्कूल शिक्षा	2014-15	3.3	251.00
		2017-18	3.16.2.5	12.30
14.	लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें)	2015-16	3.12.4.1	53.00
15.	उच्च शिक्षा विभाग	2016-17	2.1.7.3	118.00
			2.1.8 (ख)	2,631.00
16.	गृह विभाग (जेल)	2016-17	2.2.7.3	112.00
17.	स्वास्थ्य विभाग	2017-18	3.6.2.6	543.00
18.	उद्योग एवं वाणिज्य विभाग	2017-18	3.10	145.00
	कुल		34	13,23,680.99

स्रोत: लोक लेखा समिति के अभिलेख से संकलित सूचना

अर्थात् ₹ 13,236.81 करोड़

परिशिष्ट 1.6

(संदर्भ: अनुच्छेद 1.9.1; पृष्ठ 6)

31 मार्च 2020 तक नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के सामाजिक, सामान्य तथा आर्थिक क्षेत्रों (गैर-सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) के प्रतिवेदनों के लिए लोक लेखा समिति की बकाया सिफारिशों के विवरण

क्र. सं.	लोक लेखा समिति की रिपोर्ट	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	31 मार्च 2020 को कुल बकाया अनुच्छेद
1.	9वीं	1971-72	1
2.	14वीं	1973-74	1
3.	16वीं	1975-76	1
4.	18वीं	1976-77	1
5.	22वीं	1979-80	2
6.	23वीं	1979-80	1
7.	25वीं	1980-81	1
8.	26वीं	1981-82	1
9.	32वीं	1984-85	3
10.	34वीं	1985-86	5
11.	36वीं	1986-87	8
12.	38वीं	1987-88	4
13.	40वीं	1988-89	7
14.	42वीं	1989-90, 90-91, 91-92	2
15.	44वीं	1990-91, 91-92, 92-93	7
16.	46वीं	1993-94	6
17.	48वीं	1993-94, 1994-95	3
18.	50वीं	1993-94, 1994-95, 1995-96	26
19.	52वीं	1996-97	14
20.	54वीं	1997-98	8
21.	56वीं	1998-99	13
22.	58वीं	1999-2000	23
23.	60वीं	2000-01	32
24.	61वीं	2001-02	11
25.	62वीं	2002-03	19
26.	63वीं	2005-06	20
27.	64वीं	2003-04	9
28.	65वीं	2004-05	19
29.	67वीं	2007-08	28
30.	68वीं	2006-07	35
31.	70वीं	2008-09	25
32.	71वीं	2009-10	21
33.	72वीं	2010-11	54
34.	73वीं	2011-12	93
35.	74वीं	2013-14	55
36.	75वीं	2012-13	64
37.	77वीं	2014-15	50
38.	79वीं	2015-16	62
39.	80वीं	2016-17	53
		कुल	788

स्रोत: लोक लेखा समिति की रिपोर्टों से संकलित सूचना

परिशिष्ट 1.7

(संदर्भ: अनुच्छेद 1.10; पृष्ठ 8)

स्वायत्त निकायों द्वारा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (नि.म.ले.प.) को लेखाओं के प्रस्तुतीकरण तथा राज्य विधायिका को लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रस्तुतीकरण को दर्शाने वाली विवरणी

क्र. सं.	निकाय का नाम	नि.म.ले.प. को लेखों की लेखापरीक्षा की सुपुर्दगी की अवधि	वर्ष जिस तक लेखे बनाए गए	वर्ष जिस तक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी किए गए	वर्ष जिस तक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन राज्य विधायिका को प्रस्तुत किए गए	वर्ष जिसके लिए लेखे देय हैं	लेखों के प्रस्तुतीकरण में विलंब की अवधि (30 जून 2020 तक)
1.	हरियाणा खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड, पंचकुला	2017-18 से 2021-22	2017-18	2017-18	2015-16	2018-19	एक वर्ष
2.	हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड, चण्डीगढ़	2018-19 से 2022-23	2018-19	2018-19	2017-18	--	--
3.	हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, पंचकुला	2017-18 से 2021-22	2018-19	2015-16	2014-15	--	--
4.	हरियाणा हाऊसिंग बोर्ड, पंचकुला	2019-20 से 2023-24	2018-19	2017-18	2016-17	--	--
5.	हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड, पंचकुला	2020-21 से 2024-25	2018-19	2017-18	2017-18	--	--
6.	हरियाणा वक्फ बोर्ड, अंबाला कैंट	2018-19 से 2022-23	2017-18	2016-17	प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित नहीं	2018-19	एक वर्ष
7.	गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण	2017-18 से 2021-22	2018-19	-	-	--	--
8.	हरियाणा राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण, पंचकुला	कोई सुपुर्दगी अपेक्षित नहीं क्योंकि लेखापरीक्षा नि.म.ले.प के डी.पी.सी. अधिनियम 1971 की धारा 19(2) के अधीन ली गई है।	2015-16	2015-16	2013-14	2016-17 से 2018-19	तीन वर्ष
9.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-सह-सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, भिवानी	-सम-	2018-19	2016-17	1996-97	--	--
10.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-सह-सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, फरीदाबाद	-सम-	2018-19	2017-18	1996-97	--	--
11.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-सह-सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, फतेहाबाद	-सम-	2017-18	2015-16	1996-97	2018-19	एक वर्ष
12.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-सह-सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, गुरुग्राम	-सम-	2016-17	2015-16	1999-2000	2017-18 एवं 2018-19	दो वर्ष
13.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-सह-सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, झज्जर	-सम-	2011-12 से 2018-19	-	2011-12	-	-

क्र. सं.	निकाय का नाम	नि.म.ले.प. को लेखों की सुपुर्दगी की अवधि	वर्ष जिस तक लेखे बनाए गए	वर्ष जिस तक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी किए गए	वर्ष जिस तक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन राज्य विधायिका को प्रस्तुत किए गए	वर्ष जिसके लिए लेखे देय हैं	लेखों के प्रस्तुतीकरण में विलंब की अवधि (30 जून 2020 तक)
14.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-सह-सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, कैथल	कोई सुपुर्दगी अपेक्षित नहीं क्योंकि लेखापरीक्षा नि.म.ले.प के डी.पी.सी. अधिनियम 1971 की धारा 19(2) के अधीन ली गई है।	2018-19	2017-18	1996-97	-	-
15.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-सह-सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, पंचकुला	-सम-	2017-18	2015-16	1999-2000	2018-19	एक वर्ष
16.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-सह-सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, पानीपत	-सम-	2018-19	2016-17	1996-97	-	-
17.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-सह-सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, रेवाड़ी	-सम-	2017-18	2015-16	1996-97	2018-19	एक वर्ष
18.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-सह-सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, रोहतक	-सम-	2018-19	2017-18	1996-97	-	-
19.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-सह-सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, सोनीपत	-सम-	2017-18	2015-16	1996-97	2018-19	एक वर्ष
20.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-सह-सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, यमुनानगर	-सम-	2018-19 (2016-17 का लेखा अभी प्रतीक्षित)	2015-16	1996-97	2016-17	-
21.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-सह-सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, हिसार	-सम-	2017-18	2015-16	1996-97	2018-19	एक वर्ष
22.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-सह-सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, नारनौल	-सम-	2018-19	2017-18	1996-97	-	-
23.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-सह-सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, सिरसा	-सम-	2017-18	2017-18	2012-13	2018-19	एक वर्ष
24.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-सह-सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, अंबाला	-सम-	2018-19	2016-17	2013-14	-	-
25.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-सह-सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, जींद	-सम-	2016-17	2016-17	1996-97	2017-18 एवं 2018-19	दो वर्ष

क्र. सं.	निकाय का नाम	नि.म.ले.प. को लेखों की लेखापरीक्षा की सुपुर्दगी की अवधि	वर्ष जिस तक लेखे बनाए गए	वर्ष जिस तक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी किए गए	वर्ष जिस तक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन राज्य विधायिका को प्रस्तुत किए गए	वर्ष जिसके लिए लेखे देय हैं	लेखों के प्रस्तुतीकरण में विलंब की अवधि (30 जून 2020 तक)
26.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-सह-सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, करनाल	कोई सुपुर्दगी अपेक्षित नहीं क्योंकि लेखापरीक्षा नि.म.ले.प के डी.पी.सी. अधिनियम 1971 की धारा 19(2) के अधीन ली गई है।	2018-19	2017-18	2009-10	-	-
27.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-सह-सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, कुरुक्षेत्र	-सम-	2018-19	2017-18	1996-97	-	-
28.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-सह-सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, मेवात (नूंह)	-सम-	2017-18	2014-15	2009-10	2018-19	एक वर्ष
29.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-सह-सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, पलवल	-सम-	2018-19	2017-18	2012-13	-	-
30.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-सह-सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, चरखी दादरी	-सम-	2018-19	-	-	-	नया जिला
31.	हरियाणा भवन एवं अन्य निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड, चण्डीगढ़	-सम-	2018-19	2017-18	2009-10 (से आगे) अभी प्रस्तुत किया जाना है	-	-
32.	हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग	-सम-	2018-19	2018-19	2017-18	-	-
33.	हरियाणा मानवाधिकार आयोग, चंडीगढ़	-सम-	2018-19	-	2012-13	-	-
34.	हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग	-सम-	-	-	-	2013-14 से 2018-19	नई पहचान की गई इकाई। लेखे अभी तक प्राप्त नहीं हुए
35.	हरियाणा रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण पंचकुला	-सम-	2018-19	-	-	-	-
36.	हरियाणा रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण गुरुग्राम	-सम-	लेखे अभी तक प्राप्त नहीं हुए	-	-	2018-19	नई इकाई
37.	हरियाणा वित्तीय निगम	-सम-	2018-19	2018-19	2017-18	2019-20	-
38.	हरियाणा राज्य भंडारण निगम	-सम-	2018-19	2018-19	2015-16	2019-20	2019-20 का डी.एस.ए.आर. दिनांक 14.06.2021 को संख्या 342 अनुमोदन के लिए नि.म.ले.प को भेजा गया

स्रोत: प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) कार्यालय में उपलब्ध डाटा से संकलित सूचना

परिशिष्ट 2.1

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.1; पृष्ठ 10)

ब्याज प्रभारों के दावे/प्राप्ति में विलंब और राज्य पर परिणामी परिहार्य ब्याज भार का विवरण दर्शाने वाली विवरणी

(₹ लाख में)

जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रक के कार्यालय का नाम	खरीफ विपणन सीजन- 2017-18			खरीफ विपणन सीजन-2018-19			सकल योग	
	अनुपूरक बिलों के माध्यम से दावा/ प्राप्त ब्याज प्रभार	सी.एम.आर. बिल और ब्याज प्रभार की वसूली के बीच अंतर (दिनों में देरी की सीमा)	नकद ऋण सीमा पर राज्य पर परिहार्य ब्याज का भार	अनुपूरक बिलों के माध्यम से दावा/ प्राप्त ब्याज प्रभार	सी.एम.आर. बिल और ब्याज प्रभार की वसूली के बीच अंतर (दिनों में देरी की सीमा)	नकद ऋण सीमा पर राज्य पर परिहार्य ब्याज का भार	अनुपूरक बिलों के माध्यम से दावा/ प्राप्त ब्याज प्रभार	नकद ऋण सीमा पर राज्य पर परिहार्य ब्याज का भार
करनाल	945.18	529-654	133.83	3,243.92	199-443	139.84	4,189.10	273.67
कुरुक्षेत्र	1,629.91	398-921	318.30	2,635.57	48-427	211.28	4,265.48	529.58
कैथल	861.63	286-749	88.44	1,321.37	181-543	128.95	2,183.00	217.39
अंबाला	594.12	231-502	60.24	853.53	15-168	87.21	1,447.65	147.45
यमुनानगर	611.60	133-427	49.69	640.11	7-189	22.36	1,251.71	72.05
फतेहाबाद	1,051.36	48-199	29.11	1,721.45	21-177	45.39	2,772.81	74.50
कुल	5,693.80		679.61	10,415.95		635.03	16,109.75	1,314.64

स्रोत: विभागीय अभिलेख से संकलित सूचना

परिशिष्ट 2.2

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.1; पृष्ठ 10)

लेखापरीक्षा के दौरान देखे गए तीन जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रकों द्वारा दावा किए गए कम ब्याज प्रभारों का विवरण दर्शाने वाली विवरणी, जिनका बाद में दावा किया गया और प्राप्त किया गया

(₹ लाख में)

जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रक का कार्यालय	खरीफ विपणन सीजन - 2017-18			खरीफ विपणन सीजन - 2018-19			सकल योग		
	लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए गए कम ब्याज प्रभारों का दावा	लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने के बाद जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रक द्वारा किया गया दावा	दावे के विरुद्ध एफ.सी.आई. से प्राप्त ब्याज प्रभार	लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए गए कम ब्याज प्रभारों का दावा	लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने के बाद जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रक द्वारा किया गया दावा	दावे के विरुद्ध एफ.सी.आई. से प्राप्त ब्याज प्रभार	लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए गए कम ब्याज प्रभारों का दावा	लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने के बाद जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रक द्वारा किया गया दावा	दावे के विरुद्ध एफ.सी.आई. से प्राप्त ब्याज प्रभार
करनाल	234.9	0	0	1,561.98	1,570.88	1,570.48	1,796.88	1,570.88	1,570.48
यमुनानगर	238.92	256.88	164.15	517.70	533.41	517.71	756.62	790.29	681.86
अंबाला	204.83	175.50	175.50	310.15	328.11	328.11	514.98	503.61	503.61
कुल	678.65	432.38	339.65	2,389.83	2,432.40	2,416.30	3,068.48	2,864.78	2,755.95

स्रोत: विभागीय अभिलेख से संकलित सूचना

परिशिष्ट 2.3

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.2; पृष्ठ 12)

अप्रैल 2018 से सितंबर 2019 की अवधि के दौरान अतिरिक्त चौकीदारों की तैनाती पर अनियमित व्यय का विवरण दर्शाने वाली विवरणी

महीना एवं वर्ष	हेमदा प्लिंथ		लाठर प्लिंथ		भाटिया प्लिंथ		तैनात चौकीदारों की कुल संख्या	कुल अतिरिक्त चौकीदार तैनात	
	मीट्रिक टन में स्टॉक	चौकीदारों की संख्या	मीट्रिक टन में स्टॉक	चौकीदारों की संख्या	मीट्रिक टन में स्टॉक	चौकीदारों की संख्या			
अप्रैल 2018	48,079	48	15,814	22	21,350	20	90	60	60
मई 2018	48,466	48	25,086	34	23,586	30	112	82	
जून 2018	48,466	48	25,086	34	23,586	30	112	82	
जुलाई 2018	48,466	40	24,160	34	23,586	30	104	74	
अगस्त 2018	48,466	40	24,160	34	23,586	30	104	74	
सितंबर 2018	46,996	32	24,160	26	23,586	30	88	58	
अक्टूबर 2018	46,996	40	24,160	34	23,586	26	100	70	
नवंबर 2018	42,417	40	24,160	32	23,586	26	98	68	
दिसंबर 2018	35,857	30	11,351	28	21,011	20	78	48	
जनवरी 2019	797	30	731	30	8,235	16	76	46	602
फरवरी 2019	338	15	731	30	0	4	49	25	
मार्च 2019	138	15	730	30	0	4	49	25	
अप्रैल 2019	27,174	11	24,668	13	29,165	25	49	19	
मई 2019	46,387	22	24,791	20	37,892	25	67	37	106
जून 2019	46,387	19	24,791	19	37,892	25	63	33	33
जुलाई 2019	46,387	16	24,791	15	37,892	25	56	26	
अगस्त 2019	42,168	12	20,674	11	37,892	23	46	16	
सितंबर 2019	37,163	10	20,674	10	37,892	23	43	13	55
अक्टूबर 2019	36,692	10	24,791	10	37,892	10	30	--	
नवंबर 2019	30,957	10	24,791	10	37,488	10	30	--	
दिसंबर 2019	28,860	10	24,791	10	37,488	10	30	--	
जनवरी 2020	28,017	10	20,193	10	37,488	10	30	--	
फरवरी 2020	23,504	9	17,563	9	37,488	10	27	--	
मार्च 2020	14,465	9	9,837	9	37,488	10	28	--	
								856	856

स्रोत: विभागीय अभिलेख से संकलित सूचना

परिशिष्ट 2.4

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.2; पृष्ठ 12)

खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा अप्रैल 2018 से सितंबर 2019 के दौरान किए गए भुगतान का विवरण दर्शाने वाली विवरणी

अप्रैल 2018 के दौरान भुगतान की गई मजदूरी		मई 2018 से जनवरी 2019 के दौरान भुगतान की गई मजदूरी		फरवरी 2019 से मई 2019 के दौरान भुगतान की गई मजदूरी		जून 2019 के दौरान भुगतान की गई मजदूरी		जुलाई 2019 से सितंबर 2019 के दौरान भुगतान की गई मजदूरी	
मजदूरी	13,915.00	मजदूरी	13,915.00	मजदूरी	13,915.00	मजदूरी	14,610.00	मजदूरी	14,610.00
रिलिविंग प्रभार (आर.सी.) 1/6	2,319.17	आर.सी. 1/6	2,319.17	आर.सी. 1/6	2,319.17	आर.सी. 1/6	2,435.00	आर.सी. 1/6	2,435.00
कुल राशि	16,234.17	कुल राशि	16,234.17	कुल राशि	16,234.17	कुल राशि	17,045.00	कुल राशि	17,045.00
13.15 प्रतिशत की दर पर ई.पी.एफ.	2,134.79	13 प्रतिशत की दर पर ई.पी.एफ.	2,110.44	13 प्रतिशत की दर पर ई.पी.एफ.	2,110.44	13 प्रतिशत की दर पर ई.पी.एफ.	2,215.85	13 प्रतिशत की दर पर ई.पी.एफ.	2,215.85
4.75 प्रतिशत की दर पर ई.एस.आई.	771.12	4.75 प्रतिशत की दर पर ई.एस.आई.	771.12	4 प्रतिशत की दर पर ई.एस.आई.	649.37	4 प्रतिशत की दर पर ई.एस.आई.	681.80	3.25 प्रतिशत की दर पर ई.एस.आई.	553.96
कुल योग	19,140.08	कुल योग	19,115.73	कुल योग	18,993.98	कुल योग	19,942.65	कुल योग	19,814.81
3 प्रतिशत की दर पर सेवा प्रभार	487.03	3 प्रतिशत की दर पर सेवा प्रभार	487.03	3 प्रतिशत की दर पर सेवा प्रभार	487.03	3 प्रतिशत की दर पर सेवा प्रभार	511.35	3 प्रतिशत की दर पर सेवा प्रभार	511.35
कुल राशि	19,627.11	कुल राशि	19,602.76	कुल राशि	19,481.00	कुल राशि	20,454.00	कुल राशि	20,326.16
18 प्रतिशत की दर पर जी.एस.टी.	3,532.88	18 प्रतिशत की दर पर जी.एस.टी.	3,528.50	18 प्रतिशत की दर पर जी.एस.टी.	3,506.58	18 प्रतिशत की दर पर जी.एस.टी.	3,681.72	18 प्रतिशत की दर पर जी.एस.टी.	3,658.71
	23,159.99		23,131.25		22,987.58		24,135.72		23,984.87

मजदूरी	चौकीदारों की संख्या	कुल भुगतान
23,160	60	13,89,600.00
23,131.25	602	1,39,25,012.50
22,987.58	106	24,36,683.48
24,135.72	33	7,96,478.76
23,984.87	55	13,19,167.85
	856	1,98,66,942.59
		अर्थात् ₹ 1.99 करोड़

स्रोत: विभागीय अभिलेख से संकलित सूचना

परिशिष्ट 2.5

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.3; पृष्ठ 14)

निधियों को जारी करने, सरकारी लेखाओं के बाहर निधियों को जमा करने और राज्य को परिणामी ब्याज हानि का विवरण दर्शाने वाली विवरणी

क्र. सं.	जिला का नाम	डी.एस.वाई.ए.ओ. को जारी की गई निधियां (₹ करोड़ में)	डी.एस.वाई.ए.ओ. द्वारा कोषागार से आहरण की तिथि	अप्रयुक्त रही निधि	अप्रयुक्त रही निधि (महीनों में)	राज्य द्वारा उधार पर चुकाया गया ब्याज (उधार ¹ की 8.31 प्रतिशत औसत दर पर परिकलित) (₹ लाख में)
1.	भिवानी	0.86 0.14	19.03.2016 21.06.2016	31.12.2020 31.12.2020	57 54	33.95 5.23
2.	फतेहाबाद	1.00	21.06.2016	31.12.2020	54	37.40
3.	हिसार	1.00	21.06.2016	31.12.2020	54	37.40
4.	झज्जर	1.00	21.06.2016	31.12.2020	54	37.40
5.	करनाल	0.63	08.01.2018	08.01.2020	29	10.47
6.	नूह (मेवात)	0.60	08.03.2017	31.12.2020	45	18.70
7.	सिरसा	1.00	21.06.2016	31.12.2020	54	37.40
8.	खेल एवं शारीरिक स्वास्थ्य प्राधिकरण	3.86	24.03.2017	31.12.2020	45	120.29
	कुल	10.09				338.24

स्रोत: विभागीय अभिलेख से संकलित सूचना

¹ राज्य सरकार के उधारों की औसत दर वर्ष 2016-17 हेतु: 8 प्रतिशत, 2017-18 हेतु: 8.10 प्रतिशत, 2018-19 हेतु: 8.81 प्रतिशत और 2019-20 हेतु: 8.31 प्रतिशत = 8.31 प्रतिशत।

परिशिष्ट 2.6

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.5; पृष्ठ 18)

जोखिम और लागत पर शेष कार्य के आवंटन के कारण मूल ठेकेदार से वसूली योग्य राशि को दर्शाने वाली विवरणी

क्र.सं.	विवरण	राशि
1.	मूल डी.एन.आई.टी. की मूल लागत	6,87,86,791
2.	सी.आर. से कम 19.82 प्रतिशत की दर से कम उद्धृत दर	1,36,33,542
3.	काम की सीमित मात्रा (1-2)	5,51,53,249
4.	मूल ठेकेदार के जोखिम एवं लागत पर अपेक्षित डी.एन.आई.टी. के अनुसार शेष कार्य	3,16,80,122
5.	सी.आर. से कम 19.82 प्रतिशत की दर से कम उद्धृत दर	62,79,000
6.	शेष कार्य की वास्तविक राशि	2,54,01,122
7.	दूसरे ठेकेदार की नई दर के अनुसार शेष कार्य की लागत अर्थात् सी.आर. से ऊपर 19.86 प्रतिशत की दर पर	3,79,71,794
8.	5वें रनिंग बिल तक भुगतान की गई राशि	3,60,08,788
9.	मूल ठेकेदार से वसूली जाने वाली राशि (8-6)	1,06,07,666
10.	जब्त प्रतिभूति एवं ई.एम.डी.	14,51,580
11.	5वें रनिंग बिल तक वसूली योग्य शुद्ध राशि (9-10)	91,56,086
		अर्थात् ₹ 0.92 करोड़

स्रोत: विभागीय अभिलेख से संकलित सूचना

परिशिष्ट 2.7

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.8; पृष्ठ 25)

खरीद की लागत के साथ खरीदी गई भूमि का विवरण दर्शाने वाली विवरणी

क्र.सं.	विलेख संख्या और दिनांक	क्षेत्रफल	राशि ₹ में
1	1034 दिनांक 27 फरवरी 2018	0 कनाल 15 मरला	3,92,448
2	1035 दिनांक 27 फरवरी 2018	4 कनाल 18.5 मरला	25,77,074
3	1036 दिनांक 27 फरवरी 2018	8 कनाल 14.5 मरला	45,65,477
4	1037 दिनांक 27 फरवरी 2018	0 कनाल 13 मरला	8,12,500
5	1069 दिनांक 09 मार्च 2018	0 कनाल 3 मरला	1,87,500
6	304 दिनांक 05 जून 2018	0 कनाल 13.3 मरला	3,24,187
7	305 दिनांक 05 जून 2018	12 कनाल 17.33 मरला	62,72,500
कुल		24 कनाल 94.63 मरला (अर्थात् 3.591 एकड़)	1,51,31,686 (अर्थात् ₹ 1.51 करोड़)

स्रोत: विभागीय अभिलेख से संकलित सूचना

विवरण:

(24 कनाल 94.63 मरला = 574.63 मरला = 3.591 एकड़)

1 कनाल = 20 मरला

1 एकड़ = 160 मरला



भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in

www.cag.gov.in/ag/haryana/hi